




MAED-610

Semester IV

अध्यापक शिक्षा

Teacher Education



शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

अध्ययन बोर्ड			
प्रोफेसर जे०के० जोशी निदेशक शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	प्रोफेसर एन० एन० पाण्डेय(सदस्य) शिक्षा संकाय एम० जे० पी० रुहेलखंड, विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तरप्रदेश	प्रोफेसर गिरिजेश कुमार (सदस्य) शिक्षा संकाय एम० जे० पी० रुहेलखंड, विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तरप्रदेश	प्रोफेसर रोमेश वर्मा(सदस्य) शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड
डॉ० दिनेश कुमार सहायक प्रोफेसर उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	डॉ० रजनी रंजन सिंह सहायक प्रोफेसर उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी सहायक प्राध्यापक उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	सुश्री ममता कुमारी सहायक प्रोफेसर उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड
डॉ० कल्पना पाटनी लखेड़ा सहायक प्राध्यापक उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	श्रीमती मनीषा पंत परमर्शदाता उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	श्री सिद्धार्थ पोखरियाल संविदा शिक्षक उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	
पाठ्यक्रम संयोजक एवं संपादक		इकाई संयोजक एवं संपादन	
डॉ० दिनेश कुमार सहायक प्रोफेसर शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड		डॉ० दिनेश कुमार सहायक प्रोफेसर शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	
इकाई लेखन	इकाई संख्या	इकाई लेखन	इकाई संख्या
डॉ० रजनीश कुमार, सहायक प्राध्यापक, बी.एड. विभाग, रा०पी०जी० कालेज रानीखेत	1, 2.	डॉ० अमित कुमार जायसवाल, सहायक प्राध्यापक, बी.एड. विभाग, रा०पी०जी० कालेज कोटद्वार	3
डॉ० नृपेंद्र वीर सिंह, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग महाराणा प्रताप रा०पी०जी०का० हरदोई	4	डॉ० एस०के०साही एच०ओ०डी०, बी०एड०(स्वपोषित) विभाग, रा०पी०जी० कालेज कोटद्वार	5
डॉ० चमनलाल बंगा, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग (आई०सी०डी०ई०ओ०एल०) एच०पी० विश्वविद्यालय, शिमला हिमाचल प्रदेश	6	डॉ० विशाल सूद सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग (आई०सी०डी०ई०ओ०एल०) एच०पी० विश्वविद्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश	7, 8.

ISBN-13-978-81-928871-9-7

समस्त लेखों/पाठों से सम्बंधित किसी भी विवाद के लिए सम्बंधित लेखक जिम्मेदार होगा। किसी भी विवाद का जूरिसडिक्शन हल्द्वानी (नैनीताल) होगा।

कापीराइट: उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय प्रकाशन वर्ष: फरवरी 2014 पुनः प्रकाशन - 2022

संस्करण: सीमित वितरण हेतु पूर्व प्रकाशन प्रति

प्रकाशक: निदेशालय, अध्ययन एवं प्रकाशन

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी-263139, (नैनीताल)

अध्यापक शिक्षा
Teacher Education
MAED 610 Semester IV

इकाई सं०	इकाई का नाम	पृष्ठ सं०
1	सेवारत अध्यापक शिक्षा In Service Teacher Education	1-19
2	सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा Pre-Service Teacher Education	20-40
3	ओ०डी०एल० पद्धति में अध्यापक शिक्षा Teacher Education through ODL system	41-57
4	उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (ओरिएन्टेशन एवं रिफ्रेशर कोर्स) Orientation and Refresher Course	58-72
5	केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर अध्यापक शिक्षा के अभिकरण (एन०सी०टी०ई०, एन०सी०ई०आर०टी०, एस०सी०ई०आर०टी०, नीपा०, यू०जी०सी०, आर०सी०आई०,) National and State Level Agencies of Teacher Education (NCTE, NCERT, SCERT, NEUPA, UGC, RCI,)	73-97
6	अनुसन्धान की प्रकृति एवं लक्ष्य Nature and Aims of Research	98-117
7	शैक्षिक अनुसंधान में प्राथमिकताएं (Priorities of Educational Research)	118-133
8	अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान का महत्व (Importance of Research in Teacher Education)	134-149

इकाई 1 सेवारत् अध्यापक शिक्षा In Service Teacher Education

- 1.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 1.2 उद्देश्य (Objectives)
- 1.3 सेवारत् अध्यापक शिक्षा (In-Service Teacher Education)
 - 1.3.1 सेवारत् अध्यापक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning & Definition of In-Service Teacher Education)
 - 1.3.2 सेवारत् अध्यापक शिक्षा की समस्यायें (Problems of In-Service Teacher Education)
 - 1.3.3 सेवारत् अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता(Need of In-Service Teacher Education)
- 1.4 सेवारत् अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लक्ष्य(Goals of In-Service Teacher Education)
 - 1.4.1 सेवारत् अध्यापक शिक्षा के लिये कार्यक्रम (Programmes for In-Service Teacher Education)
- 1.5 सेवारत् अध्यापक शिक्षा के विकास के लिये सुझाव (Suggestion for Development of In-Service Teacher Education)
- अपनी उन्नति जानियें (Check your Progress)
- 1.6 सारांश (Summery)
- 1.7 शब्दावली (Glossary)
- 1.8 अभ्यास प्रश्नो के उत्तर (Answer of Exercise Question)
- 1.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference)
- 1.10 सहायक उपयोगी पाठ्यक्रम (Reference Book)
- 1.11 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Question)

1.1 प्रस्तावना (Introduction)

शिक्षा के व्यापक अर्थ में हम सब एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते हैं इसलिये हम सभी शिक्षार्थी और शिक्षक हैं परन्तु शिक्षा के संकुचित अर्थ में कुछ विशेष व्यक्ति, जो जानबूझकर दूसरों को प्रभावित करते हैं और उनके आचार विचार में परिवर्तन करते हैं वे ही शिक्षक कहे जाते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों का स्थान मुख्य था। लोगो का विश्वास था कि योग्य गुरु के चरणों में बैठकर कोई भी व्यक्ति ज्ञानी बन सकता है परन्तु मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से अब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि बच्चे का विकास अध्यापक की अपेक्षा उसके अपने ऊपर अधिक निर्भर करता है। प्रत्येक बच्चा कुछ शक्तियाँ लेकर पैदा होता है, अध्यापक तो इन शक्तियों के आधार पर उसके विकास में सहायक का कार्य करता है।

परन्तु अध्यापक के अभाव में नियोजित शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक कभी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है तो कभी लेखक के रूप में या शिक्षण मशीन एवं कम्प्यूटर में शिक्षण सामग्री के रूप में या रेडियों एवं टेलीविजन पर अपने विस्तार के रूप में उपस्थित होता है। इस शताब्दी में इस विषय पर पर्याप्त शोध कार्य हुआ है कि अध्यापकों की सफलता किस बात पर निर्भर करती है और इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अध्यापक अपने ऊपर बढ़ते हुये उत्तरदायित्व का निर्वाह तभी कर सकते हैं जब उनमें उत्तम शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, उच्च सामाजिकता, उच्च सांस्कृतिक दृष्टिकोण, स्पष्ट जीवन दर्शन, नैतिकता एवं चरित्रबल, अपने विषय का स्पष्ट ज्ञान, विभिन्न विषयों का सामान्य ज्ञान, शिक्षण कौशलों में दक्षता तथा संगठन शक्ति आदि गुण हों। सेवारत् अध्यापक शिक्षा के अन्तर्गत सेवारत् अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण या पुनश्चर्या कार्यक्रमों को संचालित एवं व्यवस्थित करते हुये उनकी कार्यक्षमता और कुशलता में वृद्धि हेतु प्रयत्न किया जाता है।

चूँकि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापक शिक्षा को भी शिक्षा के समान एवं जीवनव्यापी प्रक्रिया के रूप में स्वीकृत किया गया, अतः सेवारत अध्यापक शिक्षा को भी अपरिहार्य एवं सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा के अविच्छेद्य अंग के रूप में देखा जाने लगा। इस हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय और शिक्षा में उच्च अध्ययन संस्थान आदि की स्थापना को आवश्यक माना गया।

1.2 उद्देश्य (Objectives)

1. सेवारत् अध्यापकों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये नये-नये उद्दीपनों का ज्ञान प्राप्त कराना।
2. सेवारत् अध्यापकों के सामने आने वाली शिक्षण समस्याओं का अध्ययन कराना।
3. सेवारत् अध्यापकों के लिये प्रभावशाली शिक्षण प्रविधियों की जानकारी प्राप्त कराना।

4. अध्यापकों के व्यावसायिक गुणों में वृद्धि करना ।
5. सेवारत् अध्यापकों को मूल्यांकन प्रविधियों एवं पाठ्यक्रम के विषय में जानकारी प्रदान करना ।
6. अध्यापकों के मानसिक दृष्टिकोण में विस्तार करना ।
7. शिक्षा के क्षेत्र में हो रही नयी शिक्षण प्रविधियों एवं आविष्कारों से सेवारत् अध्यापकों को अवगत करना ।

1.3 सेवारत् अध्यापक शिक्षा (In-Service Teacher Education)

सेवारत् अध्यापक शिक्षा, सेवारत् अध्यापकों के लिये आयोजित की जाने वाली एक प्रक्रिया है। यह व्यवस्थित, सतर्क ध्यानस्थ, आवश्यकतापरकता और विज्ञान सम्मत प्रक्रिया है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिये सेवारत् अध्यापकों को प्रदान की जाती है। सेवारत् अध्यापक शिक्षा से अध्यापकों का दृष्टिकोण व्यापक बनता है। यह प्रक्रिया सेवारत् अध्यापकों में व्यवहारिक परिवर्तन उत्पन्न करती है और अध्यापकों को विविध प्रकार के अनुभव प्रदान करती है जिससे उन्हें शिक्षा तथा शिक्षण की नवीन आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त होता है और परिणामस्वरूप उनमें शिक्षण कार्य को अधिक कुशलतापूर्वक तथा प्रभावशाली ढंग से करने की योग्यता का विकास होता है ।

अतः सेवारत् अध्यापक शिक्षा, अध्यापक की शिक्षण योग्यता के सतत् विकास का साधन है ।

डा० अल्तेकर के अनुसार, "कोई भी कालेज या कोर्स एक डाक्टर को वह सब कुछ नहीं सिखा सकता जो उसे सीखना है। उसके अभ्यास से उसके ज्ञान क्षेत्र का विकास होता रहता है। जो बात एक डाक्टर के लिये सत्य है, वह एक अध्यापक के लिये भी सत्य है ।"

1.3.1 सेवारत् अध्यापक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning & Definition of In-Service Teacher Education)

सेवारत् अध्यापक शिक्षा में व्यावसायिक अध्यापकों एवं अन्य अध्यापकों को उनके व्यवसाय से सम्बन्धित निरन्तर जानकारी प्रदान करना एवं उनके व्यावसायिक गुणों तथा कौशलों में सुधार एवं विकास करना सम्मिलित है। सेवारत् अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था, अध्यापक को शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने के पश्चात उनके लगातार विकास के लिये उचित अनुदेशन को सुनिश्चित करने के लिये की जाती है। सेवारत् अध्यापक शिक्षा द्वारा अध्यापकों के अन्दर व्यावसायिक गुणों का विकास किया जाता है ।

एम0 बी0 बुच (1968) “ सेवारत् अध्यापक शिक्षा एक क्रियाबद्ध योजना है, जिसका उद्देश्य शिक्षक और शैक्षिक सेवा कर्मचारियों का निरन्तर विकास है।”

केन (1969) “वे समस्त क्रियायें एवं पाठ्यक्रम जिनका उद्देश्य सेवारत् अध्यापक के व्यावसायिक गुणों को स्थायी करना तथा उनमें इच्छा शक्ति एवं कौशलों का विकास करना होता है, सेवारत् अध्यापक शिक्षा के प्रत्यय में आता है।”

1.3.2 सेवारत् अध्यापक शिक्षा की समस्यायें(Problems of In-Service Teacher Education)

राष्ट्रीय अध्यापक आयोग (1983-84) ने सेवारत् अध्यापक शिक्षा के बारे में इस प्रकार टिप्पणी की, “सेवारत् अध्यापक शिक्षा की वर्तमान सुविधायें प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनो स्तर के अध्यापकों के लिये मात्रा की दृष्टि से दुर्भाग्यवश अपर्याप्त है तथा प्रासंगिक व महत्त्व की दृष्टि से बहुत खराब है।” सेवारत् अध्यापक शिक्षा के निम्नलिखित दोष हैं-

1. उद्दीपकों की कमी,
2. प्रेरणा की कमी,
3. अनुपयुक्त विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग किया जाना,
4. अनुपयुक्त पाठ्यक्रम,
5. समस्या स्रोत के अध्ययन का अभाव,
6. अध्यापकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण,
7. प्रशासकीय समस्यायें,
8. संस्थागत समस्यायें,
9. वित्तीय कठिनाई,
10. अनुवर्ती कार्यक्रमों की कमी।

1.3.3 सेवारत् अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता (Need of In-Service Teacher Education)

इंग्लैण्ड के विख्यात स्कूल रगबी (Rugby) के प्रसिद्ध प्राध्यापक थॉमस आरनाल्ड ने सेवारत् अध्यापक शिक्षा के बारे में लिखा है, " मैं इस बात को पसन्द करता हूँ कि मेरे छात्र खड़े पानी को पीने के बजाय बहती नदी से पानी पीयें। "

भारत के प्रसिद्ध विचारक एवं शिक्षाविद् रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में सेवारत् शिक्षा का महत्त्व इस प्रकार बताया, "एक दीपक दूसरे दीपक को कभी भी प्रज्ज्वलित नहीं कर सकता जब तक उसकी अपनी ज्योति जलती न रहे। एक अध्यापक कभी भी वास्तविक अर्थों में नहीं पढ़ा सकता जब तक वह स्वयं न सीखता रहे। "

इसी संदर्भ में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) ने कहा, "यह एक अनोखी बात है कि हमारे स्कूल अध्यापक जो कुछ भी सीखते हैं वह 24 या 25 वर्ष की आयु तक सीखते हैं और इसके पश्चात् भावी शिक्षा को अनुभव पर छोड़ देते हैं, जिसका दूसरा नाम स्थिरता है। हमें यह समझ लेना चाहिये कि अनुभव तभी पूर्ण होता है, जब उसका प्रयोग कर लिया जाता है। इसलिये अध्यापक को सचेत रहने के लिये समय-समय पर सीखने की क्रिया में भाग लेना चाहिये। सीखने और सिखाने की क्रिया से ही अनुभव होता है और पुरानी क्रियाओं का नई क्रियाओं द्वारा परीक्षण करना चाहिये। "

कोठारी शिक्षा आयोग (1964-66) के अनुसार, "शिक्षा के सभी क्षेत्रों में तेजी से हो रही उन्नति के कारण और अध्यापन के सिद्धान्तों और प्रयोगों में निरन्तर हो रहे विकास के कारण सेवारत् अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता बहुत बढ़ गयी है। "

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1983-85) ने सेवारत् अध्यापक शिक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुये कहा है, "ज्ञान के विस्फोट हो जाने, संचार के क्षेत्र में क्रान्ति आ जाने, समसामयिक घटनाओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता पैदा होने, मूल्यों में गिरावट आ जाने के कारण अध्यापकों को वर्तमान परिस्थितियों की पूरी जानकारी होनी चाहिये, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। "

वर्तमान में जब पाठ्यक्रम निरन्तर बदल रहे हैं, मूल्यांकन पद्धति, श्रव्य-दृश्य अनुदेशनात्मक सामग्रियों के प्रयोग, संगणक तथा मल्टी मीडिया आदि का उपयोग, दूर-सम्प्रेषण तकनीकों का प्रचलन भी अधिक होता जा रहा है, अतः अध्यापकों का इन समस्त पद्धति एवं प्रयोजनों से व्यावहारिक परिचय का होना अपरिहार्य बन जाता है। बिना उपयुक्त दिशा-निर्देशन प्राप्त किये वे स्वयं इन समस्त आधुनिक पद्धति और तकनीकी कुशलताओं को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नवाचारिक अनुप्रयोगों को सफल बनाना अध्यापक का ही दायित्व होता है और बिना उनसे भली-भाँति परिचित हुये उनके लिये इस दायित्व का अनुपालन कर पाना कठिन हो सकता है।

1.4 सेवारत् अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लक्ष्य (Goals of In-Service Teacher Education)

सेवारत् अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के सन्दर्भ में निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है-

1. अध्यापक की अपूर्णता सम्बन्धी कमियों को बाहर निकालकर जो उसके सेवा-पूर्व काल की शिक्षा के कारण उत्पन्न हुई, उपचार करना।
2. नवीन शिक्षण की भूमिका निर्वहन करने हेतु अध्यापक की दक्षता और शिक्षाशास्त्र की ज्ञान विधा को उन्नति की ओर अग्रसारित करना जिसकी आवश्यकता है।
3. अध्यापक के विषय और विषयवस्तु ज्ञान को उन्नत एवं पूर्णता प्रदान करना।
4. परिवर्तन के एजेण्ट के रूप में उन्हें प्रशिक्षित करना।
5. बदलते हुये संसार के तीव्रतर एवं स्वयं ज्ञापित अनुकूलन हेतु शिक्षा प्रदान करना।
6. स्वाध्याय और ज्ञान पिपासु छात्र के रूप में अध्यापकों को तैयार करना।
7. जीवनपर्यन्त शिक्षा प्राप्त करने हेतु अध्यापकों को तैयार करना।
8. सम्पूर्ण औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा अभिकरणों के प्रयोग हेतु सक्षम बनाना।
9. अध्यापकों को नवीन आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियों को समझने, सहन करने और समाज में नवीन परिस्थितियों को प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाना।

अपनी उन्नति जानियें (Check Your Progress)

- प्र. 1 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का कार्यकाल था?
(अ) 1983-85 (ब) 1964-66 (स) 1948-49 (द) इनमें से कोई नहीं।
- प्र. 2 सेवारत् अध्यापक शिक्षा के किन्ही दो दोषों को बताईये?
- प्र. 3 "एक दीपक दूसरे दीपक को कभी भी प्रज्ज्वलित नहीं कर सकता जब तक उसकी अपनी ज्योति जलती न रहें।" यह किसने कहा है?
- प्र. 4 सेवारत् अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के कोई दो लक्ष्य बताईये?

1.4.1 सेवारत् अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम (Programmes of In-Service Teacher Education)

हर्टाग कमेटी (1929) तथा सार्जेण्ट रिपोर्ट (1944) की सिफारिशों के बावजूद भी स्वतन्त्रता से पूर्व इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया गया।

विश्वविद्यालय आयोग (1949) तथा माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) द्वारा भी अध्यापकों की व्यावसायिक अभिवृद्धि के लिये सेवारत् अध्यापक शिक्षा के लिये प्रबन्ध किये जाने का समर्थन किया गया परन्तु 1955 से पूर्व ऐसा न हो सका। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्थापना की गई जिसने कुछ चुने हुये ट्रेनिंग कॉलेजों में प्रसारण सेवा विभागों की स्थापना की

1961 में इस परिषद् को राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् का नाम दिया गया जिसने माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को सेवाकालीन शिक्षा देने के लिये माध्यमिक शिक्षण प्रसारण कार्यक्रम निदेशालय की स्थापना की। अब इस विभाग को क्षेत्र सेवाओं का विभाग कहते हैं।

देश में प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रसारण सेवा विभागों के अतिरिक्त प्राइमरी स्कूलों में कार्य करने वाले अध्यापकों को सेवाकालीन शिक्षा देने के लिये कुछ प्रशिक्षण स्कूलों में भी प्रसारण सेवा विभाग है।

सेवारत् अध्यापक शिक्षा के निम्नलिखित विभिन्न कार्यक्रम हैं-

1. कार्यगोष्ठी (Seminar)- कार्यगोष्ठियों का आयोजन शिक्षा के किसी भी रूप से सम्बन्धित अनेक शैक्षिक समस्याओं पर किया जा सकता है। पहले से ही एक कार्यपत्र तैयार कर लिया जाता है और इसमें भाग लेने वालों को भेज दिया जाना चाहिये। इसे खुले अधिवेशन में पढ़ा जाता है और इस पर विवेचन किया जाता है। समस्या के विभिन्न पक्षों पर विचार करने के लिये अनेक कमेटियाँ बना दी जाती हैं। कमेटियों की रिपोर्ट आम सभा में पढ़ी जाती है और सुधार आदि के सुझाव के लिये उन पर विवेचन किया जाता है। वाचन के रूप में भी कार्य गोष्ठियों का प्रबन्ध किया जा सकता है।

शिक्षा के उद्देश्यों के पुनःनिर्धारण, पाठ्यक्रम सुधार, नयी शिक्षण विधियाँ, प्रशासन, पर्यवेक्षण तथा वित्तीय सहायता और शिक्षा के अन्य पक्षों पर भी कार्य गोष्ठियों का आयोजन किया जा सकता है। कार्य गोष्ठियाँ किसी विशिष्ट समस्या के गहन विचार के लिये अवसर प्रदान करती हैं। भाग लेने वाले व्यक्ति मिलकर रहते हैं और इकट्ठे खाते हैं जो अनौपचारिक सम्बन्धों को प्रेरित करते हैं और मैत्रीपूर्ण विवेचन तथा विचारों को विनिमय का अवसर प्रदान करते हैं।

2. कार्यशालायें (Workshops) - कार्यशालायें कार्यगोष्ठियों से भिन्न होती हैं। कार्यशालाओं में क्रियात्मक मार्ग अपनाया जाता है। सभी भाग लेने वाले सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कार्यशालाओं का आयोजन कक्षा भवन शिक्षण की क्रियात्मक समस्याओं पर गहन रूप से विचार करने के लिये किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन तथा कार्य के लिये स्वतन्त्र समय दिया जाता है।

कार्यशालाओं का आयोजन पाठ योजना, पाठ्यक्रम के निर्माण तथा परीक्षणों के निर्माण पर किया जा सकता है। प्रत्येक भाग लेने वाले को कुछ कार्य करने के लिये दिया जाता है। कार्यशाला की प्रमुख उपयोगिता एक या दो पाठ-योजनायें बनाने या किसी विशिष्ट विषय अथवा किसी विशिष्ट श्रेणी के लिये पाठ्यक्रम बनाने में या किसी स्कूल के विषय में उपलब्धि परीक्षण बनाने में उल्लेखनीय है।

3. रिफ्रेशर कोर्स (Refresher Course)- रिफ्रेशर कोर्स बड़े प्रभावशाली ढंग से अध्यापकों को अन्तः सेवा शिक्षा प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य अध्यापकों को अपने विषय तथा शिक्षा के सिद्धान्त एवं प्रयोग में नये परीक्षणों के साथ-साथ चलने के योग्य बनाना है। इनका आयोजन स्कूल विषयों तथा नयी शिक्षण प्रणालियों के सन्दर्भ में किया जा सकता है। विशेषज्ञ, अध्यापकों के लाभ के लिये अपनी सेवार्यें अर्पित करते हैं। इन कार्यक्रमों में भाग लेने से उन अध्यापकों की कार्यक्षमता बढ़ती है जो अपने विषयों तथा शिक्षण विधियों में हुये सुधारों से अनभिज्ञ रहते हैं।

4. सम्मेलन (Conferences)- अध्यापकों के सम्मेलनों का संगठन व्यावहारिक रुचि वाले विषयों के लिये किया जा सकता है। ये विषय हैं-

पाठ्यक्रम का संशोधन, पाठ्य-पुस्तकों का चुनाव, सफल शैक्षिक परीक्षणों के परिणाम, पिछड़े हुये बालकों का निर्देशन तथा दैनिक शिक्षण से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित इसी प्रकार की समस्यायें।

विशिष्ट विषयों के अध्यापन पर विचार करने के लिये भी सम्मेलन बुलाया जा सकता है। कुछ प्रमुख विषय इस प्रकार हैं- सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान और भाषायें।

ये सम्मेलन प्रान्त, जिला अथवा क्षेत्र स्तर पर आयोजित किये जा सकते हैं।

5. विस्तार सेवा कार्यक्रम (Extension Service Programme)-इस वर्ग के कार्यक्रम में विद्यालय प्रशिक्षण महाविद्यालय अन्तर्सम्बन्ध विकास हेतु कार्यक्रम, विद्यालय उन्नयन योजना, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम विकास योजना, गहन कार्यशाला एवं अधिगम सामग्री प्रकाशन कार्यक्रम आदि सम्मिलित किये जा सकते हैं। विस्तार सेवा का लक्ष्य सुधारात्मक और उन्नयनमूलक कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना होता है।

6. अध्ययन समूह (Study Groups) - विभिन्न विषयों के अध्यापक एक अध्ययन समूह बना सकते हैं जिसकी बैठक सप्ताह अथवा पन्द्रह दिन में एक बार हो सकती है। विचार-विमर्श के लिये कुछ सामान्य रुचि वाले विषयों को लिया जा सकता है। उप-विषय का चुनाव यथासम्भव इस अध्ययन समूह के अध्यापकों की व्यावहारिक आवश्यकताओं तथा व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर किया जाये। विचार-विमर्श व्यावहारिक क्रिया की ओर अग्रसर होना चाहिये। अध्ययन समूह शैक्षिक योजनाओं के बनाने में सहायता कर सकते हैं।

7. स्कूल कार्यक्रम (School Programmes) - क्लब मीटिंग, अलग विषयों की मीटिंग (सभायें), अध्ययन मण्डल स्कूल में प्रदर्शनियाँ, प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट फिल्म शो, प्रदर्शन पाठ, प्रसार-भाषण तथा पुस्तकालय सेवायें भी अध्यापकों को सेवाकालीन शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।

8. विविध कार्यक्रम (Miscellaneous Programmes) - अध्यापकों के व्यावसायिक विकास के लिये शैक्षिक भ्रमण, शैक्षिक महत्त्व के स्थानों को देखना, अध्यापक विनिमय कार्यक्रम आदि का संगठन किया जा सकता है।

9. अध्यापकों की सेवाकालीन शिक्षा के लिये विभिन्न अभिकरण (Various Agencies for In-Service Teacher Education) - अध्यापकों की सेवाकालीन शिक्षा के लिये विभिन्न संस्थान निम्न प्रकार हैं-

(i) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (Regional Institutes of Education)- बहुउद्देशीय विद्यालयों में तकनीकी शिक्षा, वाणिज्य, ललित कलायें, ग्रह विज्ञान, कृषि आदि विषयों के अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिये चार क्षेत्रीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई जो अलग-अलग प्रदेशों की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करते हैं। ये संस्थानें निम्न हैं-

(अ) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर (Regional Institutes of Education, Ajmer) - उत्तरी प्रदेशों अर्थात् जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के लिये।

(ब) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर (Regional Institutes of Education, Bhubaneswar) - पूर्वी प्रदेशों अर्थात् बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, असम, मणिपुर और त्रिपुरा के लिये।

(स) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल (Regional Institutes of Education, Bhopal) - पश्चिमी प्रदेशों अर्थात् महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के लिये।

(द) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर (Regional Institutes of Education, Mysore) - दक्षिणी प्रदेशों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के लिये।

(ii) राजकीय विज्ञान संस्थायें (State Institutes of Science Education)- माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार करने के लिये विज्ञान शिक्षा कार्यक्रमों को विकसित करने के लिये कुछ प्रान्तों में राजकीय विज्ञान शिक्षा संस्थायें स्थापित की गई है। इन संस्थाओं का मुख्य कार्य अध्यापकों के लिये कार्यशालाओं, कार्यगोष्ठियों, और अभिनव पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना है। इसके अतिरिक्त यह संस्थायें विज्ञान के पाठ्यक्रम का निरीक्षण करती हैं और विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की जाँच करती है। कई राज्यों ने अपनी विज्ञान शिक्षण संस्थाओं को राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के साथ सम्बन्धित कर दिया है।

(iii) शिक्षा की राज्य संस्थायें (State Institutes of Education)- इन संस्थाओं की स्थापना विभिन्न राज्यों में सेवारत् अध्यापकों की शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षकों के लिये की गई है। इन संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकाशनों की सहायता से सूचनार्यें प्रदान की जाती है। प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों जैसे- पाठ्यक्रम, विधियों, प्रविधियों पर शोध कार्य का आयोजन किया जाता है। विभिन्न प्रकार की कार्यशालाओं, गोष्ठियों, पाठ्यक्रमों एवं वाद विवादों का आयोजन किया जाता है। राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद्, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं अध्यापक शिक्षा परिषद्, राज्य शिक्षा संस्थान और राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान आदि शिक्षा की राज्य संस्थाओं के अन्तर्गत आते है।

(iv) राजकीय अंग्रेजी संस्थायें (State Institutes of English)- विदेशी भाषा होने के कारण अंग्रेजी की शिक्षा देना कठिन है। विद्यालयों के अध्यापकों को प्रभावशाली ढंग से अंग्रेजी की शिक्षा देने में सहायता करने के लिये विभिन्न प्रदेशों में राजकीय अंग्रेजी संस्थायें स्थापित की गई हैं इनके मुख्य कार्य हैं- अध्यापकों को अंग्रेजी शिक्षण की नवीन धारणाओं और प्रवृत्तियों से परिचित कराना तथा उन्हें शिक्षण की नवीनतम विधियों का प्रशिक्षण देना। इन संस्थाओं के प्रयत्नों से विद्यालयों में अंग्रेजी पढ़ाने की नई विधियों को प्रचलित किया जा रहा है।

10. राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का अध्यापक शिक्षा विभाग (Teacher Education Department of N.C.E.R.T) - यह विभाग समय-समय पर अध्यापकों के व्यावसायिक विकास के लिये विभिन्न कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है-

(i) राज्य शिक्षा विभागों और विश्वविद्यालयों द्वारा चलाये गये अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना और उन्हें सहयोग देना।

(ii) अध्यापक शिक्षा की उत्तम विधियों का विकास करने के लिये शोध कार्यों की व्यवस्था करना।

(iii) शिक्षात्मक विषयों पर अध्यापकों और अध्यापक शिक्षकों के लिये आवश्यक साहित्य का निर्माण करना।

(iv) राज्य शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण, नवीनीकरण और अभिनव कोर्सों की व्यवस्था करना ।

(v) अन्तर्राज्य आधार पर प्रशिक्षित संस्थाओं के प्रधानाचार्यों के लिये कार्यगोष्ठियों, कार्यशालाओं और अभिनव कोर्सों की व्यवस्था करना ।

(vi) प्रशिक्षण संस्थाओं में अपनायी जाने वाली शिक्षण विधियों और अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम के विकास के लिये नये प्रयोग करना ।

11. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (National Council of Teacher Education) - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को प्रत्यायित करने तथा पाठ्यचर्या व पद्धतियों के बारे में दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिये आवश्यक संसाधन तथा क्षमता उपलब्ध करायेगी एवं अन्य निम्न कार्य भी करेगी-

(i) अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों का सर्वेक्षण एवं अध्ययन करना ।

(ii) देश में अध्यापक शिक्षा का विकास, नियन्त्रण एवं समन्वय करना ।

(iii) स्वीकृत संस्थाओं की जवाबदेही के लिये मानकों, मूल्यांकन पद्धति आदि का निर्धारण करना तथा उन्हें लागू करना ।

(iv) अध्यापक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसन्धान एवं नवाचारों को प्रोत्साहित करना ।

(v) अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की स्वीकृति या सम्बद्धीकरण से सम्बन्धित नियमों का निर्धारण करना ।

(vi) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यू0जी0सी0 तथा अन्य शैक्षिक संगठनों में तालमेल स्थापित करना ।

12. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के विभाग (Departments of District Institute of Education & Training)- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सेवारत् कार्यक्रम, क्षेत्रीय अन्तःक्रिया एवं नवाचार समन्वय नामक विभाग का कार्य सेवारत् अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना एवं नवाचार हेतु अभिनव कार्यक्रम चलाना है। साथ ही यह विभाग जिला शिक्षा प्रशासन को जिले की शैक्षिक योजना बनाने में सहयोग प्रदान करता है। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा शैक्षिक समस्याओं के समाधान खोजना एवं नवीन शिक्षण तकनीक का प्रभावी उपयोग करना भी इसके कार्यों में शामिल है ।

13. पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिये संस्थायें (Institution for Correspondence Course) - हमारे देश में पत्राचार शिक्षा की शुरुआत यूँ तो बी०बी०सी० लन्दन से प्रसारित अंग्रेजी भाषा शिक्षण के पाठों के प्रसारण से हो गयी थी परन्तु 1959 में हमने स्वयं दूरदर्शन पर प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू कर दिया था। 1961 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) ने देश में पत्राचार शिक्षा शुरू करने की संस्तुति की और 1962 में सर्वप्रथम दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार शिक्षा की शुरुआत की गई। कोठारी कमीशन 1964-66 ने भारत में पत्राचार शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद 1968 में पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला ने पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किये। इसके बाद 1969 में मैसूर विश्वविद्यालय, और मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ ने स्नातक स्तर पर पत्राचार शुरू किये। इसके बाद तो देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने भी पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये।

भारतवर्ष में अजमेर, मैसूर, भुवनेश्वर और भोपाल के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में सन 1966 से ग्रीष्मकालीन तथा पत्राचार कोर्स आरम्भ किया गया। इस नये कार्यक्रम का उद्देश्य अप्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों को प्रशिक्षित करना है। इस कोर्स की अवधि 14 महीने है जिनमें 2-2 मास के दो ग्रीष्मावकाश भी सम्मिलित है। इन दिनों छात्रों को गहन शिक्षा कार्य के लिये क्षेत्रीय महाविद्यालयों के कैम्पस में रहना पड़ता है। इन दो ग्रीष्मावकाश के बीच पड़ने वाले 10 महीने क्षेत्रीय अनुभवों के लिये प्रयोग किये जाते हैं।

अन्नामलाई विश्वविद्यालय में पत्राचार के माध्यम से बी०एड० और एम०एड० के पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। जम्मू विश्वविद्यालय में भी पत्राचार द्वारा बी०एड० के कार्यक्रम को आरम्भ किया गया है।

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा अनेक परास्नातक, स्नातक, डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स पत्राचार माध्यम द्वारा कराये जा रहे हैं।

अपनी उन्नति जानियें (Check Your Progress)

प्र. 5 अध्ययन समूह (Study Groups) की बैठक होती है?

(अ) सप्ताह अथवा पन्द्रह दिन में एक बार (ब) सप्ताह अथवा पन्द्रह दिन में दो बार (स) सप्ताह अथवा पन्द्रह दिन में तीन बार (द) इनमें से कोई नहीं।

प्र. 6 नयी शिक्षण विधियों (New Teaching Methods) पर विचार किया जाता है?

(अ) कार्यगोष्ठियों में (ब) कार्यशालाओं में (स) सम्मेलनों में (द) इनमें से कोई नहीं।

प्र. 7 अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों का नियन्त्रण किया जाता है-

(अ) राज्य सरकार द्वारा (ब) केन्द्रीय सरकार द्वारा (स) एन0सी0टी0ई0 द्वारा (द) इनमें से कोई नहीं।

प्र. 8 उत्तराखण्ड राज्य किस क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के अन्तर्गत आता है?

1.5 सेवारत् अध्यापक शिक्षा के विकास के लिये सुझाव (Suggestion for Development of In-Service Teacher Education)

(अ) शिक्षा आयोग द्वारा की गई सिफारिशें

1. विश्वविद्यालयों द्वारा प्रत्येक स्तर पर सतत् अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये। विश्वविद्यालय के सहयोग से संस्था से पूर्व की शिक्षा एवं संघ से पूर्व की शिक्षा लम्बे पैमाने पर नियोजित की जानी चाहिये।
2. साधनो की कमियों को ध्यान में रखते हुये अध्यापकों के लिये प्रारम्भिक अवस्था से ही प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये जिसकी अवधि प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद निरन्तर तीन माह के लिये होनी चाहिये। यह कार्य उनके सेवाकाल मे ही होना चाहिये।
3. राष्ट्रीय स्तर पर एक मूलभूत नीति का प्रयोग करके प्रत्येक सेवारत् अध्यापक के व्यावसायिक गुणों में वृद्धि की जानी चाहिये। भारत में प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को उनके व्यावसायिक गुणों के विकास के लिये इस प्रकार की सुविधा नहीं है।
4. राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने प्रत्येक राज्य को कुछ वैधानिक सुझाव दिये है जिनके अनुसार सतत् शिक्षा के लिये तीन श्रेणियों में व्यवस्था की जानी चाहिये। प्रथम श्रेणी में प्राथमिक अध्यापकों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये, द्वितीय श्रेणी में माध्यमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये जबकि तृतीय एवं अन्तिम श्रेणी में कुछ विशेषज्ञों के द्वारा प्रधानाध्यापकों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये। प्रथम श्रेणी में रखे गये प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था द्वितीय और तृतीय श्रेणी में रखे गये प्रशिक्षणार्थियों द्वारा होनी चाहियें।
5. विभिन्न वर्गों से सम्बन्धित अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का स्वरूप भिन्न होना चाहिये। इन सबके लिये सतत् शिक्षा का कार्यक्रम परिवर्तित होना चाहिये।
6. सतत् शिक्षा का नियोजन एक व्यापक रूप में होना चाहिये, जिसका आधार विद्यालय की आवश्यकता, अध्यापकों की आवश्यकता, निकटतम भविष्य में सम्भावित विकास होना चाहिये। व्यवस्थापक को सतत् शिक्षा में भाग ले रहे अध्यापकों में धीरे-धीरे सुधार एवं विकास की प्रक्रिया को संचालित करना चाहिये।

7. सतत् शिक्षा में गहराई से चिन्तन करने एवं विचारों को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया जाना चाहिये। वर्तमान समय में सतत् शिक्षा का एक आत्म-निर्भर केन्द्र खोलने का प्रयास हो रहा है।
8. पूर्व सेवारत् अध्यापक एवं सेवारत् अध्यापक के मध्य सम्बन्ध स्थापित होने चाहिये उनके मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये।
9. सतत् अध्यापक शिक्षा की सफलता विशेषज्ञों की योग्यता एवं गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अध्यापकों में व्यावसायिक ज्ञान की वृद्धि के लिये उनको अनेकों प्रकार के उद्दीपकों एवं अवसरों को प्रदान करना चाहिये।
10. अध्यापकों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिये एक नीति तैयार की जा सकती है, जिससे कि उनके अन्दर बुनियादी प्रेरणा एवं उद्दीपक के द्वारा उनको प्रेरित किया जा सकता है। आन्तरिक उद्दीपकों में पुरस्कार, स्तर में विकास एवं लिखित प्रोत्साहन आदि आते हैं।
11. इस प्रकार के आयोजनों का मूल्यांकन दो स्तर पर किया जा सकता है। प्रथम अवस्था वह है जब सतत् शिक्षा का नियोजन किया गया हो और दूसरी अवस्था वह है जब सेवारत् अध्यापक अपनी शिक्षण अवधि समाप्त करके वापस जा रहे हों। इन दोनों स्तरों पर शिक्षा का मूल्यांकन किया जाना चाहिये।
12. इस प्रकार के कार्यक्रम में सहायक वातावरण को तैयार करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अध्यापकों में इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिये कि यह एक व्यर्थ क्रिया है। उनके अन्दर इस प्रत्यय के लिये सृजनात्मक चिन्तन करने की भावना का विकास किया जाना चाहिये।
13. सतत् शिक्षा के लिये धन मानव शक्ति एवं समय की आवश्यकता होती है। इसलिये सतत् शिक्षा हेतु प्राथमिकता का निर्धारण राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहिये। इससे सतत् शिक्षा का प्रभावी रूप में क्रियान्वयन सम्भव हो सकेगा।
14. विस्तार सेवा विभाग को प्रशिक्षण महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शैक्षिक संस्थाओं से सम्बन्धित कर दिया जाना चाहिये। विस्तार सेवा प्रशिक्षण विभागों को महाविद्यालयों के मध्य अपना निजी अस्तित्व बनाये रखना चाहिये।

(ब) अन्य सुझाव

1. प्रसार की आवश्यकता- अपर्याप्त सुविधा होने के कारण ऐसे अध्यापक प्रसार सेवा की व्यवस्था से वंचित रह जाते हैं जोकि व्यक्तिगत संस्थाओं से सम्बन्धित होते हैं। इसलिये यह

आवश्यक है कि प्रसार सेवा का विस्तार किया जाये तथा इसमें अधिकतम अध्यापकों को सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाये। शिक्षा विद्यालयों में प्रसार सेवा के विभाग खोले जायें। सेवार्त् अध्यापकों की सुविधा के लिये जिला एवं उपजिला स्तर पर कार्यालयों की सुविधा प्रदान की जायें।

2. विभिन्न एजेन्सियों का सहयोग- प्रसार सेवा विभाग, राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य स्तर के शिक्षा विभाग और राजकीय महाविद्यालयों के परिषदों आदि शिक्षा की विभिन्न एजेन्सियों को आपस में सहयोग करने की आवश्यकता है जिससे कि उनके कार्यक्रमों में अंशाच्छादन न हो।

3. निरीक्षकों की भूमिका- शैक्षिक संस्थाओं के अध्यापकों का यह परम कर्तव्य है कि वे अपने अध्यापकों को सेवार्त् अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेने के लियें उत्साहित करें। शिक्षा अधिकारी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अध्यापकों को उत्साहित करें तथा उनके ज्ञानोपार्जन की इस प्रक्रिया का विवरण उनकी वार्षिक रिपोर्ट में दें।

4. सुनियोजित कार्यक्रम- सेवार्त् अध्यापक शिक्षा का नियोजन सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित ढंग से करना चाहिये। इस कार्यक्रम की निश्चित रूपरेखा होनी चाहिये। संस्थागत आवश्यकता के अनुरूप ही इस कार्यक्रम में वृद्धि करनी चाहिये।

5. साधन व्यक्ति या रिसोर्स पर्सन- सब प्रकार से योग्य अध्यापक ही इस कार्यक्रम के लिये अनुकूल रिसोर्स पर्सन की तरह कार्य कर सकते हैं। इनका चयन विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों, महाविद्यालय के प्रोफेसरों तथा राज्य स्तर के विद्यालयों के शिक्षाविदों में से किया जाना चाहिये, जिनके पास सिखाने के लिये कुछ नया ज्ञान हो।

6. अनुवर्ती कार्यक्रम- प्रसार सेवा कार्यक्रम द्वारा अनुवर्ती कार्यक्रम को उचित ढंग से लागू करने के लिये कुछ ऐसे साधनों का उपयोग किया जाना चाहिये, जिससे कि इस कार्यक्रम का उपयोग हो सके।

7. अनुसन्धान- इन कार्यक्रमों की उपयोगिता अनुसंधान के निष्कर्षों द्वारा देखी जा सकती है। अध्यापकों को उसके निष्कर्षों को अन्य तक पहुंचाने के लिये प्रेरित करना चाहिये। अध्यापकों के लिये सूचना तथा उनके विचारों के प्रकाशन के लिये प्रत्येक तीन माह बाद विस्तार सेवा द्वारा पत्र-पत्रिकायें प्रकाशित करनी चाहियें।

8. अध्यापकों के लिये प्रलोभन- वर्तमान समय में इस प्रकार के प्रलोभनों की आवश्यकता है जोकि अध्यापकों का ध्यान इस प्रकार के कार्यक्रम की ओर आकर्षित कर सकें। अवकाश के दिनों में इस कार्यक्रम में आने वाले अध्यापकों को किसी न किसी प्रकार व्यावसायिक सुविधा से लाभान्वित करना चाहियें।

9. विषयगत अध्यापकों का संघ- कोठारी आयोग ने सुझाव दिया है कि विषय से सम्बन्धित अध्यापकों के संघों की स्थापना नगर जिला राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिये। इसमें विभिन्न विद्यालयों के अध्यापकों के विभिन्न विषय होने चाहिये। इस प्रकार का नियोजन प्रयोगों के आरम्भ के लिये प्रलोभन का कार्य करेगा। राज्य स्तर के शिक्षा विभागों को इस प्रकार के संघों को सहायता प्रदान करनी चाहिये, जिससे कि ये लोग समय समय पर गोष्ठियों का आयोजन करके अपने निजी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन कर सकें।

10. विषय विशेषज्ञ- विभिन्न विषयों की शिक्षण प्रविधियों के निर्देशन एवं ज्ञान के लिये जिलास्तर पर विशेषज्ञों की नियुक्तियां की जानी चाहिये जो अध्यापकों को विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों की जानकारी प्रदान करें।

अपनी उन्नति जानियें (Check Your Progress)

प्र. 9 राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने सतत् शिक्षा के लिये कितनी श्रेणियों की बात कही है-

(अ) एक (ब) दो (स) तीन (द) इनमें से कोई नहीं।

प्र. 10 सेवारत अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षण में रिसोर्स पर्सन के रूप में कौन व्यक्ति कार्य कर सकते है?

प्र. 11 अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के आयोजन का मूल्यांकन कितने स्तरों पर किया जाता है।

प्र. 12 विषयगत अध्यापकों के संघ के गठन की बात किसने कही है?

1.6 सारांश (Summery)

सेवाकालीन शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यतः अध्यापकों के मानवीकरण एवं मानविकी विकास के दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिये। इसके अतिरिक्त इसमें अध्यापक की व्यावहारिक कुशलता संघटनात्मक व्यवस्थापन जिसमें अध्यापक की भूमिका कालेज एवं स्कूल के सम्बन्धों को व्यापकता प्रदान करती है, को स्वामित्व प्रदान करना है। इसके अन्तर्गत अध्यापकों को अपनी प्रवृत्ति, ध्येय व्यवहार, मनोवृत्ति, खोज, मूल्य और विश्वास अल्प परामर्श समूह द्वारा सहायता की जाती है। एक बार तो अध्यापक कक्षा पद्धति व्यवहार को प्रमाणित करता है। इस प्रकार वह अनेकानेक प्रकार की अध्यापन प्रणालियों को आसानी से ग्रहण कर लेता है जो उसे विभिन्न शिक्षाशास्त्रीय उपागमों की आवश्यकताओं को स्वीकृति देती है।

1.7 शब्दावली (Glossary)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्- इस परिषद् की स्थापना केन्द्रीय सरकार ने 1 अप्रैल, 1961 को पूर्व स्थापित राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान, माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, राष्ट्रीय श्रव्य-दृश्य साधन संस्थान एवं पाठ्यपुस्तक ब्यूरो को मिलाकर, उनके स्थान पर की थी और इसे स्कूली शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन का कार्य भार सौंपा था। इसे संक्षेप में एन0सी0ई0आर0टी0 कहते हैं। इसका कार्यालय श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्- इस परिषद् की स्थापना 1973 में की गई थी। दिसम्बर 1993 में संसद में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एक्ट, 1993 पास कर इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया और 1995 में इस एक्ट के अनुसार इस परिषद् का पुनर्गठन किया गया।

विस्तार सेवा कार्यक्रम- इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत विद्यालय-प्रशिक्षण, महाविद्यालय अन्तर्सम्बन्ध विकास हेतु कार्यक्रम, विद्यालय उन्नयन योजना, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम विकास योजना, गहन कार्यशाला एवं अधिगम सामग्री प्रकाशन कार्यक्रम आदि सम्मिलित किये जा सकते हैं।

1.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Exercise Question)

उत्तर (1) 1948-49

(2) अध्यापकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण एवं प्रशासकीय समस्याएँ।

(3) डा० रवीन्द्र नाथ टैगोर

(4) पहला, शिक्षक की अपूर्णता सम्बन्धी कमियों को बाहर निकालकर जो उसके सेवा-पूर्व काल की शिक्षा के कारण उत्पन्न हुई, उपचार करना और दूसरा नवीन शिक्षण की भूमिका निर्वहन करने हेतु अध्यापक की दक्षता और शिक्षाशास्त्र की ज्ञान विधा को उन्नति की ओर अग्रसारित करना जिसकी आवश्यकता है।

उत्तर (5) सप्ताह अथवा पन्द्रह दिन में एक बार।

(6) कार्यगोष्ठियों में।

(7) एन0सी0टी0ई0 द्वारा।

(8) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर।

उत्तर (9) तीन।

(10) विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, महाविद्यालय के प्रोफेसर तथा राज्य स्तर के विद्यालयों के शिक्षाविद्।

(11) दो स्तरों पर।

(12) कोठारी आयोग ने।

1.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference)

अग्रवाल जे0सी0 (2007) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, शिप्रा पब्लिकेशन: विकासमार्ग शकरपुर दिल्ली

शुक्ला (डा0) सी0एस0 (2011) भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास, इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस: मेरठ

शर्मा (डा0) आर0ए0, चतुर्वेदी (डा0) शिखा (2009) अध्यापक शिक्षा, इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस: मेरठ

भट्टाचार्य (डा0) जी0सी0 (2012) अध्यापक शिक्षा, श्री विनोद पुस्तक मन्दिर: आगरा

जैन (श्रीमती) स्वाति, तायल वर्षा, डालचन्द (2008) भारत में शैक्षिक व्यवस्था का विकास, साधना प्रकाशन, रस्तोगी स्ट्रीट, सुभाष बाजार: मेरठ

सक्सेना एन0आर0, मिश्रा बी0के0, मोहन्ती आर0के0 (2008) अध्यापक शिक्षा, आर0 लाल बुक डिपो: मेरठ

लाल (प्रो0) रमन बिहारी, कान्त (डा0) कृष्ण (2013) भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, आर0 लाल बुक डिपो: मेरठ

1.10 सहायक/उपयोगी पाठ्यक्रम (Reference Book)

शर्मा (डा0) आर0ए0, चतुर्वेदी (डा0) शिखा (2009) अध्यापक शिक्षा, इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस: मेरठ

भट्टाचार्य (डा0) जी0सी0 (2012) अध्यापक शिक्षा, श्री विनोद पुस्तक मन्दिर: आगरा

सक्सेना एन0आर0, मिश्रा बी0के0, मोहन्ती आर0के0 (2008) अध्यापक शिक्षा, आर0 लाल बुक डिपो: मेरठ

1.11 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Question)

- प्र. 1 सेवारत् अध्यापक शिक्षा की मुख्य समस्याओं को बताइये।
- प्र. 2 सेवारत् अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों का वर्णन कीजिये।
- प्र. 3 भारत में कुल कितने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान या महाविद्यालय हैं? विस्तृत वर्णन कीजिये।
- प्र. 4 सेवारत् अध्यापक शिक्षा को किस तरह से प्रभावशाली बनाया जा सकता है? अपने सुझाव दीजिये।

इकाई 2 सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा Pre-Service Teacher Education

2.1 प्रस्तावना (Introduction)

2.2 उद्देश्य (Objectives)

2.3 पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिये अध्यापक शिक्षा (Teacher Education for Pre-Primary Education)

2.3.1 पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा की समस्याएँ (Problems of Pre-Primary Teacher Education)

2.3.2 पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा के लक्ष्य (Goals of Pre-Primary Teacher Education)

2.3.3 पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम (Syllabus for Pre-Primary Teacher Education)

अपनी उन्नति जानियें (Check your Progress)

2.4 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (प्रारम्भिक) शिक्षा के लिये अध्यापक शिक्षा (Teacher Education for Primary/Upper Primary (Elementary) Education)

2.4.1 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (प्रारम्भिक) अध्यापक शिक्षा की समस्याएँ (Problems of Primary/Upper Primary (Elementary) Teacher Education)

2.4.2 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (प्रारम्भिक) अध्यापक शिक्षा के लक्ष्य (Goals of Primary/ Upper Primary (Elementary) Teacher Education)

2.4.3 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (प्रारम्भिक) अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम (Syllabus for Primary/Upper Primary (Elementary) Teacher Education)

अपनी उन्नति जानियें (Check your Progress)

2.5 माध्यमिक शिक्षा के लिये अध्यापक शिक्षा (Teacher Education for Secondary Education)

2.5.1 माध्यमिक अध्यापक शिक्षा की समस्याएँ (Problems of Secondary Teacher Education)

2.5.2 माध्यमिक अध्यापक शिक्षा के लक्ष्य (Goals of Secondary Teacher Education)

2.5.3 माध्यमिक अध्यापक शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम (Syllabus for Secondary Teacher Education)

अपनी उन्नति जानियें (Check your Progress)

2.6 सारांश (Summery)

2.7 शब्दावली (Glossary)

2.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Exercise Question)

2.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference)

2.10 सहायक उपयोगी पाठ्यक्रम (Reference Book)

2.11 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Question)

2.1 प्रस्तावना (Introduction)

सेवा से पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम अध्यापक की व्यावसायिक तैयारी हेतु ऐसे कार्यक्रम है, जो न केवल सामान्य वर्ग गहन अध्ययन का अवसर प्रदान करते हैं। अतः ये कार्यक्रम व्यावसायिक ज्ञान, अवबोध, अभिवृत्तियों, अभिरूचियों तथा मूल्यों का आवृत करने के साथ-साथ अध्यापक को कार्याभिमुख भी बनाते हैं। व्यक्तिशः नियत कार्य आवंटन के प्रायोजनों द्वारा अधिकतर वृद्धि करने के उद्देश्य से तथा प्रशिक्षकों को आवश्यक कौशलों तथा आत्मनिर्देशित अधिगम तथा खुले तौर पर स्वप्रेरणा के पोषण हेतु यह आगमित तथा आमन्त्रित करने की एक प्रक्रिया है।

2.2 उद्देश्य (Objectives)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा सेवापूर्वकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से जिन अध्यापकीय गुणावलियों को समृद्ध कराना आवश्यक माना गया है वे हैं-

1. भारतीय संविधान में जिन राष्ट्रीय मूल्यों और लक्ष्यों के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है, भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं में सेवापूर्वकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें समृद्ध किये जाने की क्षमता का विकास करना।
2. भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं को आधुनिकरण और सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्मक के रूप में कार्य करने के लिये सक्षम बनाना।
3. सामाजिक दृढ़त्व, अन्तर्राष्ट्रीय अवबोध तथा मानवाधिकार एवं बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिये भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं को अनुभूतिप्रवण बनाना।

4. निर्धारित और पहचाने गये अध्यापकीय कार्यों को सम्पन्न करने के लिये दक्ष तथा प्रतिबद्ध शिक्षण उद्यमी के रूप में भावी अध्यापकों का विकास करना ।
5. प्रभावकारी अध्यापक और अध्यापिका बनने के लिये आवश्यक दक्षता एवं कौशल आदि को विकसित करना ।
6. भावी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं में अधिगमकर्ताओं की प्रगति का व्यापक तथा सतत् मूल्यांकन करने की तकनीक के कौशल का विकास करना ।
7. छात्रों के विशेष वर्गों (प्रतिभाशाली, मन्दबुद्धि तथा विकलांग) की आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रबन्ध करना ।
8. छात्रों के सर्वांगीण विकास के उत्थान हेतु विभिन्न प्रकार की सहपाठ्यचारी गतिविधियों की व्यवस्था करना ।
9. छात्रों की व्यक्तिगत, शैक्षिक तथा व्यावसायिक समस्याओं के समाधान हेतु निर्देशन प्रस्तुत करना ।
10. अध्यापक और अध्यापिकाओं में समाज के विकास सम्बन्धी कार्यविधियाँ, प्रसार सेवायें तथा समाज सेवा की भावना का विकास करना ।
11. अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा कार्मिक शिक्षा के समान क्षतिपूर्तिपरक तथा समान्तर शैक्षिक सेवा कार्यक्रम की व्यवस्था करने की योग्यता का विकास करना ।
12. आधुनिक उभरती हुई चुनौतियों जैसे- पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जनसंख्या, लिंग, साम्य कानूनी साक्षरता आदि के प्रति अध्यापक और अध्यापिकाओं को अनुभूतिप्रवण तैयार करना ।
13. सामाजिक यथार्थता के प्रति भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं में जागरूकता उत्पन्न करना ।
14. भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं में प्रबन्धनात्मक तथा संगठनात्मक कौशलों को विकसित करना ।
15. भारतीय सामाजिक-आर्थिक सन्दर्भ तथा शिक्षा की राष्ट्रीय विकास में भूमिका का निर्वाह करने की योग्यता का विकास करना ।

2.3 पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिये अध्यापक शिक्षा (Teacher Education for Pre-Primary Education)

भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा से तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा (6 से 9 आयुवर्ग के बच्चों की कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा) से पूर्व की शिक्षा से है, परन्तु अभी तक इसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं बन सका है, यहाँ पूर्व प्राथमिक शिक्षा के नाम पर किण्डर गार्टन (फ्रोबेल द्वारा स्थापित), नर्सरी और माण्टेसरी स्कूल चल रहे हैं और साथ ही इसी तर्ज पर शिशु विद्यालय और पूर्व प्राथमिक विद्यालय भी चल रहे हैं। कोठारी आयोग (1964-66) ने जिस पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था की सिफारिश की है वह 3 से 6 आयुवर्ग के शिशुओं की शिक्षा है। आज हमारे देश में सामान्यतः 3 से 6 आयुवर्ग के बच्चों की उस शिक्षा को जिसके द्वारा उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है, उनकी इन्द्रियों को प्रशिक्षित किया जाता है, उनमें अच्छी आदतों का निर्माण किया जाता है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है और प्राथमिक शिक्षा के लिये तैयार किया जाता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है।

पूर्व प्राथमिक अथवा पूर्व बाल्यकालीन स्तर हेतु कार्यक्रम के अन्तर्गत समाकलित बाल-विकास योजना (आँगनबाड़ी केन्द्र, दिवसीय देखभाल केन्द्र, बालवाड़ी, राज्य पूर्व प्राथमिक विद्यालय, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, स्वैच्छिक संगठन और व्यक्तिगत अभिकरण द्वारा संचालित योजनायें) सम्बद्धन प्रणाली को स्वीकृत किया गया। पूर्व प्राथमिक अथवा पूर्व विद्यालयी शिक्षा में बाल्यकालीन अथवा बाल सुलभ पालन पोषण के शैक्षिक कार्यक्रमों पर बल दिया गया है तथा बाल विकास के समेकित उद्देश्यों को महत्त्व प्रदान किया गया है। अतः इस स्तर की अध्यापक शिक्षा अत्यधिक उपादेय है। यह आयु समूह शिक्षा हेतु अति कठिन, निर्णायक किन्तु प्रज्ञान के चरम विकास का समय होता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की रूपरेखा इस प्रकार की होनी चाहिये कि विकास के समस्त अन्तर्सम्बन्धित आयामों, शारीरिक एवं गतिप्रेरक, प्रज्ञानात्मक एवं भाषात्मक, सामाजिक एवं नैतिक तथा भावात्मक एवं सौन्दर्यपरक की प्रतिपूर्ति समान रूप से हों। वस्तुतः इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य जैसा कि माण्टेसरी पद्धति (बालक और शिशुओं का पालन पोषण इस प्रकार किया जाना चाहिये जैसे कि बगीचे का बहुमूल्य पौधा हों) द्वारा बताया गया है उसी प्रकार ज्ञानेन्द्रियों को प्रशिक्षित करना है। इसके अतिरिक्त पूर्व प्राथमिक शिक्षा द्वारा उन अभावों को दूर करना है, विकृतियों को सही करना है, जो प्रारम्भिक जीवन में सामाजिक प्रतिकूलताओं और वंचनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के ये प्रतिपूर्ति तथा विकास सम्बन्धी कार्य हैं, जो छात्रों को पर्याप्त क्षमताओं, अभिवृत्तियों तथा समाधानों सहित तैयार करने के अतिरिक्त आगे आने वाली औपचारिक शिक्षा के लाभ भी सुनिश्चित करते हैं।

2.3.1 पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा की समस्यायें (Problems of Pre-Primary Teacher Education)

वर्तमान में हमारे देश में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के नाम पर अनेक प्रकार के पूर्व प्राथमिक शिक्षा विद्यालय और पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों में मुख्य है-पूर्व प्राथमिक बेसिक विद्यालय, सरस्वती शिशु मन्दिर, नूतन बाल शिक्षा मन्दिर, नर्सरी स्कूल और किण्डरगार्टन स्कूल और पूर्व बाल्यकाल परिचर्या केन्द्र। इनमें मुख्य है- आँगनबाडी और बालवाडी केन्द्र। इन सबमें जिस प्रकार की शिक्षिकाओं की आवश्यकता होती है, उसके लिये विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। विडम्बना यह है कि हमारे देश में अभी तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप ही निश्चित नहीं हुआ है। परिणाम यह है कि भिन्न-भिन्न प्रकार के पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा केन्द्रों पर कार्य करने वाली कार्यकर्मीयों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बड़ी भिन्नता है और आश्चर्य है कि इनमें प्रवेश पाने के लिये निम्नतम योग्यता भी भिन्न-भिन्न है, इनकी पाठ्यचर्या भी भिन्न-भिन्न है और इनकी प्रशिक्षण अवधि भी भिन्न-भिन्न है, जो एक सप्ताह से लेकर दो वर्ष तक की है। अब आवश्यकता इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के स्वरूप को निश्चित करने और इसकी विस्तार करने की है। इनके अलावा पूर्व प्राथमिक शिक्षा जिन-जिन समस्याओं का सामना कर रही है वो निम्नलिखित है-

1. केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों के शिक्षा बजटों का कम होना ।
2. पूर्व प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप निश्चित न होना ।
3. पूर्व प्राथमिक शिक्षा के मानक निश्चित न होना ।
4. विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी पूर्व प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों एवं केन्द्रों का होना ।
5. निजी संस्थाओं द्वारा चलायें जा रहे अधिकतर पूर्व प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों का उद्देश्य जनसेवा न होकर आर्थिक लाभ कमाना होना ।
6. देश में भिन्न-भिन्न प्रणालियों के भारतीय एवं यूरोपीय पद्धति के पूर्व प्राथमिक विद्यालयों का चलना ।
7. अंग्रेजी भाषा एवं खर्चीली शिशु शिक्षा के प्रति अभिभावकों का बढ़ता आकर्षण ।
8. दिन प्रति दिन शिक्षा का महत्व बढ़ना ।
9. देश में अधिकतर पूर्व प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों के पास आवश्यक भवन सुविधा न होना ।

10. पूर्व बाल्यकालीन प्राथमिक शिक्षा के लिये जो आँगनबाड़ी एवं बालबाडियाँ आदि केन्द्र चलाये जा रहे हैं उनका साधन विहीन होना।

11. पूर्व बाल्यकाल प्राथमिक शिक्षा के केन्द्रों पर कार्य करने वाली महिलाओं को शिक्षिकाओं का दर्जा न देना, उन्हें केवल कार्यकर्त्री कहना और उनके लिये किसी लम्बी अवधि के प्रशिक्षण की व्यवस्था न करना।

2.3.2 पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा के लक्ष्य (Goals of Pre-Primary Teacher Education)

भावी अध्यापकों के विकास कार्यक्रमों को निर्धारित करते समय निम्नलिखित मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिये-

1. बाल-विकास के सैद्धान्तिक अधिगम तथा सिद्धान्तों के समस्त आयाम तथा इसका सम्पूर्ण स्वरूप।
2. विकासोन्मुख कार्यविधियों को संयोजित एवं संगठित करने में प्रवीणता-विशेषतः प्रज्ञान, भाषा वैयक्तिक एवं सामाजिक विकासमय शिष्टाचार, आदतें, अभिवृत्तियाँ, सामाजिक सम्बन्ध-कौशल, स्वप्रबन्धन कौशल तथा सौन्दर्यपरक-प्रवणता आदि।
3. भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं में सम्प्रेषण कौशल का विकास करना।
4. सर्वशिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार समुदाय के साथ पारस्परिक सहयोगात्मक सम्पर्क स्थापन करने में भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को कुशल बनाना।
5. अध्ययन-अध्यापन के सम्बन्ध में शोधकार्य की उपादेयता को समझने और क्रियात्मक अनुसन्धान संचालित करने एवं नवाचारिक अभ्यासों को व्यवस्थित करने की क्षमता का विकास करना।
6. स्वास्थ्य-शिक्षा, बाल-पालन अभ्यास तथा बालकों के प्रति मातृ-सुलभ स्नेह एवं अधिगम प्रक्रियाओं को प्रभावित करने हेतु अभिवृत्तियाँ, मानव सम्बन्धों एवं सम्प्रेषण के कौशलों का विकास करना।
7. अधिगम की कठिनाइयों, निर्योग्यताओं तथा विकासात्मक अभावों के निदान की दक्षता का विकास करना।
8. प्रारम्भिक बाल्यावस्था की समेकित प्रकृति, देखभाल तथा शैक्षिक कार्यक्रमों के लक्ष्यों का अवबोध करना।

9. पर्यावरणीय घटकों की समझ जो विकास, व्यवहार, विभिन्न आवश्यकताओं तथा कठिनाइयों को समायोजित करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, का विकास करना।

10. उमंग, स्नेह, चिन्ता, देखभाल, सहायता-सेवा-तत्परता, धैर्य, छात्रों की रुचि, उनके तौर-तरीकों से सानिध्य करते हुये बालकों के प्रति उपयुक्त एवं आदर्शात्मक रुचि उत्पन्न करना।

संसार के भिन्न-भिन्न देशों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के भिन्न-भिन्न उद्देश्य निश्चित किये गये हैं। उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त में कोठारी आयोग 1964-64 ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित किये थे-

1. बच्चों का उचित पोषण और शारीरिक विकास करना।
2. बच्चों का स्वतन्त्र वातावरण में मानसिक विकास करना।
3. बच्चों की भाषा का विकास करना, उनका उच्चारण शुद्ध करना।
4. बच्चों का संवेगात्मक विकास करना और उनमें सौन्दर्य बोध उत्पन्न करना।
5. बच्चों का सामाजिक विकास करना, उन्हें अपने पर्यावरण को समझने और उसमें अनुकूलन करने में सहायता करना।
6. बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण करना और उन्हें अपने दैनिक कार्यों के सम्पादन में आत्मनिर्भर बनाना।
7. बच्चों की सृजनात्मक शक्तियों को जागृत करना।

वर्तमान में हमारे देश में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के यही उद्देश्य हैं, यह बात दूसरी है कि भिन्न-भिन्न प्रकार के पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में इनमें से भिन्न-भिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति पर भिन्न-भिन्न बल दिया जाता है।

2.3.3 पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम (Syllabus of Pre-Primary Teacher Education)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने इस दिशा में हमारा मार्गदर्शन किया है, उसने पूर्व प्राथमिक शिक्षा की कोई पाठ्यचर्या निश्चित नहीं की, बस उसके लिये निम्नलिखित कार्यक्रम निश्चित किये हैं-

1. बच्चों को खेलने के स्वतन्त्र अवसर दिये जाये, उन्हें पौष्टिक भोजन दिया जाये, उनके शरीर के अंगों को पुष्ट किया जाये और उनकी इन्द्रियों को प्रशिक्षित किया जाये।

2. बच्चों को सुनने और बोलने के स्वतन्त्र अवसर दिये जाये, उनकी घरेलू भाषा में सुधार किया जाये और उन्हें मातृभाषा के प्रयोग की ओर उन्मुख किया जाये।

उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये इस स्तर के लिये दिये गये सुझावात्मक पाठ्यक्रम के सैद्धान्तिक पक्ष में-

- उभरते हुये भारतीय समाज में शिक्षक,
- पूर्व-बाल्यकालीन शिक्षा-विस्तार क्षेत्र, प्रकृति, प्रस्थिति, समस्यायें तथा चुनौतियाँ,
- बाल-मनोविज्ञान तथा अधिगम,
- पूर्व-बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्रम का नियोजन, प्रबन्धन, प्रशासन ज्ञान,
- बच्चो के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सौन्दर्यानुभूतिपरक, भाषागत, सामाजिक, नैतिक प्रशिक्षण,
- तन्त्रिका-पेशीय समन्वयन,
- आत्म-अभिव्यक्ति,
- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता,
- आदत निर्माण,
- क्रिया अनुभूति प्रशिक्षण की विधियों से परिचित कराना।

प्रायोगिक पाठ्यक्रम

- चित्रांकन एवं पेन्टिंग,
- संगीत,
- सर्जनात्मक क्रियाकलाप,
- कहानी कथन,
- नृत्य-नाटक,
- खेल-शारीरिक क्रियाकलाप,
- भ्रमण,
- ब्लाक तैयार करने से सम्बन्धित खेल,
- विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों के लिये क्रियाकलाप आदि को सम्मिलित करने के लिये प्रस्ताव।

उपरोक्त पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुये इसके विकास हेतु भावी पूर्व प्राथमिक अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं में निम्नलिखित आवश्यक ज्ञान, कुशलता और योग्यता की अपेक्षा की जाती है-

1. शिशु शिक्षा का सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक ज्ञान,
2. वृद्धि एवं विकास के महत्वपूर्ण छात्र सम्बन्धी ज्ञान,
3. भारतीय आधार पर शिशु शिक्षा के ज्ञान को प्रसारित करने की दक्षता,
4. विद्यालय एवं अध्यापक परिवर्तित होने पर समाज को समझने की दक्षता,
5. विद्यालय और घर के मध्य मधुर सम्बन्धों को विकसित करने की दक्षता,
6. व्यर्थ समान से साधारण दृश्य-श्रव्य सामग्री को विकसित करने की दक्षता,
7. विभिन्न प्रकार के शैक्षिक अनुभवों को संगीत गतिविधियों, नाटक सम्बन्धी गतिविधियों, रचनात्मक क्रीडा कला, क्रीडा तथा कार्यानुभवों द्वारा विकसित करने की दक्षता,
8. औचित्यपूर्ण संचार व्यवस्था जैसे कहानियाँ सुनाना और उपाख्यान वर्णन करने की दक्षता,
9. भौतिक और भावनात्मक स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी शिक्षा शिशुओं को प्रदान कर स्वस्थ वातावरण बनाने की दक्षता,
10. शिशुओं की मानसिक वृद्धि तथा सम्पूर्ण विकास की प्रवृत्ति एवं दक्षता प्रदान करना आदि।

अपनी उन्नति जानियें (Check Your Progress)

- प्र. 1 पूर्व प्राथमिक शिक्षा में किस आयुवर्ग के बालक आते हैं?
- (अ) 6 से 14 वर्ष (ब) 3 से 6 वर्ष (स) 0 से 3 वर्ष (द) इनमें से कोई नहीं।
- प्र. 2 कोठारी आयोग (1964-66) ने जिस पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था की सिफारिश की है उसमें किस आयुवर्ग के बालक आते हैं?
- प्र. 3 फ्रोबेल द्वारा स्थापित विद्यालय का क्या नाम है?
- प्र. 4 रा0 शै0 अ0 प्र0 प0 ने पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में किन विषयों के समावेश की पुष्टि की है?
- (अ) उभरते हुये भारतीय समाज में शिक्षक (ब) बाल मनोविज्ञान (स) पूर्व-बाल्यावस्था देखभाल (द) ये सभी।

2.4 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (प्रारम्भिक) शिक्षा के लिये अध्यापक शिक्षा (Teacher Education for Primary/Upper Primary (Elementary) Education)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने इस स्तर की शिक्षा को प्राथमिक (कक्षा 1 से 5 तक) और उच्च प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 6 से 8 तक) के रूप में संरचित किया गया और इन दोनों ही स्तरों के लिये प्रस्तावित विशिष्ट उद्देश्य, पाठ्यचर्या आदि को प्रारम्भिक स्तर के लिये उपयोगी माना गया। 14-15 वर्ष तक के आयुवर्ग के बच्चों को इस स्तर में रखा गया।

2.4.1 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (प्रारम्भिक) अध्यापक शिक्षा की समस्याएँ (Problems of Primary/Upper Primary (Elementary) Teacher Education)

प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की व्यावहारिक क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में कतिपय समस्याएँ उत्तरदायी हैं। इन समस्याओं का समाधान किये बिना इस दिशा में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। अग्रलिखित पंक्तियों में प्राथमिक अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है-

1. प्राथमिक अध्यापक शिक्षा का दोषपूर्ण पाठ्यक्रम।
2. साधारणतः प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की शिक्षा संस्थायें विश्वविद्यालयों के शैक्षिक जीवन की धारा से अलग रही हैं।
3. साधारणतः प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की शिक्षा संस्थायें विद्यालयों की दैनिक समस्याओं से अलग रही हैं।
4. थोड़े से अपवादों को छोड़ दिया जाये तो सामान्यतः शिक्षा संस्थायें मध्यम या घटिया कोटि की ही होती हैं।
5. दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन।
6. शिक्षण अभ्यास के लिये नीरस तकनीकें।

2.4.2 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (प्रारम्भिक) अध्यापक शिक्षा के लक्ष्य (Goals of Primary/Upper Primary (Elementary) Teacher Education)

1. प्राथमिक स्तरोपयोगी मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रीय शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में भावी अध्यापकों के मध्य अवबोध का विकास करना ।
2. अध्यापकों में बच्चों के लिये अधिगम अनुभव को संगठित करने हेतु उपयुक्त संसाधनों से उन्हें परिचित कराना ।
3. बच्चों में जिज्ञासा, कल्पना तथा सृजनात्मकता को विकसित करने के लिये उन्हें उपयुक्त एवं आवश्यक कौशलों की सम्प्राप्ति हेतु सक्षम बनाना ।
4. सामाजिक और संवेगात्मक समस्याओं के विश्लेषण तथा अवबोध हेतु क्षमता को विकसित करना ।
5. अध्यापकों में विभिन्न प्रकार के खेलकूद, शारीरिक क्रियाकलाप एवं अन्य पाठ्य-सहगामी क्रियाओं के संगठन हेतु क्षमता का विकास करना ।
6. शिक्षा सम्बन्धी वांछनीय तथा विशिष्ट अधिगम समस्याओं तथा दुर्समायोजन प्रकरणों को खोजना, उनके निदान तथा उपयुक्त उपचार हेतु व्यवस्था करना ।
7. बहुखण्डी कक्षा-शिक्षण, वृहद् कक्षाओं तथा पंचमेल कक्षाओं को निबटने में दक्षता उत्पन्न करना ।
8. नामांकन, अवरोध में सम्वर्धन हेतु आवश्यक अभिवृत्तियाँ, क्षमतायें एवं विद्यालय अलगाव द्वारा उत्पन्न अपव्यय को रोकना ।
9. अन्य शिक्षा सेवाओं की व्यवस्था करना जैसे- प्रौढ़ शिक्षा, जनजाति शिक्षा तथा कन्या शिक्षा में योगदान हेतु अभिवृत्तियाँ उत्पन्न करना ।
10. बाल-व्यक्तित्व की रचना में गृह-विद्यालय सम्बन्ध के विकास का अवबोध उत्पन्न करना ।

2.4.3 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (प्रारम्भिक) अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम (Syllabus for Primary/Upper Primary (Elementary) Teacher Education)

जैसा कि हम जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा दो चरणों में कक्षा 1 से 5 तक तथा कक्षा 6 से 8 तक में प्रदान की जाती है। प्राथमिक शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम में आवश्यक रूप से एक भाषा समाहित की जाती है। उदाहरण के लिये, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, गणित पर्यावरण शिक्षा जो विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन पर आधारित हो, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा कार्यानुभव पर आधारित हो इत्यादि। एक ही अध्यापक जो कि प्राथमिक शिक्षा हेतु नियुक्त है, सभी शैक्षिक विषय जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा आदि का शिक्षण छात्रों को प्रदान करता है। सम्पूर्ण शिक्षणविधि और प्रयास, मजबूत विकास अभिविन्यास से परिलक्षित होकर छात्र केन्द्रित शिक्षा पर जोर देते हैं।

प्रत्येक अध्यापक से आशा की जाती है कि वह एक या दो शिक्षा विषयों जैसे स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्यानुभव सहित कला शिक्षा। इस प्रकार समस्त अध्यापकों से यह आशा की जाती है कि वे अपना ध्यान आवश्यक रूप से एकीकृत शिक्षा के अध्ययन पर केन्द्रित करे, जिससे इस श्रेणी के विकलांग छात्रों को उचित शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त, अध्यापकों का सहयोग कम से कम एक क्षेत्र में जैसे- प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं जनसंख्या शिक्षा देकर अपना योगदान दे। इसके अतिरिक्त अध्यापकों का योगदान जनजातीय शिक्षा, स्त्री शिक्षा और पुस्तकालय शिक्षा पर होना चाहिये।

पाठ्यक्रम प्रारूप: सैद्धान्तिक क्षेत्र

- भारतीय विकासशील (उभरते) समाज में शिक्षक,
- भारत में प्राथमिक शिक्षा प्रस्थिति, समस्याएँ एवं चुनौतियाँ,
- बच्चों के लिये शिक्षण और अधिगम का मनोविज्ञान,
- आकलन, मूल्यांकन और सुधारात्मक शिक्षण,
- स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा,
- विद्यालय प्रबन्धन,
- विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा,
- मार्गदर्शन और परामर्श,
- प्राथमिक विद्यालयों के लिये विषयगत क्षेत्र,
- क्रियात्मक अनुसंधान।

शिक्षण अभ्यास

- प्राथमिक विद्यालयीय विषयों का व्यावहारिक विश्लेषण,
- विद्यालयों में शिक्षण अभ्यास,
- प्रतिमान पाठों का निरीक्षण।

प्रायोगिक कार्य

- विद्यालयीय अनुभव जिसमें इण्टर्नशिप भी शामिल हो,
- कार्य-शिक्षा,
- विद्यालय समुदाय अन्तर्क्रिया,
- क्रियात्मक शोध अध्ययन (नियोजन और क्रियान्वयन),
- सम्बन्धित शैक्षिक क्रियाओं का संगठन।

पाठ्यक्रम के स्थानान्तरण या प्रस्तुतिकरण हेतु अन्तर्क्रियात्मक, सहभागितामूलक और क्रियाप्रधान उपागम को महत्व देने पर बल दिया गया है। सैद्धान्तिक भाग के लिये व्याख्यान सहआलोचना, स्वाध्याय उपागम, संगोष्ठी, मीडिया-सहायित शिक्षण, अनुवर्ग शिक्षण और प्रायोगिक कार्यों को जरूरी माना गया। शिक्षणशास्त्रीय विश्लेषण या पैडागॉजिकल एनालिसिस को शिक्षण अभ्यास आदि के लिये उपयोगी माना गया जबकि प्रायोगिक कार्य के लिये निरन्तर मूल्यांकन-विश्लेषण-नियन्त्रण (मॉनीटरिंग)-मूल्यांकन श्रृंखला का उपयोग करना सम्पूर्ण पाठ्यक्रमावधि के लिये अधिक उपयोगी माना गया।

इस प्रकार यह विशेष प्रशिक्षण छात्रों को जे0बी0टी0/डी0एड0 के नाम से डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करता है। फलतः अध्यापक शिक्षा इस शैक्षिक स्तर पर निम्नलिखित दक्षतायें और योग्यतायें प्राथमिक स्तर के अध्यापकों में विकसित करती है-

1. मातृभाषा, प्रथम भाषा के रूप में और हिन्दी राष्ट्रीय भाषा के रूप में अथवा अन्य कोई क्षेत्रीय भाषा यदि हिन्दी मातृभाषा हो तो उसके शिक्षण में दक्षता प्रदान करना।
2. गणित और पर्यावरण अध्ययन (जिसमें भौतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान सम्मिलित हो) के शिक्षण में दक्षता प्रदान करना।
3. उपर्युक्त विषयों के शिक्षण के लिये शैक्षिक अनुभवों की द्वारा संचालन की दक्षता।

4. मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त जो छात्रों के विकास एवं वृद्धि से ओत-प्रोत हों और 6 से 14 वर्ष आयुवर्ग के छात्रों के विकास को विकसित करने का ज्ञान ।
5. क्रियात्मक अनुसंधान का दायित्व सम्भालने की दक्षता प्रदान करना ।
6. अध्यापक एवं विद्यालय में मनोवांछित परिवर्तन लाने की दिशा में भूमिका का ज्ञान ।
7. सैद्धान्तिक और व्यावहारिक ज्ञान, स्वास्थ्य, शरीर विज्ञान, मनोरंजन क्रियाओं, कला कार्यानुभवों और संगीत से सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त करना ।
8. सीखने के प्रमुख सिद्धान्त, जोकि शैक्षिक वातावरण, मस्तिष्क संचालन एवं प्रवृत्ति सन्तुलन को उन्नत करने का ज्ञान प्राप्त करते हों ।

इस प्रकार प्राथमिक विद्यालय स्तर की शिक्षा देने हेतु अध्यापकों की तैयारी एक या दो विशेष क्षेत्रों में अध्यापकों का सहयोग वांछित होता है, साथ ही छात्रों के स्वास्थ्य निर्माण हेतु अध्यापकों को शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण देना आवश्यक है ।

अपनी उन्नति जानियें (Check Your Progress)

प्र. 5 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (प्रारम्भिक) शिक्षा में किस आयुवर्ग के बालक आते हैं?

(अ) 6 से 14 वर्ष (ब) 3 से 6 वर्ष (स) 0 से 3 वर्ष (द) इनमें से कोई नहीं।

प्र. 6 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (प्रारम्भिक) अध्यापक शिक्षा का कोई एक लक्ष्य बताइयें ।

प्र. 7 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (प्रारम्भिक) शिक्षा के लिये अध्यापक शिक्षा के प्रायोगिक पाठ्यक्रम में किन-किन क्रियाओं को स्थान दिया गया है?

प्र. 8 रा0 शै0 अ0 प्र0 प0 ने प्राथमिक शिक्षा को कितने भागों में सरंचित किया है?

2.5 माध्यमिक शिक्षा के लिये अध्यापक शिक्षा (Teacher Education for Secondary Education)

माध्यमिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है, 'मध्य की शिक्षा'। यदि प्राथमिक शिक्षा को शिक्षा का प्रथम सोपान माना जाये और विश्वविद्यालय शिक्षा को शिक्षा का तीसरा अथवा अन्तिम सोपान माना जायें तो माध्यमिक शिक्षा को दूसरा सोपान अथवा इन दोनों के बीच की कड़ी कहा जा सकता है। भारत में माध्यमिक शिक्षा के प्रायः चार रूप देखने को मिलते हैं- (1) कक्षा 8 से 10 जिसे हाई स्कूल भी कहते हैं, (2) सेकेण्डरी शिक्षा, 9 से 11, (3) सीनियर सेकेण्डरी शिक्षा कक्षा 11 तथा 12 एवं (4) कक्षा 9 से 12। हमारे देश में प्राचीन और मध्यकाल में शिक्षा केवल दो स्तरों में

विभाजित रही-प्राथमिक और उच्च। इस देश में माध्यमिक शिक्षा का श्रीगणेश आधुनिक युग में ईसाई मिशनरियों ने किया। सर्वप्रथम तो उन्होंने यहाँ प्राथमिक विद्यालय खोले, उसके बाद उन्होंने प्राथमिक शिक्षा उत्तीर्ण बच्चों के लिये अंग्रेजी माध्यम के माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की। दूसरी तरफ ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी अपने कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिये माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की। परन्तु यह माध्यमिक शिक्षा आज की माध्यमिक शिक्षा से भिन्न थी। भारत में आधुनिक माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप निश्चित करने में सबसे बड़ी भूमिका वुड के घोषणा पत्र, 1954 की रही।

प्रायः इस स्तर की अध्यापक शिक्षा के लिये बी०एड० अथवा एल०टी० की उपाधि दी जाती है चाहे वह प्रारम्भिक वर्ग के लिये हो या सामान्य माध्यमिक वर्ग हेतु या विशिष्ट शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा माध्यम से ही क्यों न प्रदान किया जाता हो।

2.5.1 माध्यमिक अध्यापक शिक्षा की समस्याएँ (Problems of Secondary Teacher Education)

भारत में माध्यमिक अध्यापक शिक्षा में सुधार का कार्य ब्रिटिश शासन काल में ही शुरू हो गया था। स्वतन्त्र होने के बाद 1952 में हमारी केन्द्रीय सरकार ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव देने के लिये माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसे मुदालियर कमीशन कहा जाता है, का गठन किया। अध्यापकों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुये माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा, "हमें विश्वास हो गया है कि यदि अध्यापकों की वर्तमान मनोस्थिति तथा निराशा को दूर करना है तथा शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का वास्तविक साधन बनाना है तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि उनकी स्थिति तथा सेवा-शर्तों में सुधार किया जाये"। इस आयोग ने तत्कालीन माध्यमिक अध्यापक शिक्षा का गहराई से अध्ययन किया और उसमें निम्नलिखित दोष पाये-

1. माध्यमिक अध्यापक शिक्षा की उद्देश्यहीनता।
2. माध्यमिक अध्यापक शिक्षा की अनुपयुक्त पाठ्यचर्या।
3. माध्यमिक अध्यापक शिक्षा के स्तर में एकरूपता का अभाव।
4. माध्यमिक स्तर के शिक्षकों का अनुपयुक्त प्रशिक्षण।
5. माध्यमिक स्तर पर दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली।

2.5.2 माध्यमिक अध्यापक शिक्षा के लक्ष्य (Goals of Secondary Teacher Education)

1. भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं में माध्यमिक शिक्षा की प्रकृति, सामान्य सिद्धान्तों, उद्देश्यों और दर्शन को समझने की क्षमता का विकास करना।
2. छात्र-मनोविज्ञान अवबोध का उनमें विकास करना।
3. माध्यमिक स्तरीय शिक्षा अध्ययन के अनुकूल पाठ्य विषयों, मौलिक प्रकृति, स्वरूप तथा शिक्षण पद्धतियों का अवबोध।
4. विषय के शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण में प्रवीणता एवं शिक्षण अधिगम इकाईयों का संयोजन।
5. मार्गदर्शन और परामर्श देने के कौशल को उनमें विकसित करना।
6. अधिगमकर्ता केन्द्रित कार्यकलाप पर आधारित अन्तःक्रिया, शिक्षण अधिगम की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के मीडिया संसाधन प्रयोग करने में प्रवीणता उत्पन्न करना।
7. ज्ञान की पुनर्संरचना हेतु छात्रों के मध्य सृजनात्मक चिन्तन को प्रोत्साहित करने में उन्हें सक्षम बनाना।
8. कुछ पाठ्यक्रमीय कार्यकलापों को संगठित करना तथा उनको निर्देशित करने में प्रवीणता उत्पन्न करना।
9. शैक्षिक प्रणाली तथा कक्षाकक्ष परिस्थितियों को प्रभावित करने वाले कारक और शक्तियों से उन्हें परिचित कराना।
10. सामुदायिक संसाधनों का शैक्षिक अदा के रूप में उपयोग करने के लिये उन्हें सक्षम बनाना।
11. शैक्षिक, व्यावसायिक स्वचयन तथा सर्वसामान्य व्यक्तिगत समस्याओं के प्रति निर्देशन एवं परामर्श हेतु अभिवृत्ति एवं ज्ञान कौशल उत्पन्न करना।

2.5.3 माध्यमिक अध्यापक शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम (Syllabus for Secondary Teacher Education)

माध्यमिक अध्यापकों से यह आशा की जाती है कि वह एक या दो आवश्यक विषयों में दक्षता विशेष रूप से प्राप्त करें, जिससे उन्हें इस स्तर पर विषय शिक्षण की विधियों पर आधिपत्य प्राप्त हो सके। ऐसे अध्यापकों को व्यक्तिगत भिन्नताओं, विभिन्न प्रकार के छात्रों की अपवादात्मक विशेष आवश्यकताओं, शैक्षिक एवं व्यावसायिक परामर्श एवं निर्देशन कार्य एवं जनजातीय शिक्षा,

प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय सेवा, विद्यालय प्रबन्ध और सामुदायिक सेवाओं इत्यादि पर प्रशिक्षण प्राप्त कर उचित प्रबन्ध करने की क्षमता प्राप्त करना आवश्यक है। इस कार्य की पूर्णता के लिये राज्य शिक्षा विभाग और विद्यालय प्रबन्ध तंत्र को प्रशिक्षित स्नातकों की आवश्यकता होगी, उनका प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद हेतु चयन किया जा सके। इसके अतिरिक्त, एक समान योग्यता रखने वाले प्रशिक्षित स्नातकों की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद हेतु चयन किया जा सके। माध्यमिक स्तर हेतु अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जायेगा।

स्नातक शिक्षा के उपरान्त एक वर्षीय पाठ्यक्रम घटक

1. आधारिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले विषय
 - उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा (दार्शनिक और सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर)
 - शिक्षा मनोविज्ञान (छात्र विकास स्तर-शिक्षा एवं समायोजन)
 - विषय से सम्बन्धित विशेषज्ञता वाले विषय
 - माध्यमिक शिक्षा एवं अध्यापक कार्य
 - विशेष योग्यता दक्षता शिक्षण विधि
 - अन्य सेकेण्डरी विषयों में शिक्षण दक्षता, जो प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर प्रभावी हो।

3. अतिरिक्त विशेष योग्यता दक्षता

प्रौढ़ शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, पुस्तकालय शिक्षा, जनजातीय शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा आदि

4. प्रायोगिक कार्य

- आन्तरिक प्रशिक्षण (क्षेत्र कार्य)
- सामुदायिक एवं समाज सेवा कार्य

माध्यमिक स्तर के अध्यापकों से यह आशा की जाती है कि उनमें विशेष दक्षता और योग्यतायें होनी चाहियें ताकि वे स्वयं अध्यापक दक्षता का विकास करके माध्यमिक स्तर का शिक्षण दे सकें। इस कार्य की सम्पन्नता हेतु माध्यमिक स्तर के शिक्षकों में निम्नलिखित कुशलतायें एवं योग्यतायें होना अत्यन्त आवश्यक है-

1. छात्राध्यापकों को कम से कम दो विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त कराकर, इन विषयों के शिक्षण की क्षमता प्रदान करना।

2. विशेषज्ञता प्राप्त दक्ष एवं योग्य अध्यापक की देख-रेख में छात्रों के सर्वांगीण विकास की गति में वृद्धि करना।
3. स्वास्थ्य एवं शारीरिक विज्ञान, मनोरंजन क्रियाओं और कार्यानुभव के लिये सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान की वृद्धि करना।
4. मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों जिनके द्वारा 11 से 17 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की वृद्धि और विकास हेतु ज्ञान अर्जन करना।
5. प्रमुख महत्वपूर्ण शिक्षा के सिद्धान्तों द्वारा संज्ञानात्मक मस्तिष्क संचालन और मनोवृत्ति के आधार पर दृष्टिकोण बनाने का ज्ञान।
6. छात्रों में निर्देशन, परामर्श की दक्षता उत्पन्न करके उनकी अति व्यक्तिगत, शैक्षिक एवं व्यावसायिक समस्याओं का समाधान कर प्रगति के मार्ग की ओर अग्रसर करना।
7. क्रियात्मक अनुसंधान और अन्वेषण प्रायोजना के प्रबन्ध की योग्यता उत्पन्न करना।
8. अध्यापक एवं विद्यालय की भूमिका का ज्ञान प्राप्त करना, जिससे इच्छित सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न कर सकें और
9. घर एवं समुदाय की भूमिका का ज्ञान कराना, जिससे उन्हें छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण कर अहम् सम्बन्धों की ओर अग्रसर करना।

इस प्रकार अध्यापकों से यह आशा की जाती है कि वे स्वयं में उपर्युक्त योग्यतायें एवं दक्षतायें पैदा कर सकें और माध्यमिक स्तर के छात्रों के अध्यापन को सम्पन्न कर सकें।

अपनी उन्नति जानियें (Check Your Progress)

- प्र. 9 माध्यमिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है?
- प्र. 10 हाई स्कूल के अन्तर्गत निम्न में से कौन सी कक्षाएँ आती है?
- (अ) कक्षा 8 से 10 तक (ब) कक्षा 9 से 11 तक (स) कक्षा 9 से 12 तक (द) कक्षा 11 से 12 तक।
- प्र.11 माध्यमिक स्तर के शिक्षकों में कौन-कौन सी कुशलतायें एवं योग्यतायें होना अत्यन्त आवश्यक है?
- प्र. 12 “किशोरावस्था बड़े तनाव और तूफान की अवस्था है” किसने कहा है?

2.6 सारांश (Summery)

संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि शिक्षा के तीनों स्तरों यथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिये भावी अध्यापकों की बात करते समय यह ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ एक ओर पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिये अध्यापकों की बात आती है वहाँ हमारे देश भारत में इनके प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है इस स्तर की शिक्षा का दायित्व अप्रशिक्षित आँगनबाडियों एवं बालबाडियों को सौंप कर सरकार ने अपने दायित्व की पूर्ति कर दी है। इसके दो मुख्य कारण हैं-पहला सरकार के पास संसाधनों की कमी और दूसरा देश की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। इसका एक ही हल दिखायी पड़ता है कि सरकार को वर्तमान में केवल प्राथमिक विद्यालयों के साथ दो वर्षीय शिशु शिक्षा पाठ्यक्रम को जोड़ देना चाहिये, यह यूरोपीय प्रणाली के नर्सरी, एल0के0जी, और यू0के0जी0 और भारतीय प्रणाली के शिशु 'अ' और शिशु 'ब' के समान होना चाहिये। वहीं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिये भावी अध्यापकों को नियुक्ति करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जिस प्रशिक्षण संस्थान से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसमें प्रशिक्षण सम्बन्धी सभी सुविधायें प्राप्त हुई है या नहीं।

2.7 शब्दावली (Glossary)

प्राथमिक शिक्षा- संविधान द्वारा संविधिक नियमित शिक्षा का प्रथम सोपान।

कोठारी कमीशन- सरकार की शिक्षा सम्बन्धी नीतियों, शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिमान एवं शिक्षा के हर क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं पर विचार करने एवं अपनी सलाह सरकार को देने के लिये 1964 में गठित किया गया कमीशन।

आँगनबाडी केन्द्र- सरकार द्वारा सहायता प्राप्त ऐसे केन्द्र जहाँ प्राथमिक कक्षाओं से पहले बच्चों को अक्षर ज्ञान के साथ-साथ अल्पाहार भी कराया जाता है।

2.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Exercise Question)

उत्तर (1) 3 से 6 वर्ष

(2) 3 से 6 वर्ष

(3) किण्डर गार्टन

(4) उपरोक्त सभी

उत्तर (5) 6 से 14 वर्ष

(6) प्राथमिक स्तरोपयोगी मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रीय शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में भावी अध्यापकों के मध्य अवबोध का विकास करना।

(7) विद्यालयीय अनुभव जिसमें इण्टर्नशिप भी शामिल हो।

(8) रा0 शै0 अ0 प्र0 प0 ने इस स्तर की शिक्षा को प्राथमिक (कक्षा 1 से 5 तक) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8 तक) के रूप में सरंचित किया गया।

उत्तर (9) मध्य की शिक्षा

(10) कक्षा 8 से 10 तक

(11) मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों जिनके द्वारा 11 से 17 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की वृद्धि और विकास हेतु ज्ञान अर्जन करना।

(12) जी0 एस0 हाल

2.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference)

अग्रवाल जे0सी0 (2007) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, शिप्रा पब्लिकेशन: विकासमार्ग शकरपुर दिल्ली

शुक्ला (डा0) सी0एस0 (2011) भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास, इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस: मेरठ

शर्मा (डा0) आर0ए0, चतुर्वेदी (डा0) शिखा (2009) अध्यापक शिक्षा, इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस: मेरठ

भट्टाचार्य (डा0) जी0सी0 (2012) अध्यापक शिक्षा, श्री विनोद पुस्तक मन्दिर: आगरा

जैन (श्रीमती) स्वाति, तायल वर्षा, डालचन्द (2008) भारत में शैक्षिक व्यवस्था का विकास, साधना प्रकाशन, रस्तोगी स्ट्रीट, सुभाष बाजार: मेरठ

सक्सेना एन0आर0, मिश्रा बी0के0, मोहन्ती आर0के0 (2008) अध्यापक शिक्षा, आर0 लाल बुक डिपो: मेरठ

लाल (प्रो0) रमन बिहारी, कान्त (डा0) कृष्ण (2013) भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, आर0 लाल बुक डिपो: मेरठ

2.10 सहायक/उपयोगी पाठ्यक्रम (Reference Book)

शर्मा (डा०) आर०ए०, चतुर्वेदी (डा०) शिखा (2009) अध्यापक शिक्षा, इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस: मेरठ

भट्टाचार्य (डा०) जी०सी० (2012) अध्यापक शिक्षा, श्री विनोद पुस्तक मन्दिर: आगरा

सक्सेना एन०आर०, मिश्रा बी०के०, मोहन्ती आर०के० (2008) अध्यापक शिक्षा, आर० लाल बुक डिपो: मेरठ

2.11 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Question)

प्र. 1 सेवापूर्व कालीन अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों को बताते हुये उनकी उपयुक्तता के बारे में स्पष्टीकरण दीजिये।

प्र. 2 भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं का विस्तार से वर्णन करो।

प्र. 3 भारत में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (प्रारम्भिक) कक्षाओं के लिये रा० शै० अ० प्र० प० द्वारा बतलाया गया अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है?

प्र.4 माध्यमिक स्तर के लिये अध्यापकीय शिक्षा के क्या उद्देश्य है

इकाई 3 दूरस्थ माध्यम में अध्यापक शिक्षा Teacher Education through ODL system

- 3.1 प्रस्तावना
- 3.2 दूरवर्ती माध्यम में अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम
- 3.3 दूरवर्ती अध्यापको हेतु अध्यापक शिक्षा
 - 3.3.1 अध्यापक स्तर हेतु दूरवर्ती शिक्षा
 - 3.3.2 अध्यापक स्तर हेतु दूरवर्ती शिक्षा की आवश्यकता
- 3.4 अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य
अपनी उन्नति जानियें
- 3.5 दूरवर्ती अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु प्रक्रिया
 - 3.5.1 दूरवर्ती अध्यापक शिक्षा हेतु प्रशिक्षक की योग्यता
 - 3.5.2 दूरवर्ती शिक्षा में अध्यापक शिक्षा का प्रशिक्षण कार्यक्रम
 - 3.5.3 प्रशिक्षण मॉडल
अपनी उन्नति जानियें
- 3.6 सारांश
- 3.7 शब्दावली
- 3.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 3.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 3.10 निबन्धात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना (Introduction)

दूरवर्ती शिक्षा, औपचारिक शिक्षा की एक वैकल्पिक प्रणाली है। दूरवर्ती शिक्षा प्रभावशाली तथा समय, धन व शक्ति की दृष्टि से मितव्ययी प्रणाली है उच्च शिक्षा अधिक महंगी है। भारतीय सविधान में सभी को समान शिक्षा के अवसरों का प्रावधान किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार दूरवर्ती माध्यम से अध्यापक शिक्षा को सामाजिक व राष्ट्रीय विकास का सदैव से ही सर्वाधिक प्रभावी साधन माना जाता है। भारतीय सन्दर्भ में, इस अवधारणा को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गठित आयोगों तथा समितियों ने भी मान्यता दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत अध्यापकों के स्तर एवं व्यावसायिक सुधार हेतु संस्तुतियों ने अनेक सुझाव दिये हैं। इस नीति के कार्यान्वयन में दूरवर्ती शिक्षा की भूमिका का विशेष महत्व दिया है इस की प्रमुख विशेषतायें इस सन्दर्भ में अधोलिखित हैं-

1. आज बड़ी संख्या में अध्यापक-शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है।
2. दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली में भी अध्यापकों तथा प्रशिक्षकों की आवश्यकता रहती है औपचारिक प्रशिक्षकों तथा अध्यापकों का स्थान दूरवर्ती शिक्षा कभी भी नहीं ले सकती है। अनुदेशन सामग्री की रचना प्रभावशाली शिक्षक ही कर सकते हैं। दूरवर्ती शिक्षा में केवल सम्प्रेषण के लिये प्रभावशाली माध्यमों का उपयोग किया जाता है।
3. दूरवर्ती शिक्षा की मुख्य अवधारणा यह है कि अध्यापक-शिक्षा की व्यवस्था अनौपचारिक विधियों द्वारा भी की जा सकती है।
4. दूरवर्ती शिक्षा एक नवीन शिक्षा के विकल्प के रूप में विकसित हुई है। यह अन्तः प्रक्रिया शिक्षण से भिन्न प्रकार की अनुदेशन प्रणाली है जिसमें माध्यमों से सम्प्रेषण को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।
5. औपचारिक शिक्षा में शिक्षण विधियों तथा प्रविधियों को ही महत्व दिया जाता है मुख्य माध्यम ही सभी में प्रयुक्त किया जाता है। दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से भी शिक्षण विधियों तथा प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है।
6. दूरवर्ती शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य सम्प्रेषण होता है जबकि औपचारिक शिक्षा में प्रस्तुतिकरण का महत्व दिया जाता है सामान्यतः उद्देश्य दोनो के एक से ही होते हैं परन्तु शिक्षण प्रक्रिया समान नहीं है।

इस अध्यापक-शिक्षा के कार्यक्रम तथा नियोजन में दो प्रकार की व्यवस्था की जाने लगी है-

1. अन्तः प्रक्रिया हेतु अध्यापक-शिक्षा परम्परागत प्रशिक्षण

2. अध्यापन में सम्प्रेषण हेतु अध्यापक-शिक्षा दूरवर्ती शिक्षा

अन्तः प्रक्रिया शिक्षण हेतु अध्यापक-शिक्षा की व्यवस्था के साथ साथ दूरवर्ती शिक्षा द्वारा भी अध्यापक-शिक्षा की व्यवस्था की जाती है तथा इसके विपरीत दूरवर्ती शिक्षा में अध्यापक-शिक्षा के साथ साथ अन्तः प्रक्रिया शिक्षण के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाती है।

3.2 दूरवर्ती माध्यम में अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम

1. सम्प्रेषण प्रक्रिया का प्रशिक्षण,
2. माध्यमों का उपयोग किया जाता है,
3. पाठ्यवस्तु का सम्प्रेषण करना,
4. अनुदेशन सामग्री लिखित होती है,
5. ज्ञानात्मक तथा कुछ क्रियात्मक उद्देश्य प्राप्त किये जाते हैं,
6. मुद्रित तथा अमुद्रित माध्यमों का उपयोग किया जाता है,
7. व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम अध्ययन केन्द्र तथा केन्द्र सहायक प्रणाली होती है।

3.3 दूरवर्ती अध्यापकों हेतु अध्यापक शिक्षा

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि दोनो प्रकार की अध्यापक-शिक्षा में अन्तर है इसलिये दूरवर्ती शिक्षा हेतु अध्यापक शिक्षा के स्वरूप तथा उद्देश्यों की भिन्नता की दृष्टि से भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

दूरवर्ती शिक्षा के अध्यापक तथा छात्रों के मध्य अधिक दूरी होती है, इसलिये बहुमाध्यम आयाम को अपनाया जाता है। अनुदेशन की तैयारी समुचित रूप में विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। शिक्षा प्रणाली में सम्प्रेषण तथा संचार पत्राचार तथा अमुद्रित माध्यमों द्वारा ही किया जाता है। दूरवर्ती शिक्षा का लक्ष्य छात्र वर्ग को स्वतः अध्ययन की सुविधा प्रदान करना होता है।

दूरवर्ती शिक्षा की अपनी सीमायें होते हुये भी व्यावहारिकता अधिक है, क्योंकि इस प्रणाली के द्वारा सभी को शिक्षा ग्रहण करने के अवसर तथा सुविधायें प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन का सार यह है कि-

1. दूरवर्ती शिक्षा की अपनी विशेषता तथा प्रकृति है,

2. इसमें विविध प्रकार के बहुमाध्यमों को प्रयुक्त किया जाता है,
3. यह प्रणाली शिक्षा के विकास हेतु उन्मुख करती है,
4. यह प्रणाली अधिक लचीली है, इसलिये विकास की आवश्यकता है।

3.3.1 अध्यापक स्तर हेतु दूरवर्ती शिक्षा

इन प्रकरणों के सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि यदि भविष्य में दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली, औपचारिक शिक्षा का विकल्प हो सकता है, तब ऐसी स्थिति में अध्यापक प्रशिक्षण हेतु दूरवर्ती शिक्षा को एक विकल्प के रूप में मान्यता दी जाती है, अपितु इसे द्वितीय स्तर की शिक्षा ही मानते हैं। अध्यापक-शिक्षा हेतु दूरवर्ती शिक्षा का प्रयोग किया जा रहा है, किन्तु इसे अच्छा नहीं माना जाता है, यहां तक की कई विश्वविद्यालय तथा कार्यदायी संस्थायें इसे मान्यता भी नहीं देती हैं।

अन्य सुझाव यह है, दूरवर्ती शिक्षा अध्यापक प्रशिक्षण हेतु एक प्रणाली के रूप में प्रभावी हो सकती है। सेवारत अध्यापकों को दूरवर्ती शिक्षा द्वारा प्रशिक्षण का अवसर दिया जा सकता है, जिससे अध्यापक शिक्षण का सैद्धान्तिक पक्ष का ज्ञान अर्जित कर सकें। इसके द्वारा उनके व्यावसायिक कार्यों में कौशल का विकास होता है और अपने उत्तरदायित्वों एवं भूमिकाओं की जानकारी होती है।

यह सुझाव न्याय संगत है, यद्यपि ऊपरी तौर पर दूरवर्ती शिक्षा संस्थायें आज तक 18 साल से अधिक पुरानी होने का दावा नहीं कर सकती। अतः यह सुझाव देना असमायिक होगा कि इस प्रणाली में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों ने अपने व्यावसायिक जीवन को बिताना नहीं अथवा बिताने नहीं जा रहे हैं।

3.3.2 अध्यापक स्तर हेतु दूरवर्ती शिक्षा की आवश्यकता

अध्यापकों को सेवाकालीन शिक्षा और प्रशिक्षण देने की आवश्यकता शैक्षिक ढांचे, पाठ्यचर्या और उसके संचालन की तकनीकों, मूल्यांकन प्रणाली, प्रबन्ध प्रक्रिया आदि में हुये परिवर्तनों और अपने ज्ञान को अद्यतन बनाने की अध्यापकों की इच्छा के कारण होती है। अध्यापकों का व्यावसायिक जीवन और उनका विकास, पूर्ण रूप में नहीं तो आंशिक रूप में ही सही, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्याप्ति, गुणवत्ता, विषयवस्तु और विधिवत आयोजन पर निर्भर करता है।

3.4 अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य

1. सहभागियों को मौजूदा शैक्षिक नीति, पाठ्यचर्या और पाठ्यविवरणों की आधारभूत अवधारणाओं को समझने के योग्य बनाना,

2. पाठ्यचर्या के प्रभावकारी संचालन के लिये आवश्यक कौशलों को विकसित करने में अध्यापकों की सहायता करना,
3. सहभागियों को विशेष रूप से नये शैक्षिक विकास के घटनाक्रम के संदर्भ में, उनकी भूमिका और कार्य के बारे में सुग्राही बनाना,
4. सहाभागियों को शैक्षिक प्रौद्योगिकी और छात्र-मूल्यांकन तकनीकों में हुये परिवर्तनों से परिचित कराना,
5. सहभागियों के साथ अनुभवों और विचारों का आदान-प्रदान करना जिससे कि शैक्षिक प्रणाली में और आगे सुधार करने के लिये आवश्यक सुझाव, प्रतिक्रिया मिल सके,
6. विद्यालय/शैक्षिक ढांचे के संबंध में योजना कार्य और प्रशासन संबंधी विषयों से परिचित कराना।

प्रारंभिक स्तर पर कार्यरत अध्यापकों के प्रशिक्षण का कार्य बहुत विशाल है। भारत में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या 30 लाख से भी अधिक है। राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार, प्रारंभिक कक्षाओं को पढ़ाने वाला अध्यापक बारहवीं कक्षा पास होना चाहिये और उसके बाद उसे दो वर्ष का अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिये। प्रशिक्षित प्राथमिक अध्यापकों की राज्यवार तस्वीर एक समान नहीं है। उससे निम्नलिखित चार श्रेणियों की अध्यापकों का पता चलता है:

1. ऐसे अध्यापक जिन्होंने शैक्षिक अर्हता और दो वर्ष का अध्यापक प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रखा है।
2. ऐसे अध्यापक जिनके पास आवश्यक शैक्षिक अर्हता तो है पर दो वर्ष का अध्यापक प्रशिक्षण नहीं है।
3. ऐसे अध्यापक जिनके पास आवश्यक शैक्षिक अर्हता नहीं है पर उन्होंने दो वर्ष का अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है।
4. ऐसे अध्यापक जिनके पास न तो आवश्यक शैक्षिक अर्हता है और न ही आवश्यक प्रशिक्षण।

उपरोक्त अन्तिम तीन श्रेणियों के अध्यापकों को 1200 प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में मुक्त दूरस्थ शिक्षा भली भांति दी जा सकती है।

विभिन्न श्रेणियों के सेवारत अध्यापकों अर्थात् बिना अर्हता, कम अर्हता वाले, अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिये और अर्हता प्राप्त अध्यापकों के लिये भी सेवाकालीन शिक्षा की आवश्यकता है। ऐसे अर्हताहीन अध्यापकों के लिये जिनके पास आवश्यक शैक्षिक अर्हता नहीं है, सेवाकालीन कार्यक्रमों की व्यवस्था है। भारत के संदर्भ में ऐसे अध्यापकों की संख्या पूर्वोत्तर राज्यों जैसे

सिक्किम, नागालैण्ड, असम, मेघालय में काफी अधिक है। दूसरी क्षेणी के अध्यापकों को अप्रशिक्षित कहा जाता है क्योंकि इनके पास अध्यापन कार्य के लिये आवश्यक अर्हताये नहीं है। इन अध्यापकों को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अर्हता प्राप्त और प्रशिक्षित अध्यापकों को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है क्योंकि पाठ्यचर्या में शामिल किये गये नये विषयों, नई मूल्यांन प्रक्रियाओं और नये नीतिगत कार्यक्रमों के विषय में अद्यतन जानकारी प्राप्त करना उनके लिये जरूरी है।

अपनी उन्नति जानियें (Check Your Progress)

प्र. 1 किस शिक्षा नीति में अध्यापक शिक्षा हेतु सुझाव दिये है?

(अ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (ब) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1991

(स) कोठारी आयोग 1966 (द) इनमें से कोई नहीं।

प्र. 2 अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के कोई दो मुख्य उद्देश्य लिखिये।

प्र. 3 भारत में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं को पढाने वाले अध्यापकों की संख्या लगभग कितनी है?

प्र. 4 भारत के किन किन राज्यों में अनर्ह अध्यापकों की संख्या सर्वाधिक है?

3.5 दूरवर्ती अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु प्रक्रिया

दूरवर्ती शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में अनेक लोग संलग्न है, जहां तक दूरवर्ती अध्यापकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्य के क्रियाकलापों का संबंध है मुख्य रूप से दो प्रकार के लोग कार्यक्रमों में संलग्न है प्रथम वे लोग जो प्रशिक्षित किये जाने है और दूसरे वे लोग जो प्रशिक्षण देगें।

1. व्यावसायिक प्रशिक्षणार्थी

व्यावसायिक प्रशिक्षणार्थी में कर्मचारी वर्ग की कतिपय स्पष्टतः श्रेणियों की पहचान कर सकते है, जिसमें प्रत्येक श्रेणी को अपनी व कार्य आवश्यकताओं के लिये प्रासंगिक विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ऐसी कुछ श्रेणियां निम्न है-

1. इस प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत नियोजक व प्रशासक,

2. सर्वेक्षण, पाठ्यक्रम नियोजक, पाठ्यक्रम विकास करने वाले, पाठ्यक्रम लेखक, सम्पादक, समालोचक, पाठ्यक्रम समन्वयकर्ता, शिक्षक, सलाहकार, मूल्यांकनकर्ता आदि सम्मिलित किये जा सकते हैं,
3. श्रव्य सामग्री निर्माता, आलेखक, मूल्यांकनकर्ता और कर्मचारी शामिल हैं,
4. दृश्य निर्माता, आलेखक, नियोजक विशेष प्रभावोत्पादक कर्मचारी और मूल्यांकनकर्ता,
5. शैक्षिक तकनीकीविद् भिन्न प्रकार के तकनीकी कर्मचारियों का समन्वय करने वाले विशेषज्ञ होते हैं।

2. गैरव्यावसायिक प्रशिक्षणार्थी

गैर व्यावसायिकों में उन अनेक लोगो को सूची में रखते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से दूरवर्ती शिक्षा से संबंधित नहीं हैं, परन्तु पद्धति की सफलता-असफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकते हैं। इस श्रेणी में आने वाले लोग निम्न हैं-

1. राजनीतिज्ञ, नीति निर्धारक जो दूरवर्ती शिक्षा संस्थानों के निर्माण को प्रोत्साहित करें,
2. विभिन्न प्रकार के लक्षित शिक्षार्थी वर्ग जैसे विद्यालयों के शिक्षार्थी, विश्वविद्यालयों के शिक्षार्थी, व्यावसायिक, गृहणियां और वे लोग जो औपचारिक शिक्षा पद्धति से अलग हो गये हैं,
3. विभिन्न प्रकार के सम्पर्क अभिकर्ता जैसे-समाज सुधारक, स्थानीय समुदाय प्रतिनिधि, धार्मिक प्रतिनिधि, शिक्षार्थियों के माता-पिता आदि।

3. 5. 1 दूरवर्ती अध्यापक शिक्षा हेतु प्रशिक्षक की योग्यता

यह मुख्य विचारणीय बिन्दू है कि प्रशिक्षक की क्या क्या योग्यता होनी चाहिये? एक दूरवर्ती शिक्षक प्रशिक्षक में निम्नलिखित गुणों का समावेश होना चाहिये-

1. कुशल - दूरवर्ती शिक्षा में अध्यापन सामग्रियां (मुद्रित, दृश्य और श्रव्य इत्यादि) जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और स्तरों के लोगो की वृहत्तर संख्या को प्राप्त होती है, पद्धति की विश्वसनीयता के लिये उन्हें अत्यधिक उच्च स्तरीय होना पड़ेगा तथा अपनी सामाजिक एवं अध्यापकीय उपयोगिता हेतु उन्हें सामाजिक तथा अध्यापकीय रूप से प्रासंगिक होना पड़ेगा। ऐसी सामग्रियां उत्पादित की जा सकती हैं, यदि उनके उत्पादन हेतु नियुक्त कर्मचारी वर्ग कुशल व्यक्ति हो। अतः प्रशिक्षकों से शैक्षिक व तकनीकी कुशलता के अत्यन्त उच्च स्तरीय कौशल की अपेक्षा की जाती है।

2. सहयोगी - दूरवर्ती शिक्षा पद्धति में मुश्किल से ही कोई ऐसे कार्य या भूमिकाये होंगी जिन्हे अन्य कार्यों व भूमिकाओं से पृथक करके निभाया जा सके। तथापि इन कार्यों व भूमिकाओं में जो भले ही भिन्न हो या लगे, अधिकतर प्रस्तावित उत्पादन को सफल बनाने के उद्देश्य से परस्पर सम्बद्ध तथा संबंधित है।

3. लचीला - विचारों व दृष्टिकोणों की कट्टरता दूरवर्ती शिक्षा को स्वीकार्य एवं सफल बनाने में मुख्य बाधा है। दूसरी ओर, लचीलापन केवल शिक्षार्थियों को नयी स्थिति व भूमिकाओं से अनुकूलन करने में ही सहायता नहीं करेगा वरन् दूसरों के साथ सहयोग करने में विभिन्न प्रकार के बारम्बार समायोजन निष्पादित करेगा। लचीला दूरवर्ती शिक्षक, शिक्षाविदो, तकनीशियनों, निर्माताओं तथा प्रशासकों आदि की भिन्न-भिन्न भूमिकाओं को स्वीकार कर सकता है।

4. धैर्यवान - कुछ लोगो का विश्वास है कि कार्यकर्ताओं को दूरवर्ती शिक्षा संस्थाओं के विकास की प्राथमिक अवस्थाओं में ही चिन्ताओं, निराशाओं, विलम्बों तथा असफलताओं का सामना करना पडता है तथापि यह सच है कि जब तक संस्था नये पाठ्यक्रम प्रदान करने, अपनी पहुच को समाज के विभिन्न वर्गों तक फैलाने, उत्पादन की लागत घटाने, तथा सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति निरन्तर अधिक उत्तरदायी होने के अर्थों में नवीन प्रवर्तन होना जारी रखेगा तब तक दूरवर्ती शिक्षक चिन्ताओं, निराशाओं, विलम्बों तथा असफलताओं का सामना करता रहेगा। इस प्रकार कठिनाईयों के समाप्त होने की प्रतिक्षा करते रहने के स्थान पर उन्हें ऐसी कार्य संस्कृति का विकास करना चाहिये, जो ऐसी कठिनाईयों को नित्यप्रति की घटनाओं के रूप में माने एवं इस प्रकार अपने कार्य में तथा आसपास विश्वास व आशावादी भावनाओं का विकास करें।

5. नवीन प्रवर्तक - दूरवर्ती शिक्षा स्वयं में ही एक नवीन परिवर्तन है, यह एक के ऊपर दूसरे नव प्रवर्तन के निर्माण करने की योग्यता से ही जीवित रहती है। ये नव प्रवर्तन पाठ्यक्रम बनाने से लेकर पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने तक फैले हुये है। जो कर्मचारी तथा प्रशिक्षक दूरवर्ती शिक्षा के नव प्रवर्तक होने की प्रकृति को बनाये रखना चाहते है उन्हें निश्चित रूप से नव प्रवर्तक होने की आवश्यकता है।

3.5.2 दूरवर्ती शिक्षा में अध्यापक शिक्षा का प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. कार्यक्रम के क्षेत्र का मापन करना - सर्वप्रथम तथा सर्वोपरि प्रशिक्षकों अथवा प्रशिक्षण संस्थाओं को उस कार्यक्रम के क्षेत्र का परिमाण तथा मापन कर लेना चाहिये, जिसके लिये प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को उस मापक व क्षेत्र से पर्याप्त एवं उचित रूप से समानता होनी चाहिये। एकमात्र लक्ष्य विशेषता वाली दूरवर्ती शिक्षा परियोजना हेतु उसमें जुड़े कर्मचारी वर्ग को अपने कार्यों को संतोषजनक रूप से सम्पादन हेतु कार्यक्रम बनाने के लिये दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर्याप्त हो सकता है।

2. कार्यक्रम के लघु तथा दीर्घकालीन लाभ - दूसरा विचार प्रशिक्षण कार्यक्रम के लघु एवं दीर्घकालीन लाभो का है। सम्भव है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्तर एवं क्षेत्र उस पर सीमित उद्देश्य एवं क्रियायें थोप दें, तथापि सावधानी यह लेनी चाहिये कि सीमित क्षेत्र का कार्यक्रम जितना वह दे पाता है, उसके परे भी आगे कार्य करने के लिये उचित उत्प्रेरणा प्रदान करें। इसके विपरीत विस्तृत क्षेत्र के कार्यक्रम को तात्कालिक आवश्यकता एवं उपयोगिताओं पर बल देना चाहिये।

3. व्यक्ति व संस्था दोनो की आवश्यकता की पूर्ति - भाग लेने वाले व्यक्ति तथा संस्था दोनो की आवश्यकताओं का पोषण होना चाहिये। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य सदैव ही संस्था के लिये दूरवर्ती शिक्षा पद्धति को पुष्ट बनाने अथवा इस पद्धति में परिवर्तित तथा सुधार लाने के लक्ष्य को प्राप्त करना होता है।

4. स्वीकार्य तथा वांछनीय व्यवहार के आदर्श को प्रस्तुत करना - प्रभावी कार्यक्षेत्र को समायोजित करने के लिये प्रशिक्षण को दूरवर्ती शिक्षकों से अपेक्षित स्वीकार्य तथा वांछनीय व्यवहार शैली के आदर्श प्रस्तुत करके प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार को बदलना चाहिये।

3.5.3 प्रशिक्षण मॉडल

भिन्न-भिन्न कार्यविधियों का प्रयोग करते हुये अध्यापकों को प्रशिक्षण देना भारतीय शिक्षा प्रणाली में अध्यापक शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। इस समय चार प्रकार की मुख्य रणनीतियां देखी जा सकती है जिनके द्वारा अध्यापक प्रशिक्षण, विशेष रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रतिरूप/मॉडल निम्न है-

1. मुखोन्मुख संस्थागत प्रतिरूप/मॉडल
2. सोपानी प्रतिरूप यानि कास्केड मॉडल
3. मुक्त दूरस्थ शिक्षा मॉडल
4. मीडिया आधारित शिक्षा मॉडल

मुखोन्मुख संस्थागत प्रतिरूप/मॉडल

भारतीय संदर्भ में, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय और शिक्षा संबंधी उच्च अध्ययन संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से इस मॉडल का इस्तेमाल करते है। विद्यालय निरीक्षक अथवा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अनुदेश दिया जाता है कि वे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय और शिक्षा संबंधी उच्च अध्ययन संस्थान में अपेक्षित संख्या में अध्यापक भेजें, जहां वे विभिन्न पक्षों पर अलग अलग

अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। इस प्रतिरूप की एक परिसीमा यह है कि अध्यापकों को अपना विद्यालय छोड़कर प्रशिक्षण संस्था में आना होता है। इस स्थिति में स्कूल के कार्य में व्यवधान आता है। इसकी एक अन्य परिसीमा यह है कि इस पद्धति द्वारा कुछ अध्यापकों को ही प्रशिक्षण दिया जाता है।

सोपानी प्रतिरूप यानि कास्केड मॉडल

इस मॉडल का उस समय व्यापक रूप से उपयोग किया गया था जब विद्यालय अध्यापकों के सामूहिक अभिविन्यास के कार्यक्रम और प्राथमिक अध्यापकों के विशेष अभिविन्यास के कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया था। इस मॉडल में तीन स्तरों पर प्रशिक्षण दिया जाता है- मुख्य संसाधन व्यक्तियों के स्तर पर, संसाधन व्यक्तियों के स्तर पर और अध्यापकों के स्तर पर। प्रत्येक राज्य के मुख्य संसाधन व्यक्तियों को एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। फिर आगे उन्हें अपने अपने राज्यों के संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है और तीसरे स्तर पर, संसाधन अध्यापकों द्वारा अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस मॉडल का लाभ यह होता है कि एक छोटी सी अवधि में ही बहुत अधिक संख्या में अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। फिर भी इस मॉडल की अपनी कुछ परिसीमायें हैं। प्रथम स्तर पर दिया गया ज्ञान और जानकारी तीसरे स्तर तक पहुँचते-पहुँचते जब अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिये दी जाती है तो पतली हल्की पड़ जाती है। इस प्रकार उसके संप्रेषण में ही काफी परिवर्तन आ जाता है। फलतः प्रशिक्षण की प्रभावकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मुक्त दूरस्थ शिक्षा मॉडल

यह मॉडल साठ के दशक के प्रारंभिक वर्षों से प्रचलन में है। अध्यापकों का प्रशिक्षण सेवा-पूर्व और सेवाकालीन कार्यक्रमों दोनों के लिये संचालित किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, एन.आई.यू.पी.ए. (न्यूपा) और एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं। एस.सी.ई.आर.टी. और डाइट संस्थाओं ने अभी तक अध्यापक शिक्षा हेतु कोई दूरस्थ कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किये हैं। सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति को देखते हुये यह स्वीकार किया जाता है कि एस.सी.ई.आर.टी., आई.ए.एस.ई. और डाइट संस्थाओं द्वारा अध्यापकों के दूरस्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायें।

मीडिया आधारित शिक्षा मॉडल-

जनसंचार के माध्यमों पर आधारित प्रशिक्षण भारत में पहली बार 1975-76 में साइट अर्थात् उपग्रह द्वारा शिक्षा देने के लिये टेलीविजन पर प्रयोग के दौरान प्रारम्भ की गई थी। मीडिया आधारित दूरस्थ शिक्षा विद्यालय अध्यापकों के सामूहिक अभिविन्यास कार्यक्रम और प्राथमिक अध्यापकों के

विशेष अभिविन्यास कार्यक्रम की एक मुख्य विशेषता रही है। केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान जो एन.सी.ई.आर.टी. का ही एक अंगभूत एकक है, अध्यापकों के लिये और प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिये वीडियो कार्यक्रम तैयार करता है जो ज्ञान दर्शन के माध्यम से टेलीविजन पर प्रसारित किये जाते हैं। ज्ञान दर्शन एक ऐसा चैनल है जिस पर चौबिसो घण्टे प्राथमिक, माध्यमिक, अध्यापक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और उच्च शिक्षा के सभी पक्षों पर शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं।

स्वदेशी अनुभव-

भारतीय अध्यापक शिक्षा ने विशेष रूप से सत्तर और अस्सी के दशकों में अध्यापक शिक्षा से संबंधित समस्याओं और मुद्दों में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली थी, जब प्रारंभिक शिक्षा को सर्वजनीय बनाने के लिये प्रयत्न किये गये और बड़ी संख्या में नये विद्यालय खोले गये। अनौपचारिक शिक्षा और मुक्त शिक्षा के क्षेत्र में अनेक वैकल्पिक प्रयोग सत्तर और अस्सी के दशकों में प्रारम्भ किये गये, इसके फलस्वरूप बहुत से अप्रशिक्षित अध्यापक जिन्हे प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, इस प्रणाली में शामिल किये गये। इस प्रकार अध्यापक प्रशिक्षण के अनेक मॉडलों की खोज की गई और उनका निर्माण किया गया। भिन्न भिन्न अभिकरणों ने भिन्न भिन्न मॉडल तैयार किये। उदाहरणार्थ, मध्यप्रदेश के एकलव्य और राजस्थान के लोकजुंबिश कार्यक्रमों ने अध्यापक प्रशिक्षण के अपने निजी मॉडल विकसित किये। इन दोनों ने और अन्य कार्यक्रमों ने भी, अपनी स्थानीय विशिष्ट आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुये अपने अपने मॉडल तैयार किये। यह निश्चय होकर कहा जा सकता है कि ऐसी कोई शैक्षिक समस्या नहीं है जो भारत में न हो, और ऐसा कोई नवाचार नहीं है जो देश के किसी न किसी भाग में किसी समस्या को सुलझाने के लिये न आजमाया गया हो। नानाविध समस्याओं के साथ विभिन्न प्रकार के नवाचारों को प्रारम्भ करके, भारत ने अध्यापक शिक्षा के सम्बन्ध में एक मूलभूत आंतरिक विशेषज्ञ समूह विकसित कर लिया है। अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत प्राप्त कुछ अनुभवों का संक्षेप में वर्णन निम्न है-

1. निर्देशन कार्यक्रम में प्रमाण पत्र (इग्नू एन.सी.ई.आर.टी.)
2. जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
3. विद्यालय अध्यापकों का सामूहिक अभिविन्यास कार्यक्रम
4. प्राथमिक अध्यापकों के लिये विशेष अभिविन्यास कार्यक्रम
5. अन्योन्यक्रियात्मक वीडियो परियोजना (एन.सी.ई.आर.टी.)
6. दूरस्थ शिक्षा का अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान

7. शिक्षा स्नातक कार्यक्रम (बी.एड. इग्नू)
8. मुक्त विद्यालय कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिये एन.ओ.एस. परियोजना।
9. लोकजुंबिश और शिक्षा कर्मी परियोजना।

मुक्त दूरस्थ अधिगम द्वारा इनसेट का प्रबंध

मुक्त दूरस्थ अधिगम/शिक्षण ओ.डी.एल. द्वारा सेवाकालीन अध्यापक और प्रशिक्षण इनसेट का प्रबंध एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अध्यापक शिक्षा और मुक्त दूरस्थ शिक्षा दोनों में अन्तर्दृष्टि की आवश्यकता पडती है। इसमें अध्यापक प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दों जैसे शिक्षाशास्त्र, पाठ्यचर्या, अध्यापक तथा विद्यार्थियों के बीच अन्योन्यक्रिया, कक्षा प्रबन्ध आदि पर और मुक्त दूरस्थ शिक्षा विद्यालयों की लागत प्रभावकारिता, अध्ययन सामग्रियों की गुणवत्ता, विद्यार्थी समर्थन-सहायता सेवाये और अन्य कई मुद्दों पर विचार किया जाता है। भारतीय संदर्भ में, मुक्त दूरस्थ पद्धति से अध्यापक शिक्षा देने का इतिहास बहुत रोचक है। साठ के दशक में पत्राचार शिक्षा के आगमन के साथ कुछ विश्वविद्यालयों ने पत्राचार शिक्षा के माध्यम से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया। कुछ विश्वविद्यालयों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री के लिये और समुचित व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों के लिये भी प्रावधान किया, लेकिन कुछ विश्वविद्यालय ऐसे भी थे जिन्होंने उपयुक्त पठन सामग्रियों के लिये और संपर्क कार्यक्रमों तथा विद्यार्थी समर्थन सहायता सेवाओं के लिये कोई व्यवस्था नहीं की। ये विश्वविद्यालय जल्दी से पैसा कमाने के विचार से प्रेरित थे और इसलिये उन्होंने सम्पूर्ण उद्यम को एक लाभ प्रधान और वाणिज्यिक उपक्रम बनाना चाहा। एन.सी.टी.ई. ने 1995 से 1999 की अवधि के दौरान इस सम्पूर्ण दृष्टिकोण/उपागम को विनियमित किया। एन.सी.टी.ई. ने दूरस्थ शिक्षा परिषद् (डी.ई.सी.), इग्नू और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सहयोग से एक फार्मूला विकसित किया जिसका पालन उन सभी संस्थाओं को करना था जो दूरस्थ शिक्षण रीति से अध्यापक शिक्षा प्रदान कर रहे थीं। उस फार्मूले (सूत्र) के प्रमुख तत्व निम्नलिखित थे-

1. उन संस्थाओं के पास एक विनिर्दिष्ट संख्या में कर्मचारी होने चाहिये जो सामग्री के उत्पादन, सामग्री के प्रेषण, संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन, आंतरिक मूल्यांकन, अभ्यास अध्यापन का आयोजन, विद्यालय अनुभवों की व्यवस्था आदि से संबंधित कामों को देखें। संस्था के अध्यापकों/कर्मचारियों की संख्या पाठ्यक्रम के नामांकित कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर करेगी।
2. संस्था ऑडियो-वीडियो कार्यक्रमों की उपयुक्त सहायता के साथ स्वतः शिक्षण सामग्री तैयार करेगी। एन.सी.टी.ई., यूजीसी, और डी.ई.सी. द्वारा संयुक्त रूप से गठित एक मिली-जुली टीम द्वारा इन सामग्रियों की गुणवत्ता की समीक्षा समय समय पर की जायेगी।

3. संस्था पर्याप्त संख्या में ऐसे विद्यालयों की व्यवस्था करेगी जहां अभ्यास अध्यापन कराया जा सके।

4. संस्था विद्यार्थियों को अकादमिक परामर्श देने के लिये अध्ययन केन्द्रों की व्यवस्था करेगी।

डी.ई.सी. यूजीसी और एन.सी.टी.ई. की सिफारिशों के अनुसार अनेक विश्वविद्यालयों ने अपने बी.एड. पाठ्यक्रम बंद कर दिये क्योंकि उन्होंने इसे लागत की दृष्टि से प्रभावकारी नहीं पाया। अन्य विद्यालयों/संस्थाओं ने यूजीसी डी.ई.सी. एन.सी.टी.ई. के मार्गनिर्देशों का पालन किया और वे मुक्त दूरस्थ रीति से बी.एड. पाठ्यक्रम चलाते रहे। प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय इग्नू भी दूरस्थ रीति से बी.एड. पाठ्यक्रम और प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा (डीपीई) पाठ्यक्रम चला रहा है। मुक्त दूरस्थ अधिगम द्वारा अध्यापक शिक्षा का समग्र स्वरूप निम्नलिखित बातों से जाना जा सकता है-

1. संस्थायें अपना प्रशिक्षण मुखोन्मुख और मुक्त दूरस्थ अधिगम दोनों रीतियों से दे सकती है। यदि वे मुक्त दूरस्थ अधिगम की रीति से प्रशिक्षण देती है तो उन्हें डी.ई.सी.- यूजीसी-एन.सी.टी.ई. के प्रतिमानों का पालन करना होगा।

2. प्रारंभिक अध्यापकों का प्रशिक्षण दो वर्ष का होता है। लगभग सभी मामलों में, यह मुखोन्मुख पारंपरिक रीति से ही दिया जाता है। किन्तु जहां पहले से ही अप्रशिक्षित अध्यापक काम पर लगे हैं, उन्हें मुक्त दूरस्थ अधिगम की रीति से ही प्रशिक्षित किया जाये। ऐसी सिफारिशें एन.सी.टी.ई.आर.टी. और इग्नू द्वारा की गई हैं।

3. जो मुक्त संस्थायें दूरस्थ अधिगम रीति से अध्यापकों को प्रशिक्षण दे रही हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण अनुदेशनात्मक सामग्री और पर्याप्त मात्रा में विद्यार्थी सहायक सेवाएं देनी चाहियें। जहां तक संभव हो स्वतः अनुदेशात्मक मुद्रित सामग्री स्वरूप की दृष्टि से प्रमाणीय होनी चाहिये और उसके साथ साथ रेडियो, टेलीविजन कार्यक्रम भी होने चाहिये।

4. मुखोन्मुख रीति को अपनाने वाली संस्थाओं में भी, और वैसे तो अध्यापक शिक्षा देने वाली सभी संस्थाओं द्वारा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिये ताकि अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिक कुशल बन सके।

मुक्त दूरस्थ अधिगम (ओडीएल) द्वारा अध्यापक शिक्षा

लगभग सभी देशों में ऐसे काफी अध्यापक हैं जो प्रशिक्षित न होते हुये भी अध्यापक की नौकरी कर रहे हैं। ऐसे अध्यापकों के लिये ओडीएल द्वारा अध्यापक शिक्षा का प्रारंभिक कार्यक्रम अपनाना आसान होता है क्योंकि इस पद्धति से प्रशिक्षण लेने के लिये काम छोड़ने और पूर्णकालिक विद्यार्थी बनने की आवश्यकता नहीं होती। ओडीएल के माध्यम से लिया जाने वाला प्रशिक्षण उन

अध्यापकों को भी अवसर प्रदान करता है जो प्रारंभिक रूप से प्रशिक्षित है लेकिन अब कुछ नये क्षेत्रों में अपने ज्ञान को अद्यतन करना चाहते हैं। ये नये क्षेत्र उन नये विषयों से संबंधित हैं जो पाठ्यचर्या में बाद में शामिल किये गये हैं, अथवा नई शिक्षा शास्त्रीय तकनीकें, नई मूल्यांकन तकनीकें और नई नवाचारात्मक कक्षा प्रबंध की पद्धतियां भी हो सकती हैं।

अपनी उन्नति जानियें (Check Your Progress)

प्र. 1 एकलव्य किस प्रदेश का अध्यापक प्रशिक्षण के अपना निजी मॉडल है?

(अ) राजस्थान

(ब) उत्तराखण्ड

(स) मध्यप्रदेश

(द) इनमें से कोई नहीं।

प्र. 2 अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षण हेतु भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रतिरूप/मॉडल कौन-कौन से हैं?

प्र. 3 डी.ई.सी. का पूरा नाम क्या है?

प्र. 4 मुक्त दूरस्थ अधिगम (ओडीएल) क्या है?

3.6 सारांश (Summery)

दूरवर्ती शिक्षा, औपचारिक शिक्षा की एक वैकल्पिक प्रणाली है। दूरवर्ती शिक्षा प्रभावशाली तथा समय, धन व शक्ति की दृष्टि से मितव्ययी प्रणाली है उच्च शिक्षा अधिक महंगी है। भारतीय सविंधान में सभी को समान शिक्षा के अवसरों का प्रावधान किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार दूरवर्ती माध्यम से अध्यापक शिक्षा को सामाजिक व राष्ट्रीय विकास का सदैव से ही सर्वाधिक प्रभावी साधन माना जाता है। दूरवर्ती शिक्षा को अनेक अर्थों में प्रयुक्त करते हैं इस शिक्षा प्रणाली के विकासानुक्रम में इसके अर्थ को बदल दिया है जैसे पत्राचार शिक्षा, मुक्त शिक्षा, शिक्षा का बहुमाध्यम आयाम, सम्प्रेषण माध्यम द्वारा शिक्षा, स्वाध्याय शिक्षा प्रणाली, गृह अध्ययन तथा मुक्त विश्वविद्यालय आदि। इसे औपचारिक शिक्षा प्रणाली का विकल्प माना जाता है। दूरवर्ती शिक्षा को माध्यम शिक्षा इसलिये कहा जाता है क्योंकि इसमें मुद्रित व अमुद्रित माध्यमों तथा संप्रेषण आव्यूह को प्राथमिकता दी जाती है।

3.7 शब्दावली (Glossary)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, इस परिषद् की स्थापना केन्द्रीय सरकार ने 1 अप्रैल 1961 को पूर्व स्थापित राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान ए माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय ए शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो ए राष्ट्रीय श्रव्य-दृश्य साधन संस्थान एवं

पाठ्यपुस्तक ब्यूरो को मिलाकर उनके स्थान पर की थी और इसे स्कूली शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन का कार्य भार सौंपा था। इसे संक्षेप में एन0सी0ई0आर0टी0 कहते हैं। इसका कार्यालय श्री अरविन्द मार्ग नई दिल्ली में स्थित है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् इस परिषद् की स्थापना 1973 में की गई थी। दिसम्बर 1993 में संसद में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एक्ट 1993 पास कर इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया और 1995 में इस एक्ट के अनुसार इस परिषद् का पुनर्गठन किया गया।

प्राथमिक शिक्षा, संविधान द्वारा संविधिक नियमित शिक्षा का प्रथम सोपान।

3.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Exercise Question)

(अ)

उत्तर (1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

(2) अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के दो मुख्य उद्देश्य निम्न हैं-

पहला सहभागियों को मौजूदा शैक्षिक नीति, पाठ्यचर्या और पाठ्यविवरणों की आधारभूत अवधारणाओं को समझने के योग्य बनाना और दूसरा पाठ्यचर्या के प्रभावकारी संचालन के लिये आवश्यक कौशलों को विकसित करने में अध्यापकों की सहायता करना,

(3) भारत में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या 30 लाख से भी अधिक है।

(4) भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे सिक्किम, नागालैण्ड, असम, मेघालय में अनर्ह अध्यापकों की संख्या काफी अधिक है।

(ब)

उत्तर (1) एकलव्य मध्यप्रदेश का अध्यापक प्रशिक्षण के लिये अपना निजी मॉडल है।

(2) भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रतिरूप/मॉडल निम्न हैं-

1. मुखोन्मुख संस्थागत प्रतिरूप/मॉडल
2. सोपानी प्रतिरूप यानि कास्केड मॉडल
3. मुक्त दूरस्थ शिक्षा मॉडल

4. मीडिया आधारित शिक्षा मॉडल

(3) डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल या दूरस्थ शिक्षा परिषद।

(4) ऐसे अध्यापक जो अप्रशिक्षित हैं उनके लिये ओडीएल द्वारा अध्यापक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इसके साथ-साथ प्रशिक्षित अध्यापक भी ओडीएल के माध्यम से अपनी जानकारी को अद्यतन कर सकते हैं।

3.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference)

अग्रवाल जे0सी0 (2007) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, शिप्रा पब्लिकेशन: विकासमार्ग शकरपुर दिल्ली

शुक्ला (डा0) सी0एस0 (2011) भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास, इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस: मेरठ

शर्मा (डा0) आर0ए0, चतुर्वेदी (डा0) शिखा (2009) अध्यापक शिक्षा, इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस: मेरठ

भट्टाचार्य (डा0) जी0सी0 (2012) अध्यापक शिक्षा, श्री विनोद पुस्तक मन्दिर: आगरा

जैन (श्रीमती) स्वाति, तायल वर्षा, डालचन्द (2008) भारत में शैक्षिक व्यवस्था का विकास, साधना प्रकाशन, रस्तोगी स्ट्रीट, सुभाष बाजार: मेरठ

सक्सेना एन0आर0, मिश्रा बी0के0, मोहन्ती आर0के0 (2008) अध्यापक शिक्षा, आर0 लाल बुक डिपो: मेरठ

लाल (प्रो0) रमन बिहारी, कान्त (डा0) कृष्ण (2013) भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, आर0 लाल बुक डिपो: मेरठ

3.11 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Question)

प्र. 1 दूरवर्ती अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिये।

प्र. 2 इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय तथा अध्यापक शिक्षा में उसकी भूमिका की विवेचना कीजिये।

प्र. 3 दूरवर्ती माध्यम में अध्यापक शिक्षा के कौन-कौन से कार्यक्रम है विस्तार से वर्णन कीजिये।

प्र. 4 दूरवर्ती माध्यम में अध्यापक शिक्षा के कौन-कौन से प्रशिक्षण मॉडल है? विस्तृत वर्णन कीजिये।

इकाई 4 उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (ओरिएन्टेशन एवं रिफ्रेशर कोर्स)
Orientation and Referesh Course

- 4.1 प्रस्तावना
- 4.2 उद्देश्य
- 4.3 उन्मुखीकरण कार्यक्रम का अर्थ
- 4.4 उन्मुखीकरण कार्यक्रम का इतिहास (भारत के विशेष संदर्भ में)
- 4.5 उन्मुखीकरण कार्यक्रम की आवश्यकता
- 4.6 उन्मुखीकरण कार्यक्रम के उद्देश्य
- 4.7 उन्मुखीकरण कार्यक्रम के प्रकार
- 4.8 उन्मुखीकरण कार्यक्रम का पाठ्यक्रम
- 4.9 पुनश्चर्या कार्यक्रम का अर्थ
- 4.10 पुनश्चर्या कार्यक्रम का इतिहास
- 4.11 पुनश्चर्या कार्यक्रम के उद्देश्य
- 4.12 पुनश्चर्या कार्यक्रम का पाठ्यक्रम
- 4.13 उन्मुखीकरण कार्यक्रम एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम में अंतर
- 4.14 एकेडमिक स्टाफ कॉलेज
- 4.15 सारांश
- 4.16 शब्दावली
- 4.17 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 4.18 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री
- 4.19 निबंधात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना

एक शिक्षा प्रणाली की सफलता उसके शिक्षकों पर निर्भर करती है। शिक्षक, शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग होता है इसलिए उसकी व्यावसायिक उन्नति आवश्यक है ताकि उन्हें आधुनिक शिक्षण विधियों एवं तकनीकों से, शिक्षण सिद्धांतों में परिवर्तनों से, सतत् सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवर्तनों, जो कि विद्यार्थियों की रुचि एवं योग्यता में परिवर्तन में सहायक होते हैं, से सुसज्जित रखा

जा सके। अब चूँकि प्रभावी शिक्षण उपर्युक्त कारकों से प्रभावित होता है, अतः यह आवश्यक है कि इस व्यवसाय में लगे नए व्यक्तियों को, शिक्षण के तरीकों को पहचान कर स्वयं के लिए प्रभावी शिक्षण का तरीका विकसित करने के लिए उन्मुखीकरण प्रदान किया जाए। अतः सेवारत शिक्षकों को वैज्ञानिक ढंग से उन्मुखीकरण प्रदान करने के लिए उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रस्तुत इकाई उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम के संप्रत्यय तथा उसके विविध आयाम से संबंधित है।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात अध्येता इस योग्य हो जाएँगे कि :

उन्मुखीकरण कार्यक्रम एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम का अर्थ बता सकेंगे;

उन्मुखीकरण कार्यक्रम के इतिहास की भारतीय संदर्भ में व्याख्या कर सकेंगे;

उन्मुखीकरण कार्यक्रम की आवश्यकता एवं उद्देश्य का वर्णन कर सकेंगे;

उन्मुखीकरण कार्यक्रम के प्रकारों का उल्लेख कर सकेंगे;

उन्मुखीकरण कार्यक्रम के पाठ्यक्रम का वर्णन कर सकेंगे;

पुनश्चर्या कार्यक्रम के उद्देश्य की व्याख्या कर सकेंगे;

उन्मुखीकरण कार्यक्रम एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे; तथा

एकेडमिक स्टाफ़ कॉलेज के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

4.3 उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम का अर्थ

उन्मुखीकरण या उन्मुखता की सर्वमान्य परिभाषा है- “ कार्य परिस्थिति या सम्पूर्ण कार्य प्रणाली से परिचित होना एवं इससे अनुकूलन स्थापित करना”। इस आधार पर यदि उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम को परिभाषित किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि यह, कार्य परिस्थिति या सम्पूर्ण कार्य परिस्थिति से परिचित कराने एवं इससे अनुकूलन स्थापित करने में सहायता करनेवाला पाठ्यक्रम है।

यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप कार्य संस्कृति या कार्य की दशाओं में भी परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन उनमें नवीनता

लाती है और व्यक्ति इन नवीन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में अपने-आप को अक्षम पाता है या तनाव महसूस करता है। ऐसी स्थिति में उन्मुखीकरण कार्यक्रम के द्वारा उसे नवीन कार्य परिस्थिति को समझने एवं अपने तनाव को कम कर उसके समायोजन करने में सहायता मिलती है। अतः उन्मुखीकरण कार्यक्रम को अधिगमरत समाज में व्यक्ति को नवीन परिस्थिति में सहयोग देनेवाले सदस्य के रूप में तैयार करनेवाले कार्यक्रम के रूप में भी जाना जा सकता है।

4.4 उन्मुखीकरण कार्यक्रम का इतिहास (भारत के विशेष संदर्भ में)

सन् 1949 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने देश की शिक्षा प्रणाली को उन्नत करने के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के विचार की औपचारिक रूप से घोषणा की। आयोग ने यह तर्क दिए कि शिक्षण प्रक्रिया की सफलता शिक्षक की योग्यता एवं चरित्र पर निर्भर करती है और विश्वविद्यालय सुधार कि किसी भी योजना का केन्द्रबिन्दु, शिक्षक को निम्नलिखित बातों के लिए तैयार करना होता है:

(1) युवा पीढ़ी को, बौद्धिक एवं उनकी प्रजातीय विरसात को हस्तांतरित करने के लिए;

(2) ज्ञान की सीमा का विस्तार कर इन विरासतों को सम्मृद्ध करने के लिए; तथा

(3) व्यक्तित्व का विकास करने के लिए

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने ये भी कहा कि एक अच्छा शिक्षक वो होता है, जिसको अपने लक्ष्य की जानकारी होती है। यह लक्ष्य विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन मूल्यों को समझने में सक्षम बनाना होता है। एक शिक्षक की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि उसने शिक्षा में प्रत्यक्ष रूप से कितना योगदान दिया या कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए बल्कि यह समाज के उन पुरुषों और महिलाओं के चरित्र एवं की गुणवत्ता पर निर्भर करता है जिनको उसने पढ़ाया है। इन दक्षताओं के लिए एक शिक्षक को नियमित प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम के द्वारा तैयार करना पड़ता है।

हाँलाकि सन् 1949 में औपचारिक उदघोषणा कर दी गई थी लेकिन इस प्रक्रिया को बल शिक्षा आयोग(1964-66) की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद ही मिला। रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए। कुछ प्रयास रिपोर्ट के

प्रकाशन के पूर्व भी किए गए थे। इन प्रयासों में से कुछ प्रमुख प्रयासों का विवरण निम्नलिखित है:

सन् 1958 में सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज, हैदरबाद के एकेडमिक काउंसिल ने विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

सन् 1972 में, बम्बई विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए, उच्च शिक्षा में डिप्लोमा की शुरुआत की गई जिसमें सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार का प्रशिक्षण शामिल था।

सन् 1976 में बड़ोदा के एम0 एस0 विश्वविद्यालय ने नव नियुक्त शिक्षकों के लिए एक वर्षीय सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की।

वर्ष 1976 में ही कालीकट विश्वविद्यालय ने भी एक, 1 वर्षीय पाठ्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए की।

उपर्युक्त सारे प्रयास महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नाम की संस्था द्वारा भी इस क्षेत्र में प्रयास किए गए थे। उन प्रयासों का विवरण निम्नलिखित है:

वर्ष 1970-71 में नए एवं कनिष्ठ व्याखाताओं के लिए शिक्षण विधियों में उन्मुखीकरण कार्यक्रम के आयोजन की योजना शुरू की गई।

वर्ष 1971 में महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर विज्ञान विषय के शिक्षण में सुधार के लिए कॉलेज साइंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई।

वर्ष 1974-75 में कॉलेज ह्यूमैनिटेज़ एण्ड सोशल साइंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई।

1974 में शिक्षक विकास कार्यक्रम के रूप में शिक्षकों को पी0 एच0 डी0 प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के पीछे यह तर्क दिया गया कि पी0 एच0 डी0 डिग्री धारी शिक्षक अधिक कुशल होंगे।

इस प्रकार सन् 1986 तक ऐसे ही छिट-पुट कार्यक्रम चलते रहे। वर्ष 1986, भारतीय शिक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष था। इस समय शिक्षा पद्धति में अनेक सुधार जन्म ले रहे थे। इन्हीं सुधारों में से शिक्षकों की व्यावसायिक उन्मुखता भी एक सुधार था जिसका उत्तरदायित्व भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपा गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में क्रमबद्ध प्रयास किए। इन प्रयासों में सबसे पहला प्रयास, प्रत्येक राज्य में एक-एक एकेडमिक स्टाफ कॉलेज खोलना था। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप आज उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम का वर्तमान स्वरूप हमारे समक्ष है।

अभ्यास प्रश्न

टिप्पणी (क) नीचे दिए गए जगह में अपने उत्तर लिखें।

(ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से अपने उत्तर मिलाइए।

1. स्तंभ 'क' को स्तंभ 'ख' से मिलाइए।

स्तंभ 'क'

स्तंभ 'ख'

(अ) 1958

(1) बम्बई विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए, उच्च शिक्षा में डिप्लोमा की शुरुआत

(ब) 1976

(2) कालीकट विश्वविद्यालय में एक वर्षीय पाठ्यक्रम की

शुरुआत,

(स) 1971

(3) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज, हैदरबाद के एकेडमिक काउंसिल द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

(द) 1974-75

(4) कॉलेज साइंस इम्प्रुवमेंट प्रोग्राम की शुरुआत

(य) 1972

(5) कॉलेज हुमैनिटिज्ज एण्ड सोश साइंस इम्प्रुवमेंट प्रोग्राम की

शुरुआत

4.5 उन्मुखीकरण कार्यक्रम की आवश्यकता

उन्मुखीकरण कार्यक्रम की आवश्यकता का प्रत्यक्ष संबंध शिक्षकों की योग्यता एवं उनके कार्य निष्पादन की गुणवत्ता से होता है। समाज परिवर्तनशील है। ऐसे में ज्ञान भी निरंतर परिवर्तन होते रहता है। इस परिस्थिति में वही शिक्षक अस्तित्व में रह पाएँगे जो ग्रहणशील, अधिगमशील व कुशल होंगे। अर्थात् शिक्षक को निरंतर सीखने वाला होना चाहिए। निरंतर सीखना, नए ज्ञान एवं विचारधारा से परिचित होना तथा उसे अपनाना और इस प्रकार अपनाना कि वो उनके कार्य प्रणाली का हिस्सा बन जाए, और वो उनसे कुप्रभावित भी न हो। इस सोच को फलीभूत करने के लिए उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या कार्यक्रमों के निरंतर आयोजन की आवश्यकता है। उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम की आवश्यकता को निम्नलिखित बिन्दुओं से और स्पष्ट किया जा सकता है:

(1) ज्ञान का अद्यतनीकरण करने के लिए- वर्तमान परिवेश सूचना क्रांति का है। यहाँ हर पल नवीन ज्ञान का सृजन हो रहा है। अब चूँकि शिक्षण कार्य का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना होता है और शिक्षक इस कार्य का अभिकर्ता होता है। अतः, शिक्षकों के ज्ञान का अद्यतनीकरण होना आवश्यक है और इसके लिए उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है।

(2) व्यावसायिक दक्षता में गुणात्मक वृद्धि के लिए- सेवाकालिक शिक्षक-प्रशिक्षण के प्रारूप के निर्माण में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शिक्षकों को उनके व्यवसाय से संबंधित अनेक कार्यकुशलताओं से परिचित होने और उनमें सुधार करने का अवसर प्राप्त हो सके। कार्यकुशलता में सुधार से शिक्षक को सम्पूर्णता प्राप्त होती है और उसकी व्यावसायिक प्रगति होती है। अतः, शिक्षकों की व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि के लिए सेवाकालिक शिक्षक- प्रशिक्षण आवश्यक है।

(3) नई परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए- इस परिवर्तनशील समाज में जहाँ नित नवीन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वो इन परिवर्तित परिस्थितियों में भी खुद को समायोजित रखे। शिक्षक के लिए तो यह और भी आवश्यक है क्योंकि शिक्षक की भूमिका में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। अब वे मात्र ज्ञान एवं सूचना प्रदान करनेवाले अनुदेशक नहीं रहे हैं बल्कि वे छात्रों के पथ-प्रदर्शक हैं। अब उन्हें विद्यार्थियों को सीखाने के बजाए उन्हें स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना है। वैश्वीकरण, निजीकरण, एवं उदारीकरण के इस दौर में जहाँ उन्हें

प्रतिपल उभरती हुई प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ता है वहीं उन्हें अपनी नैतिकता एवं मूल्यों से भी जुड़े रहना पड़ता है ताकि वो विद्यार्थियों के आदर्श बन सके। इन परिवर्तित एवं महती भूमिकाओं को सुसमायोजित ढंग से निभाने के लिए उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है।

(4) परिवर्तित पाठ्यक्रम से अनुकूलन के लिए- यह बात सर्वविदित है कि शिक्षण पद्धति समाज में हो रहे परिवर्तन के अनुकूल बदलती रहती है और परिणामस्वरूप पाठ्यक्रम भी। नए पाठ्यक्रम को आत्मसात कर उसे उसे विद्यार्थियों तक प्रभावपूर्ण ढंग से प्रेषित करने के लिए भी उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम की आवश्यकता होती है।

(5) स्वमूल्यांकन हेतु- मूल्यांकन किसी भी प्रक्रिया या प्रकार्यात्मक इकाई को गति प्रदान करता है। शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। अतः, इसका भी मूल्यांकन आवश्यक है। उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या कार्यक्रमों शिक्षक को स्वमूल्यांकन का अवसर प्रदान करता है ताकि वह अपनी योग्यताओं को जान सके, कमियों को पहचान सके, उसे दूर करे एवं अपनी दक्षता को बढ़ा सके।

(6) प्रोन्नति के लिए- प्रोन्नति हर शिक्षक का सपना होता है और इस प्रोन्नति की एक आवश्यक शर्त है ओरिएंटेशन कोर्स का प्रमाण-पत्र उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ओरिएंटेशन कोर्स, वास्तव में शिक्षक को अपने व्यवसाय में सशक्त करने के लिए आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्न

(क) नीचे दिए गए जगह में अपने उत्तर लिखें।

(ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से अपने उत्तर मिलाइए।

2. उन्मुखीकरण कार्यक्रम की आवश्यकता का उल्लेख करें।

4.6 उन्मुखीकरण कार्यक्रम के उद्देश्य

उन्मुखीकरण कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

शिक्षकों के व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि करना;

शिक्षकों में ज्ञान की वृद्धि कर उनके आत्मविश्वास के स्तर में वृद्धि करना;

शिक्षकों में स्वमूल्यांकन करने की क्षमता का विकास करना;

शिक्षकों को परिवर्तित हो रहे परिवेश में अपनी भूमिका को समझ कर उसके साथ समायोजित होने में सक्षम बनाना;

विश्वविद्यालय शिक्षकों को शोध संबंधी क्रियाओं की ओर उन्मुख करना जो कि उनकी शिक्षण प्रविधियों को भी समृद्ध बनाता है; तथा

शिक्षकों की सहायता, शैक्षिक प्रबंधन व संगठन को समझने, इस व्यवस्था में उनकी भूमिका विशेष को समझने तथा उस भूमिका के निर्बहन करने में, करना है।

4.7 उन्मुखीकरण कार्यक्रम के प्रकार

एकेडमिक स्टाफ कॉलेज द्वारा तीन प्रकार के उन्मुखीकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ये तीन प्रकार निम्नलिखित हैं:

1. **महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए उन्मुखता कार्यक्रम** – जब उन्मुखीकरण कार्यक्रम को, नए शिक्षकों को, भारतीय एवं वैश्विक संदर्भ में शिक्षा के महत्व को समझाने, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास एवं शिक्षा के मध्य अंतर्संबंधों को समझाने, इन परिस्थितियों में उनकी स्वयं की भूमिका को समझाने तथा उसका निर्बहन करने के लिए उन्हें जागरूक बनाने के उद्देश्य के साथ, आयोजित किया जाता है तब यह, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए उन्मुखता कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है।

2. **वरिष्ठ प्राध्यापकों, विभागाध्यक्षों, प्रधानाचार्यों तथा प्रशासकों के लिए अंशकालिक उन्मुखीकरण कार्यक्रम** - प्रधानाचार्यों, वरिष्ठ प्राध्यापकों, विभागाध्यक्षों में कार्य की दशाओं को उन्नत बनाने का दृष्टिकोण विकसित करने के साथ ही उन्हें नई नीतियों, विचारों व दृष्टिकोण से भी परिचित कराने के उद्देश्य के साथ आयोजित किया जाने वाला उन्मुखीकरण कार्यक्रम अंशकालिक उन्मुखीकरण कार्यक्रम कहलाता है।

3. **सूचना और सम्प्रेषण के क्षेत्र में विशिष्ट उन्मुखीकरण कार्यक्रम** – संचार क्रांति के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों से, शिक्षकों को परिचित कराने एवं शिक्षा एवं शिक्षण प्रक्रिया में, उनके द्वारा इनके उपयोग को प्रश्रय देने के लिए, उन्हें जागरूक बनाने हेतु आयोजित

किया जाने वाला कार्यक्रम सूचना और संप्रेषण के क्षेत्र में विशिष्ट उन्मुखीकरण कार्यक्रम कहलाता है।

4.8 उन्मुखीकरण कार्यक्रम का पाठ्यक्रम

यू0 जी0 सी0 द्वारा उन्मुखता कार्यक्रम के लिए जो पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया है उसे तालिका संख्या 1 में दिखाया गया है। यू0 जी0 सी0 द्वारा प्रस्तावित यह पाठ्यक्रम अपने मूल स्वरूप में एकेडमिक स्टाफ कॉलेजों के लिए बाध्यकारी नहीं है। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के पास इस बात की स्वतंत्रता होती है कि वो अपने उपलब्ध संसाधनों एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसार प्रकरणों का चयन करें।

तालिका संख्या 1: उन्मुखीकरण कार्यक्रम का पाठ्यक्रम

क्र0 सं0	घटक	घटक के विषय
1.	‘अ’	समाज के पर्यावरण विकास व शिक्षा के मध्य अंतर्संबंधों के प्रति जागरुकता
2.	‘ब’	शिक्षा दर्शन, भारतीय शिक्षा व्यवस्था तथा शिक्षा शास्त्र
3.	‘स’	संसाधनों के प्रति जागरुकता तथा ज्ञान का सृजन
4.	‘द’	व्यक्तित्व विकास का प्रबंधन

4.9 पुनश्चर्या कार्यक्रम का अर्थ

पुनश्चर्या का शाब्दिक अर्थ होता है नवीनता के साथ अनुकूलन करने अर्थात् उसे ग्रहण करने के लिए किया जाने वाला आचरण। परिवर्तन इस संसार का अंतिम सत्य है। फलस्वरूप सामाजिक जीवन में निरंतर परिवर्तन होना अनिवार्य है। ऐसे में शिक्षा इससे अछूती नहीं रह सकती है। वह भी निरंतर परिवर्तित होते रहती है। शिक्षा में हुए इस परिवर्तन के साथ शिक्षक समुदाय का अनुकूलन कराने के लिए जब किसी विषय विशेष एवं उससे संबंधित प्रौद्योगिकि में हुए परिवर्तन को ध्यान में रखकर अल्पकालिक शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तब इसे पुनश्चर्या कार्यक्रम कहते हैं।

पुनश्चर्या कार्यक्रम किसी विषय विशेष से संबंधित होता है और महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे शिक्षकों के लिए अपने सहकर्मियों (पीयर ग्रुप) के साथ मिलकर परस्पर अंतर्क्रिया के साथ सीखने का अवसर प्रदान करता है।

4.10 पुनश्चर्या कार्यक्रम का इतिहास

पुनश्चर्या कार्यक्रम का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। इसकी शुरुआत सन् 1986 के नई शिक्षा नीति की उदघोषणा के बाद से मानी जाती है।

4.11 पुनश्चर्या कार्यक्रम के उद्देश्य

पुनश्चर्या कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

सेवारत शिक्षकों को अपने साथियों के साथ अनुभवों का आदान-प्रदान करने एवं एक-दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान करना

सेवारत शिक्षकों को, स्वयं को, विभिन्न विषयों में हो रहे ज्ञान के अद्यतनीकरण से, अद्यतन रखने के लिए, एक मंच प्रदान करना

शिक्षकों के मध्य सीखने एवं स्व-उन्नति की संस्कृति का विकास करना

भविष्य में अपने ज्ञान को और व्यापक बनाने के लिए तथा शोध कार्यों में संलग्न होने के लिए अवसर प्रदान करना

4.12 पुनश्चर्या कार्यक्रम का पाठ्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पुनश्चर्या कार्यक्रम के लिए कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं दिया है। इसलिए पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित करने वाले विभाग को इस बात की आज्ञा दी रहती है कि वो अपने विषय/अनुशासन में पुनश्चर्या कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम का स्वयं निर्माण करें। अतः, पुनश्चर्या कार्यक्रम का कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता है।

4.13 उन्मुखीकरण कार्यक्रम एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम में अंतर

इन दोनों तरह के कार्यक्रमों में निम्नलिखित अंतर है:

1. उन्मुखीकरण कार्यक्रम एक व्यापक संप्रत्यय है जबकि पुनश्चर्या कार्यक्रम इसकी तुलना में संकीर्ण है।
2. उन्मुखीकरण समाज में हो रहे परिवर्तन के फलस्वरूप शिक्षा व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों से शिक्षक समुदाय को अवगत कराने के लिए होता है जबकि पुनश्चर्या कार्यक्रम में किसी विषय विशेष को केन्द्र में रखा जाता है और उस विषय से संबंधित ज्ञान के अद्यतनीकरण में शिक्षक समुदाय की सहायता करता है।
3. उन्मुखीकरण नवनियुक्त शिक्षकों के साथ-साथ वरिष्ठ शिक्षकों, प्रशासकों आदि के लिए भी होता है जबकि पुनश्चर्या कार्यक्रम नवनियुक्त शिक्षकों के लिए नहीं होता है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
4. उन्मुखीकरण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आपने पुनश्चर्या कार्यक्रम में प्रतिभाग किया हो लेकिन पुनश्चर्या कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए यह आवश्यक है कि आपने उन्मुखीकरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया हो।
5. उन्मुखीकरण कार्यक्रम की अवधि 4 सप्ताह की होती है जिसमें 24 कार्य दिवस होते हैं तथा 6 घंटे प्रति दिन के हिसाब से 144 घंटे होते हैं जबकि पुनश्चर्या कार्यक्रम की अवधि 3 सप्ताह की होती है जिसमें 18 कार्य दिवस होते हैं तथा 6 घंटे प्रति दिन के हिसाब से 108 घंटे होते हैं।

4.14 एकेडमिक स्टाफ कॉलेज

एकेडमिक स्टाफ कॉलेज उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अधिकृत संस्था है। इस प्रकार की संस्था की स्थापना का विचार सर्वप्रथम शिक्षा आयोग (1964-66) द्वारा दिया गया लेकिन इस विचार को बल नहीं मिला और लगभग दो दशकों तक अर्थात् सन् 1986 तक इस विचार को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। वर्ष 1986 में पहली बार केन्द्रीय सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' को लागू किया गया। परिणामस्वरूप शिक्षा व्यवस्था में अमूल-चूल परिवर्तन हुए थे। शिक्षा-संबंधी नीति-निर्माताओं को उच्च शिक्षा का महत्व समझ में आया और उसमें गुणात्मक सुधार के

प्रयास प्रारंभ हुए। इन प्रयासों में शिक्षकों के व्यावसायिक उन्मुखीकरण को आवश्यक माना गया। इसके साथ ही पुनः उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या की अवधारणा को भी बल मिला। इसी समय मेहरोत्रा समिति का गठन हुआ और उसने उन्मुखीकरण को आवश्यक कर दिया तथा उच्च शिक्षा की शीर्षस्थ संस्था 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' को उन्मुखीकरण कार्यक्रम एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम चलाने का कार्य भार सौंपा गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के नव नियुक्त शिक्षकों के व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि के लिए एक योजना चलाई जिसे 'एकेडमिक स्टाफ ओरिएंटेशन स्कीम' (ए0 एस0 ओ0 एस0) के नाम से जाना जाता है। इस योजना के कुशल एवं प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना की गई। पहले प्रत्येक राज्य में एक-एक एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना की गई बाद में आवश्यकता के अनुसार इसकी संख्या बढ़ायी जाती रही। वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में कुल 66 एकेडमिक स्टाफ कॉलेज हैं। इनमें से अधिक एकेडमिक स्टाफ कॉलेज किसी न किसी विश्वविद्यालय में स्थित है लेकिन ये एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्यरत हैं एवं पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समर्थित हैं। पहला एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगस्त 1987 में स्थापित किया गया था और इसने अपना पहला उन्मुखीकरण कार्यक्रम 1 फरवरी, 1988 को आयोजित किया था। इस प्रकार, पहला उन्मुखीकरण कार्यक्रम भी यही था।

अभ्यास प्रश्न

टिप्पणी (क) नीचे दिए गए जगह में अपने उत्तर लिखें।

(ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से अपने उत्तर मिलाइए।

4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिक से अधिक एक वाक्य में दें।

(अ) पहला एकेडमिक स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ था?

(ब) पहला एकेडमिक स्टाफ कॉलेज कब स्थापित हुआ था?

(स) पहला उन्मुखीकरण कार्यक्रम किस एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में हुआ था?

(द) पहला उन्मुखीकरण कार्यक्रम कब हुआ था?

(य) पहले एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी?

(र) एकेडमिक स्टाफ कॉलेज को किस संस्था द्वारा समर्थन प्राप्त होता है?

(ल) वर्तमान में देश में कुल कितने एकेडमिक स्टाफ कॉलेज हैं?

4.15 सारांश

प्रस्तुत इकाई शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता एवं कुशलता में वृद्धि के लिए चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम विशेष रूप से उन्मुखीकरण कार्यक्रम एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम से संबंधित है। इस इकाई में उन्मुखीकरण कार्यक्रम के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्य एवं आवश्यकता की अति सुन्दर व्याख्या की गई है। इसके साथ ही उन्मुखीकरण कार्यक्रम के इतिहास को भी, भारत के विशेष संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। इसके तहत अतीत में शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों की चर्चा की गई है। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना एवं इसके पीछे छुपी विचारधारा को स्पष्ट करते हुए उनके द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार के उन्मुखीकरण कार्यक्रमों जैसे कि- महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए उन्मुखता कार्यक्रम, वरिष्ठ प्राध्यापकों, विभागाध्यक्षों, प्रधानाचार्यों तथा प्रशासकों के लिए अंशकालिक उन्मुखीकरण कार्यक्रम तथा सूचना और सम्प्रेषण के क्षेत्र में विशिष्ट उन्मुखीकरण कार्यक्रम की विशद् व्याख्या की गई है। साथ ही साथ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित, उन्मुखीकरण कार्यक्रम के पाठ्यक्रम पर भी प्रकाश डाला गया है और उसके चार मुख्य अवयव बताए गए हैं। पुनश्चर्या कार्यक्रम का अर्थ बताते हुए उन्मुखीकरण कार्यक्रम एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम में अंतर को बड़े ही सुन्दर ढंग से स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार यह इकाई शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थियों एवं शिक्षण व्यवसाय में शामिल व्यक्तियों के लिए अत्यंत ही उपयोगी है।

4.16 शब्दावली

उन्मुखीकरण = ओरिएंटेशन

पुनश्चर्या	=	रिफ्रेशर
कार्यक्रम	=	कोर्स
व्यावसायिक	=	प्रोफेशनल
सेवारत	=	इन सर्विस
कार्य परिस्थिति	=	वर्क कल्चर
अद्यतनीकरण	=	अपडेशन

4. 17 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. अ - 3

ब - 2

स - 4

द - 5

य - 1

4. (अ) इलाहाबाद विश्वविद्यालय

(ब) अगस्त, 1987

(स) एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

(द) 1 फरवरी, 1988

(य) सातवीं पंचवर्षीय योजना

(र) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(ल) 66

4. 18 सहायक/उपयोगी ग्रंथ

Academic Staff Orientation Scheme, New Delhi, UGC 1987

NPE 1986, Ministry of Human Resource Development, Dept. of Education, Govt. of India, 1986

NPE 1992 (modified) Ministry of Human Resource Development, Dept. of Education, 1992

Mangala, S. (2001) . *Teacher Education: Trends and Strategies*, Radha Publications, New Delhi.

4.19 निबंधात्मक प्रश्न

1. उन्मुखीकरण कार्यक्रम का अर्थ स्पष्ट करें।
2. पुनश्चर्या कार्यक्रम का अर्थ स्पष्ट करें।
3. उन्मुखीकरण कार्यक्रम के भारतीय इतिहास पर संक्षिप्त टिप्पणी करें।
4. उन्मुखीकरण कार्यक्रम की आवश्यकता स्पष्ट करें।
5. उन्मुखीकरण कार्यक्रम के प्रकारों की चर्चा करें।
6. उन्मुखीकरण कार्यक्रम के पाठ्यक्रम संक्षिप्त टिप्पणी करें।
7. उन्मुखीकरण कार्यक्रम एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम में अंतर स्पष्ट करें।
8. एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना पर प्रकाश डालें।
9. पुनश्चर्या कार्यक्रम के उद्देश्यों का उल्लेख करें।

**इकाई-5 केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर अध्यापक शिक्षा के अभिकरण
(एन०सी०टी०ई०, एन०सी०ई०आर०टी०, एस०सी०ई०आर०टी०, नीपा०,
यू०जी०सी०, आर०सी०आई०,) National and State
Level Agencies of Teacher Education
(NCTE, NCERT, SCERT, NEUPA, UGC,
RCI,)**

5.1 प्रस्तावना (Introduction)

5.2 उद्देश्य (Objectives)

भाग-1

5.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission-
U.G.C)

5.3.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संगठन (Organization of U.G.C.)

5.3.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य (Functions of U.G.C.)

अपनी उन्नति जानिये (Check Your Progress)

भाग- 2

5.4 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (National Council of
Educational Research and Training-N.C.E.R.T.)

5.4.1 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का संगठन (Organization of
N.C.E.R.T.)

5.4.2 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्य (Functions of
N.C.E.R.T.)

5.4.3 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की संलग्न इकाईयाँ
(Constituent Units of N.C.E.R.T.)

अपनी उन्नति जानिये (Check Your Progress)

भाग- 3

5.5 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (National Council of Teacher
Education-N.C.T.E.)

-
- 5.5.1 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संगठन (Organization of N.C.T.E.)
- 5.5.2 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य (Functions of N.C.T.E.)
- 5.5.3 राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (National University of Educational Planning & Administration- N.U.E.P.A.)
- 5.5.4 राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के कार्य (Functions of NEUPA)
- 5.5.5 भारतीय पुनर्वास परिषद (Rehabilitation Council of India-R.C.I.)
- 5.5.6 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (State Council of Educational Research & Training-S.C.E.R.T.)
- 5.5.7 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्य (Functions of S.C.E.R.T.)
- अपनी उन्नति जानिये (Check Your Progress)
- 5.6 सारांश (Summary)
- 5.7 शब्दावली (Glossary)
- 5.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Exercise Question)
- 5.9 संदर्भ ग्रंथ सूची (References)
- 5.10 सहायक/उपयोगी पाठ्यक्रम (Reference Book)
- 5.11 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Question.)

5.1 प्रस्तावना (Introduction)

अध्यापक शिक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिये, शिक्षकों को आवश्यक सेवागत सुविधाओं को प्रदान करने के लिये तथा गुणवत्ता सम्बन्धी मानदण्डों को प्रस्तुत करते हुये उचित नियन्त्रण व्यवस्था को बनाये रखने के लिये उच्च स्तरीय अभिकरणों की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिनके अभाव में उनमें उचित दायित्वबोध का विकास और सेवा संतुष्टि की उपलब्धि असम्भव है। वर्तमान समय में केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर उच्च

शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण अभिकरण कार्य कर रहे हैं, जिनका वर्णन आगे किया जा रहा है।

5.2 उद्देश्य (Objectives)

- i. विश्वविद्यालय शिक्षा के सम्बर्द्धन एवं समन्वय हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किये गये कार्यों से अवगत कराना।
- ii. विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की भूमिका का अध्ययन कराना।
- iii. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के योगदान का अध्ययन कराना।
- iv. राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के प्रकार्यों का अध्ययन कराना।
- v. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की उपयोगिता का अध्ययन कराना।
- vi. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा विकलाग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये प्रशिक्षित नीतियां एवं कार्यक्रमों के संचालन का अध्ययन कराना।

भाग एक

5.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- U.G.C)

भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों को अनुदान अनुमोदित करने के लिये सन् 1945 में एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया था। यह समिति भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों - बनारस, दिल्ली एवं अलीगढ़ को अनुदान अनुमोदित करने से सम्बन्ध रखती थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु गठित प्रथम विश्वविद्यालय आयोग ने देश के सभी विश्वविद्यालयों को अनुदान अनुमोदित करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission)) गठित करने की सिफारिश की थी। फलस्वरूप भारत सरकार ने 28

दिसम्बर सन् 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया, जिसे सन् 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा पूर्ण स्वायत्तशासी संस्था बना दिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने कार्य के विकेन्द्रीकरण के लिये छः क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये हैं, जिनके क्षेत्राधिकार इस प्रकार से हैं-

1. उत्तरी क्षेत्र, गाजियाबाद - जम्मू एण्ड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश।
2. केन्द्रीय क्षेत्र, भोपाल - मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान।
3. पश्चिमी क्षेत्र, पुणे - महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा।
4. दक्षिणी क्षेत्र, हैदराबाद - केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटक।
5. पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता - पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा एवं सिक्किम।
6. उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र, गुवाहाटी - असम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम।

5.3.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संगठन (Organization of U.G.C.)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कुल 12 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, दो केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि, चार विश्वविद्यालय शिक्षकों के प्रतिनिधि तथा शेष चार की नियुक्ति कुलपतियों, शिक्षा व्यवसाय के सदस्यों एवं ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों में से की जाती है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं, जिनकी नियुक्ति क्रमशः 5 वर्ष एवं 3 वर्ष के लिये की जाती है। आयोग का कार्यकारी प्रमुख सचिव होता है।

5.3.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य (Functions of U.G.C.)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान देने तथा उनमें समन्वय स्थापित करने और उनके स्तर के मानक तय करने हेतु किया गया था। यह संस्था केन्द्र तथा राज्य सरकारों एवं उच्च शिक्षा की संस्थाओं को जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-

1.आयोग उच्च शिक्षा के स्तरों के अनुरक्षण एवं समन्वय से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य करता है-

- i. विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना करना।
- ii. विश्वविद्यालय के चयनित विभागों में विशेष सहायता के कार्यक्रम का क्रियान्वयन।
- iii. अनुसंधान कार्यों के प्रोत्साहन हेतु सहायता देना।
- iv. परीक्षा पद्धति में सुधार हेतु सुझाव देना।
- v. शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक नियम, कानून बनाना तथा उनके शिक्षण की शर्तें एवं न्यूनतम योग्यता इत्यादि का निर्धारण करना।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में उच्च शिक्षा के लिये कार्यरत सभी विश्वविद्यालयों में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, पर्यावरण शिक्षा, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी के विकास के लिये अनुदान देता है।

3. आयोग उच्च शिक्षा देने वाले महाविद्यालयों के विकास एवं सम्बर्द्धन के लिये निम्नलिखित कार्य करता है-

- i. विशेष सहायता।
- ii. स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययन के विकास के लिये सहायता।
- iii. स्वायत्तशासी महाविद्यालयों के विकास हेतु सहायता।

4. आयोग देश के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को उनके शैक्षिक विकास के लिये संगोष्ठी, परिचर्या, कार्यशाला आदि आयोजित करने के लिये अपने निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप आर्थिक सहायता देता है।

5. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिये आयोग अनेक कल्याणकारी योजनाओं की सुविधा प्रदान करता है। छात्रों को शोध छात्रवृत्तियाँ एवं फैलोशिप्स प्रदान करता है तथा विकलांग छात्रों को विशेष सहायता प्रदान करता है।

6. आयोग अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न देशों के मध्य परस्पर सहयोग एवं द्विपक्षी विनिमय कार्यक्रमों के लिये संयुक्त संगोष्ठियाँ, यात्रायें, फैलोशिप्स आदि के लिये अनुदान देकर सहायता करता है।

अपनी उन्नति जानिये)Check Your Progress (

प्र01. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यकारी प्रमुख होता है?

(अ) अध्यक्ष (ब) उपाध्यक्ष (स) सचिव (द) कोई नहीं।

प्र02. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पूर्ण स्वायत्तशासी संस्था बना?

(अ) 1953 में (ब) 1955 में (स) 1956 में (द) 1958 में।

प्र03. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?

प्र04. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है?

भाग - दो

5.4. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training – N.C.E.R.T.)

विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में शोध एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1 सितम्बर सन् 1961 को एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना नई दिल्ली में की गयी थी। यह परिषद मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अकादमिक सलाहकार के रूप में कार्य करती है। परिषद का वित्तपोषण पूर्णतया भारत सरकार करती है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, चण्डीगढ़, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, शिमला, तिरुवनन्तपुरम्, इलाहाबाद, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, जयपुर, पटना, शिलांग और श्रीनगर/ जम्मू में सत्रह क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किये हैं। क्षेत्रीय कार्यालय परिषद को राज्यों में क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हैं तथा राज्यों को परिषद द्वारा किये गये कार्य का उपयोग करने में सहायता देते हैं।

5.4.1. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का संगठन (Organization of N.C.E.R.T.)

1. सामान्य निकाय (General Body)

अध्यक्ष (President) - केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री।

सदस्य (Members)-

- i. सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्री।
- ii. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव।
- iii. विश्वविद्यालयों के चार कुलपति (प्रत्येक क्षेत्र से एक)।
- iv. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष।
- v. केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के निदेशक।
- vi. प्रशिक्षण एवं रोजगार महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय के निदेशक (प्रशिक्षण), शिक्षा विभाग और योजना आयोग के प्रतिनिधि।
- vii. परिषद की कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य, जो उपर्युक्त में सम्मिलित नहीं हैं।
- viii. छः ऐसे अन्य व्यक्ति, जिनमें कम से कम चार सदस्य विद्यालय शिक्षक होते हैं और भारत सरकार द्वारा नामित किये जाते हैं।

संयोजक (President) -राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सचिव।

2. कार्यकारिणी समिति (Executive Committee)

अध्यक्ष (पदेन) President (Ex- officies)-केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री।

उपाध्यक्ष (पदेन) Vice President (Ex- offices) - केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री।

सदस्य (Members)-

- i. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव।
- ii. परिषद के निदेशक।
- iii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष।
- iv. विद्यालयी शिक्षा में रुचि रखने वाले दो शिक्षाविद् एवं दो विद्यालय शिक्षक।

- v. परिषद के संयुक्त निदेशक।
- vi. परिषद के तीन संकाय सदस्य।
- vii. मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।
- viii. वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि (वित्त सलाहकार)।

संयोजक (Coordinator) -परिषद का सचिव

5.4.2 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्य (Functions of N.C.E.R.T)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शैक्षिक विंग (Academic wing) के रूप में कार्य करता है। यह मंत्रालय समाज कल्याण मंत्रालय (Social Welfare Ministry) को विद्यालय शिक्षा से सम्बन्धित नीतियों और वृहद कार्यक्रमों के निर्माण एवं कार्यान्वयन में सहायता करता है। साथ ही विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में उसकी नीति-निर्धारण तथा प्रमुख कार्यक्रमों के संचालन में उसको सहायता प्रदान करता है।

विद्यालय शिक्षा में सुधार लाने के लिये यह परिषद देश में फैले अपने संघटकों के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करती है-

1. विद्यालयी शिक्षा और शिक्षक शिक्षा की सभी शाखाओं में अनुसंधान सम्बन्धी कार्य करना, उसमें सहायता पहुँचाना एवं उसे सम्वर्द्धित और समन्वित करना।
2. शिक्षकों के लिये सेवापूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम उच्च स्तर पर आयोजित करना।
3. परिष्कृत शैक्षिक तकनीकों, पद्धतियों एवं नूतन प्रक्रियाओं का विकास एवं प्रयोग सम्बन्धी कार्य करना।
4. विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र की सरकार को और राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र स्तर की संस्थाओं, संगठनों एवं अभिकरणों को कार्यक्रम तैयार करने तथा उनके क्रियान्वयन में सहायता देना।

5. यूनेस्को (UNESCO), यूनीसेफ (UNICEF), यूएनडीपी (UNDP) एवं यूएनएफपी (UNFPA) जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों एवं अन्य देशों की राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक संस्थाओं के साथ सहयोग करना।

6. अन्य देशों के शैक्षिक कार्मिकों (Personnel) को प्रशिक्षण एवं अध्ययन की सुविधायें प्रदान करना।

7. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ((NCTE) तथा एशिया एवं प्रशान्त के शैक्षिक नवाचारों के विकास कार्यक्रम (Asia and the pacific programme of Educational Innovation for Development) के राष्ट्रीय विकास समूह के अकादमिक सचिवालय के रूप में कार्य करना।

5.4.3 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की संलग्न इकाईयाँ (Constituent Units of NCERT)

1. राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली (National Institute of Education, New Delhi)

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के अन्तर्गत निम्नलिखित विभाग हैं -

- i. पूर्व-विद्यालय एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
- ii. अनौपचारिक शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शिक्षा विभाग।
- iii. महिला अध्ययन विभाग।
- iv. सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी शिक्षा विभाग।
- v. विज्ञान तथा गणित शिक्षा विभाग।
- vi. शिक्षक शिक्षा एवं विशिष्ट शिक्षा विभाग।
- vii. शिक्षा मनोविज्ञान, निर्देशन एवं परामर्श विभाग।
- viii. मापन, मूल्यांकन, सर्वेक्षण तथा दत्त विश्लेषण का विभाग।
- ix. पुस्तकालय, प्रलेखन और सूचना विभाग।
- x. कर्मशाला विभाग।
- xi. क्षेत्र तथा प्रसार सेवाओं का विभाग (Field & Extension Services)।
- xii. प्रकाशन विभाग।

xiii. योजना, प्रोग्रामिंग, अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन प्रभाग।

xiv. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध।

2. केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली

(Central Institute of Educational Technology, NIE campus New Delhi)

3. पं. सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल (Pt. S.L. Sharma Central Institute of Vocational Education, Bhopal)

4. शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार समिति, नई दिल्ली

(Educational Research and Innovation Committee, NIE Campus, New Delhi)

5. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (Regional Institute of Education)

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना जुलाई सन् 1963 में मुदालियर आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा बहुदेशीय विद्यालयों के शिक्षकों को व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक विषयों में प्रशिक्षण देने के लिये किया गया। बहुदेशीय विद्यालय कृषि, वाणिज्य, गृह विज्ञान, ललित-कला इत्यादि विषयों की शिक्षा के लिये स्थापित किये गये थे। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान को प्रारम्भ में क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय (Regional College of Education-R.C.E.) के नाम से जाना जाता था। प्रारम्भ में क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की संख्या चार थी, जो अजमेर, भोपाल, मैसूर एवं भुवनेश्वर में स्थित हैं। पाँचवें क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना शिलांग में की गयी है, जो प्रारम्भ होने पर पूर्वोत्तर राज्यों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इन संस्थानों की प्रादेशिक सीमायें इस प्रकार हैं-

- (i) क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल (Regional College of Education, Bhopal) इससे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य जुड़े हैं।

- (ii) क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर (Regional College of Education Ajmer) इससे दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखण्ड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य जुड़े हैं।
- (iii) क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर (Regional College of Education Mysore) इससे आन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्य जुड़े हुये हैं।
- (iv) क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेश्वर (Regional College of Education Bhubneshwar) इससे बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैण्ड, अरूणांचल प्रदेश, मेघालय आदि राज्य जुड़े है।
- (v) क्षेत्रीय कार्यालय (Field Offices)

अपनी उन्नति जानिये)Check Progress your)

प्र01. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई?

(अ) 1 दिसम्बर 1961 (ब) 1 सितम्बर 1961

(स) 10 दिसम्बर 1961 (द) 1 नवम्बर 1961

प्र02. NCERT से सम्बन्धित इकाई नहीं है?

(अ) NIE (ब) CIET (स) NCTE (द) RIE

प्र03. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय अवस्थित है?

(अ) शिमला में (ब) इलाहाबाद में (स) पटना में (द) उपर्युक्त सभी

प्र04. NCERT का पदेन अध्यक्ष होता है?

(अ) प्रधानमंत्री (ब) राष्ट्रपति
(स) केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री (द) वित्तमंत्री

भाग -तीन

5.5 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (National Council of Teacher Education- N.C.T.E.)

शिक्षा आयोग (1964-66) के सुझावों के आधार पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना मई सन् 1973 में की गयी। सन् 1973 से सन् 1993 तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के लिये सचिवालय के रूप में कार्य कर रही थी, क्योंकि यह संस्था असंवैधानिक थी। सन् 1993 में संसद के अधिनियम संख्या 73 के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को पूर्ण संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य सम्पूर्ण देश में शिक्षक शिक्षा पद्धति का योजनाबद्ध एवं समन्वित विकास तथा शिक्षक शिक्षा के मानकों एवं स्तरों का नियमन एवं अनुरक्षण करना है। इस परिषद ने 1 जुलाई सन् 1995 से विधिवत अपना कार्य प्रारम्भ किया।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यों में सहयोग के लिये चार क्षेत्रीय समितियां (प्रत्येक क्षेत्र में एक) भी स्थापित की गयी, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित राज्य आते हैं-

1. उत्तर क्षेत्रीय समिति (North Regional Committee) जयपुर-
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान और चण्डीगढ़।
2. दक्षिण क्षेत्रीय समिति (South Regional Committee) बंगलौर-
आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्ष्यदीप एवं पाण्डिचेरी।
3. पूर्वी क्षेत्रीय समिति (Eastern Regional Committee), भुवनेश्वर
अरूणांचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
4. पश्चिम क्षेत्रीय समिति (Western Regional Committee), भोपाल
गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीवा।

5.5.1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संगठन (Organization of N.C.T.E.)

सन् 1993 के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे-

- | | | |
|-------|---|----|
| 1. | अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त | 01 |
| 2. | उपाध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त | 01 |
| 3. | सदस्य सचिव, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त | 01 |
| 4. | सचिव, शिक्षा विभाग, भारत सरकार -पदेन | 01 |
| 5. | अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-पदेन | 01 |
| 6. | निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद-पदेन | 01 |
| 7. | निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NEUPA) पदेन | 01 |
| 8. | सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग -पदेन | 01 |
| 9. | अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद-पदेन | 01 |
| 10. | वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग, भारत सरकार –पदेन | 01 |
| 11. | सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद -पदेन | 01 |
| 12. | सभी क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्ष -पदेन | 04 |
| 13. | शिक्षा अथवा शिक्षण के क्षेत्र में योग्यता एवं अनुभव रखने वाले निम्नलिखित में से केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा- | 13 |
| (i) | विश्वविद्यालयों में शिक्षा के प्रोफेसर और शिक्षा संकाय के अधिष्ठाता | 04 |
| (ii) | माध्यमिक शिक्षक-शिक्षा का विशेषज्ञ | 01 |
| (iii) | पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक शिक्षा के विशेषज्ञ | 03 |

- (iv) अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा के विशेषज्ञ 02
- (v) शिक्षा तकनीकी एवं विशिष्ट शिक्षा, कार्यानुभव, व्यावसायिक शिक्षा, भाषाविद्, सामाजिक विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में विशेषज्ञ (चक्रीय क्रम में) 03
14. राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों को प्रतिनिधित्व देने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य 09
15. संसद सदस्य- (राज्य सभा के सभापति द्वारा नामित -01, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित-02) 03
16. मान्यता प्राप्त संस्थाओं के शिक्षकों एवं प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों में से केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य 03

5.5.2 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य (Functions of N.C.T.E.)

1. अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण एवं अध्ययन करना और प्राप्त परिणामों को प्रकाशित करना।
2. अध्यापक शिक्षा के लिये उपयुक्त योजनायें तथा कार्यक्रम तैयार करने के लिये केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सिफारिशें करना।
3. देश में अध्यापक शिक्षा के विकास का समन्वय एवं परिवीक्षण करना।
4. विद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिये न्यूनतम अर्हताओं के सम्बन्ध में मार्ग-निर्देश तैयार करना।
5. अध्यापक शिक्षा के लिये विशिष्ट प्रकार के पाठ्यक्रमों अथवा प्रशिक्षण हेतु मानक निर्धारित करना। इसमें प्रवेश हेतु पात्रता मानक, उम्मीदवारों की चयन पद्धति, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम, विषयवस्तु तथा पाठ्यचर्या प्रकार भी सम्मिलित है।
6. विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु भौतिक एवं आधार-संरचनात्मक सुविधायें उपलब्ध कराने, संकाय सदस्यों की संख्या तथा उनकी योग्यता आदि का निर्धारण करना।

7. मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले शिक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्कों से सम्बन्धित मार्ग-निर्देश तैयार करना।
8. अध्यापक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में नव प्रवर्तन तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना और उसके परिणामों का प्रसार करना।
9. परिषद द्वारा निर्धारित मानकों, मार्ग-निर्देशों तथा स्तरों की समय-समय पर जांच एवं समीक्षा करना तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं को उपयुक्त सलाह देना।
10. अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिये योजनायें तैयार करना तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं का पता लगाना तथा अध्यापक शिक्षा के विकास कार्यक्रमों के लिये नयी संस्थाये स्थापित करना।
11. अध्यापक शिक्षा के वाणिज्यीकरण को रोकने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही करना।
12. अन्य वे सभी कार्य करना, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त हों।

5.5.3 राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (National University of Educational Planning and Administration – N.U.E.P.A)

राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (N.U.E.P.A.) भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित है, जो भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया में भी शिक्षा के नियोजन एवं प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधानरत् है।

प्रारम्भ में यह विश्वविद्यालय शैक्षिक नियोजकों एवं प्रशासकों के लिये एशियन क्षेत्रीय केन्द्र (Asian Regional Centre) के रूप में यूनेस्को (UNESCO) के साथ दस वर्षीय संविदा के अन्तर्गत सन् 1962 में नई दिल्ली में स्थापित हुआ, जो सन् 1965 में शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन का एशियन संस्थान, नई दिल्ली (Asian Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi) के नाम से हो गया। संविदा की समाप्ति पर शिक्षा आयोग की संस्तुति के अनुरूप भारत सरकार ने इस संस्थान का अधिग्रहण कर “शैक्षिक नियोजकांे एवं प्रशासकों के लिये

राष्ट्रीय स्टाफ कालेज”(National Staff College for Educational Planners and Administration) नाम रख दिया। तत्पश्चात् मई सन् 1979 में इसका नाम बदलकर ‘राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान’ (National Institute of Educational Planning and Administration)कर दिया गया। अगस्त सन् 2006 में भारत सरकार ने NIEPA को शक्तिशाली बनाते हुये इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (National University of Educational Planning and Administration-NUEPA) रखा और डीम्ड विश्वविद्यालय की श्रेणी प्रदान की।

5.5.4.राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के कार्य (Function of N.E.U.P.A.)

1. शिक्षा नियोजकों एवं प्रशासकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे उनकी क्षमताओं का विकास एवं सुधार किया जा सके।
2. शिक्षा योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान कराना।
3. नवाचारों के प्रचार एवं प्रसार हेतु कार्य करना।
4. विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के लिये परामर्श सेवायें प्रदान करना।
5. विभिन्न राष्ट्रीय संगठनों-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, योजना आयोग, भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय इत्यादि से सहयोग एवं सम्बन्ध रखना।
6. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों-यूनेस्को, रीजनल आफिस बैंकाक, इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, पेरिस (Institute of Educational Planning, Paris), कामनवेल्थ सचिवालय इत्यादि से सम्बन्ध रखना।
7. शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन से सम्बन्धित प्रकाशन करना

5.5.5. भारतीय पुनर्वास परिषद (Rehabilitation Council of India-R.C.I.)

सन् 1981 में भारत सरकार का ध्यान विकलांगों के पुनर्वास की तरफ केन्द्रित हुआ। अतः सभी प्रकार के विकलांगों की शिक्षा, उनका निर्देशन तथा उनका पुनर्वास करने के लिये भारत सरकार ने सन् 1986 में भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की। सन् 1992 के एक्ट 34 द्वारा एक कानूनी परिषद की मान्यता इसे प्राप्त हुई तथा जुलाई सन् 1993 से इस परिषद ने कार्य करना प्रारम्भ किया। इसका संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकार प्रदत्त करने वाले मंत्रालय के अन्तर्गत होता है। भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

इस परिषद के मुख्य रूप से चार उत्तरदायित्व हैं-

1. विकलांगों के कल्याण के लिये नीतियों तथा कार्यक्रमों की रूप-रेखा बनाना।
2. विकलांग छात्रों को प्रशिक्षण देने वाले व्यक्तियों के द्वारा बनाये गये पाठ्यक्रम तथा तकनीकियों को मानकीकृत रूप प्रदान करना।
3. विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा तथा पुनर्वास से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने वाली संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना।
4. पुनर्वास कार्यों में लगे व्यक्तियों को पुनर्वास के केन्द्रीय पंजीकरण रजिस्टर में अंकित करना तथा उनकी गतिविधियों को मूल्यांकित करना। इसके लिये उन्हें किसी भी प्रकार की मान्यताप्राप्त पुनर्वास योग्यता प्राप्त करनी होगी, तभी वह भारत के किसी भी क्षेत्र में विकलांगों के संदर्भ में कार्य कर सकते हैं।

5.5.6 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (State Council of Educational Research and Training-S.C.E.R.T)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के समान राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा कार्य किया जाता है। कई राज्यों में इसे राज्य शिक्षा संस्थान (State Institute of Education- SIE) के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना विभिन्न राज्यों में सन् 1960 के मध्य की गयी थी।

विद्यालयी व्यवस्था को अकादमिक सहायता प्रदान करने हेतु गठित राज्य शिक्षा संस्थान की संख्या जब काफी बढ़ गयी, तो सन् 1970 में इसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के रूप में स्थापित किया गया। प्रारम्भ में यह मुख्यतः विद्यालयी शिक्षा के सार्वजनीकरण से सम्बन्धित थी, फिर भी विद्यालय शिक्षा के अन्य पक्षों की ओर भी इस संस्था द्वारा अपेक्षित ध्यान दिया गया।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों, खण्ड शिक्षा अधिकारियों तथा विद्यालय के प्राचार्यों को दिशा-निर्देश देती है। इसका मुख्य अधिकारी इसका निदेशक एवं संयुक्त निदेशक होता है। शिक्षा के क्षेत्र में जिन लक्ष्यों एवं अनुसंधान कार्यों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा निश्चित किया जाता है, उन्हें प्रत्येक राज्य अपनी भौगोलिक स्थिति, आवश्यकता तथा प्राप्त संसाधनों के अनुसार अपनाता है।

5.5.7 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्य (Functions of S.C.E.R.T.)

1. राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या का निर्माण करना।
2. प्रत्येक विषय हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं अध्यापकों की शिक्षा हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।
3. विशिष्ट समूह जैसे जनजातियों की अधिकता वाले क्षेत्र में अलग से इकाईयों को खोलकर उनके विशेषज्ञों की नियुक्ति करना एवं उनकी शिक्षा व्यवस्था करना।
4. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं अन्य केन्द्रीय संगठनों से शैक्षिक सम्बन्ध स्थापित करना।
5. विभिन्न नवाचारों, शिक्षण एवं मूल्यांकन की आधुनिक प्रविधियों, तथा शिक्षण सहायक सामग्री के विकास का ज्ञान शिक्षकों को प्रशिक्षण द्वारा प्रदान करना।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के बच्चों एवं अल्पसंख्यकों हेतु छात्रवृत्तियाँ, भत्ते इत्यादि की परियोजनायें बनाना।
7. सेवारत विद्यालय निरीक्षकों का उन्मुखीकरण करना।

8. विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित क्षेत्रों में स्वयं अथवा अन्य संस्थाओं के माध्यम से शोध कार्य करना।
9. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग, विशेषकर शिक्षक प्रशिक्षण मण्डल के कार्यक्रमों की संकल्पना और क्रियान्वयन करना।
10. अध्यापकों के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना।
11. शिक्षा विभाग द्वारा सौंपे गये कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना।
12. पाठ्यक्रमों/पाठ्य पुस्तकों के पुनर्निरीक्षण एवं सुधार हेतु सुझाव देना।
13. प्रतिभावान छात्रों की छात्रवृत्ति अथवा आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु विभिन्न प्रकार की चयन परीक्षाओं का आयोजन करना अथवा इस प्रकार की परीक्षाओं हेतु शिक्षा विभाग को सहयोग देना।
14. आदर्श विद्यालयों के विकास में सहायता देना।
15. विद्यालयी स्तर पर विज्ञान शिक्षण हेतु संचालित कार्यक्रमों में मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के रूप में सहयोग करना।
16. पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण एवं प्रकाशन करना।
17. इन कार्यों के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं द्वारा जो कार्य सौंपे जायें, उसे पूरा करना।

अपनी उन्नति जानिये (Check Your Progress)

प्र01. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी?

(अ) 1963 में (ब) 1973 में (स) 1993 में (द) 1983 में

प्र02. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विकास के लिये कार्य करती है?

(अ) प्राथमिक शिक्षा (ब) माध्यमिक शिक्षा (स) उच्च शिक्षा (द) अध्यापक शिक्षा

प्र03. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यताप्राप्त हुई?

(अ) 1993 में (ब) 1973 में (स) 1983 में (द) 1995 में

प्र04. उत्तर क्षेत्रीय समिति स्थित है?

(अ) जयपुर में (ब) भोपाल में (स) बंगलौर में (द) शिमला में

प्र05. राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान नाम अस्तित्व में आया?

(अ) मार्च 1976में (ब) मई 1979में (स) मई 1976 में (द) मार्च 1979 में

प्र06. NEUPA का सम्बन्ध है?

(अ) नियोजन से (ब) प्रशासन से (स) अनुशासन से (द) नियोजन एवं प्रशासन से

प्र07. राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय स्थित है?

(अ) हैदराबाद में (ब) नई दिल्ली में (स) चण्डीगढ़ में (द) जयपुर में

प्र08. अगस्त 2006 में अस्तित्व में आया?

(अ)NIEPA (ब) NUEPA (स) UNESCO (द) NCTE

प्र09. भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली की स्थापना हुई?

(अ) 1985 में (ब) 1986 में (स) 1987 में (द) 1988 में

प्र10. भारतीय पुनर्वास परिषद ने कार्य प्रारम्भ किया?

(अ) जुलाई 1993 (ब) अगस्त 1993 (स) मई 1993 (द) मार्च 1993

प्र11. भारतीय पुनर्वास परिषद किस हेतु कार्य करता है?

(अ) सामान्य छात्रों के पुनर्वास हेतु।

(ब) अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के पुनर्वास हेतु।

(स) विकलांग छात्रों के पुनर्वास हेतु।

(द) उपर्युक्त सभी।

प्र12. भारतीय पुनर्वास परिषद का संचालन होता है-

(अ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा।

(ब) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा।

(स) वित्तमंत्रालय द्वारा।

(द) रक्षा मंत्रालय द्वारा।

प्र13. राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई?

(अ) 1950 में (ब) 1960 में (स) 1970 में (द) 1965 में

प्र14. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है?

(अ) NCERT (ब) SCERT (स) NCTE (द) SBTE

प्र15. SCERT है?

(अ) राष्ट्रीय अभिकरण (ब) अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण

(स) राज्य अभिकरण (द) कोई नहीं

प्र16. SCERT का पूर्ववर्ती नाम है?

(अ) NCERT (ब) NCTE (स) SIE(द) NCET

5.6 सारांश (Summary)

वैश्वीकरण के युग में गुणवत्ता का महत्व होता है। कोई भी व्यक्ति आज सफलता के शिखर पर तभी पहुंच सकता है, जब उसके अन्दर गुणवत्ता होगी। अतः एक शिक्षक को सफल शिक्षक बनने के लिये उसके अन्दर गुणवत्ता का होना आवश्यक है। इस हेतु वर्तमान समय में अनेक अभिकरण केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर कार्यरत हैं। समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर अध्यापक शिक्षा में सुधार के लिये ये अभिकरण प्रयास कर रहे हैं।

28 दिसम्बर सन् 1953 को गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा के स्तरों के अनुरक्षण एवं समन्वय से सम्बन्धित कार्य कर रहा है। विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में शोध एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1 सितम्बर सन् 1961 को एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गयी। वर्तमान समय में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की छः संलग्न इकाईयाँ (Constituent Units) कार्यरत हैं। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (Regional Institute of Educations) उनमें से एक हैं, जिसकी स्थापना मुदालियर आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा बहुदेशीय विद्यालयों के शिक्षकों को व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक विषयों में प्रशिक्षण देने के लिये किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के समान राज्य स्तर पर विद्यालयी शिक्षा को उन्नत बनाने के लिये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गयी। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु अच्छे शिक्षकों की भी आवश्यकता होती है। इस हेतु अध्यापक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किया गया, जो अपना कार्य प्रभावी तरीके से संचालित कर रहा है। भारतीय पुनर्वास परिषद विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिये विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर रहा है।

अन्त में हम कह सकते हैं शिक्षा को सर्वसुलभ एवं उपयोगी बनाने के लिये समय-समय पर केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

5.7 शब्दावली (Glossary)

अभिकरण- ऐसी संस्थायें जो किसी विशेष कार्य हेतु गठित की जाती हैं, अभिकरण कहलाती हैं।

अध्यापक शिक्षा- शिक्षक को सेवापूर्व एवं सेवाकालीन प्राप्त प्रशिक्षण अध्यापक शिक्षा कहलाता है।

5.8. अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Exercise Question)

भाग- एक

- उत्तर (1) स
(2) स
(3) 5 वर्ष
(4) छः

भाग- दो

- उत्तर (1) अ
(2) स
(3) द
(4) स

भाग-तीन

- उत्तर (1) ब
(2) द
(3) अ
(4) अ

-
- (5) ब
(6) द
(7) ब
(8) ब
(9) ब
(10) अ
(11) स
(12) ब
(13) ब
(14) ब
(15) स
(16) स

5.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference)

- शर्मा (डा.) आर.ए. व चतुर्वेदी (डा.) शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, इण्टरनेशनल पब्लिसिंग हाउस: मेरठ, पृष्ठ 648-649
- अग्रवाल, जे.सी, 21वीं शताब्दी के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा पर दृष्टिकोण, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा पृष्ठ 340-341
- सिंह (डा.) कर्ण, भारतीय शिक्षा का ऐतिहासिक विकास, एच.पी. भार्गव बुक हाउस: आगरा, पृष्ठ 345-361
- भट्टाचार्य (डा.) जी.सी., अध्यापक शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा, पृष्ठ 326-347

- मंगल (डा.) के.पी., आधुनिक भारतीय शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा, पृष्ठ 83-84
- पाठक, पी.डी., भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा पृष्ठ 336-337
- सक्सेना, एन.आर., मिश्रा, बी.के. व मोहन्ती, आर. के., अध्यापक शिक्षा, आर. लाल बुक डिपो: मेरठ
- मदान, पूनम, भारत में शिक्षा-व्यवस्था का विकास तथा समस्यायें, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा

5.10 सहायक/उपयोगी पाठ्यक्रम (Reference Book)

1. शर्मा (डा.) आर.ए. व चतुर्वेदी (डा.) शिखा, अध्यापक शिक्षा, इण्टरनेशनल पब्लिसिंग हाउस: मेरठ।
2. सिंह (डा.) कर्ण, भारतीय शिक्षा का ऐतिहासिक विकास, एच.पी. भार्गव बुक हाउस: आगरा।
3. भट्टाचार्य (डा.) जी.सी., अध्यापक शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा।

5.11 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Question)

- प्र01. केन्द्रीय स्तर पर अध्यापक शिक्षा के प्रमुख अभिकरण कौन-कौन से हैं ? किसी एक का विस्तृत वर्णन कीजिये।
- प्र02. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए?
- प्र03. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अध्यापक शिक्षा में योगदान का वर्णन कीजिये?
- प्र04 अध्यापक शिक्षा के विकास में राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की भूमिका स्पष्ट कीजिये।

ईकाई 6 अनुसन्धान की प्रकृति एवं लक्ष्य Nature and Aims of Research

- 6.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 6.2 उद्देश्य (Objectives)
- 6.3 अनुसन्धान की प्रकृति एवं लक्ष्य (Nature and Aims of Research)
 - 6.3.1 अनुसन्धान का अर्थ (Meaning of Research)
 - 6.3.2 अनुसन्धान: ज्ञान की साधना (Quest for Knowledge: Research)
 - 6.3.3 अनुसन्धान का स्वरूप (Nature of research)
- 6.4 अनुसन्धान की प्रकृति (Nature of Research)
- 6.5 अनुसन्धान के प्रमुख लक्ष्य (Aims of Research)
- 6.6 सारांश (Summary)
- 6.7 शब्दावली (Glossary)
- 6.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Practice Question)
- 6.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference Books)
- 6.10 सहायक उपयोगी पाठ्यसामग्री (Useful Books)
- 6.11 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Question)

6.1 प्रस्तावना (Introduction)

अध्यापक शिक्षा में अनुसन्धान से सम्बन्धित यह पन्द्रहवीं इकाई है। इससे पहले की इकाइयों के अध्ययन के बाद आप बता सकते हैं कि अनुसन्धान क्या है? विभिन्न शिक्षाशास्त्रियों ने अनुसन्धान का स्वरूप प्रस्तुत किया है। मानव जीवन में अनुसन्धान का क्या स्थान है? सम्पूर्ण अनुसन्धान (Research) शब्द की एक निश्चित परिभाषा निकालने के लिए विद्वानों ने महत्वपूर्ण परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। अनुसन्धान में किसी समस्या का वैज्ञानिक अन्वेषण सम्मिलित है। इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक निरीक्षण अन्य प्रमुख तत्व है। अनुसन्धान की प्रकृति के सम्बन्ध में इस अध्याय के शुरू में किये गए विश्लेषण एवं अन्य विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि अनुसन्धान एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों व उसका विकास अथवा किसी नये तथ्य की खोज द्वारा ज्ञान कोष में वृद्धि की जाती है। प्रस्तुत ईकाई में विस्तार से

अनुसन्धान की प्रकृति एवं लक्ष्यों का विश्लेषण प्रस्तुत है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप अनुसन्धान के अर्थ, प्रकृति एवं लक्ष्य को समझ सकेंगे तथा अनुसन्धान के सम्बन्ध में विश्लेषण कर सकेंगे।

6.2 उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप निम्न उद्देश्यों को भली भांति समझ सकेंगे।

1. अनुसन्धान की प्रकृति एवं लक्ष्यों का वर्णन।
2. अनुसन्धान: ज्ञान की साधना के रूप में।
3. अनुसन्धान की सामान्य प्रकृति की विवेचना।
4. अनुसन्धान के प्रमुख लक्ष्यों का वर्णन।

6.3 अनुसन्धान की प्रकृति एवं लक्ष्य (Nature and Aims of Research)

हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह तथ्यों के आधार पर प्राप्त हुआ है सत्य (Truth) तथ्यों में निहित है। तथ्यों का अवलोकन (Observation of facts), तथ्यान्वेषण तथा तथ्यों की मीमांसा आदि सब ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। ज्ञान की साधना वस्तुतः तथ्यों के साथ जुड़ना है। ज्ञान के समान संसार में पवित्र कुछ भी नहीं है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। अनुसन्धान कार्य करने का तात्पर्य तथ्यों को प्रकाश में लाना है। तथ्य प्रकाश में आते हैं तो ज्ञान की ज्योति जगजगमाती है। ज्ञान का अर्जन और विस्तार कोई स्वचालित व शाश्वत प्रक्रिया नहीं है। बल्कि इसके लिए विद्वान व उच्च प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा नियोजित सतत प्रयासों की आवश्यकता है। विद्यमान ज्ञान का स्तर मनुष्य द्वारा सदियों से अपनाई गई अनेक विधियों से प्राप्त उपलब्धियों का परिणाम है।

अनुसन्धान (Research) कार्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतर गम्भीर और महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। सृष्टि का सम्पूर्ण ज्ञान अनुसन्धान की वस्तु है। समस्त ज्ञान विश्लेष्य है। अज्ञात को ज्ञात बनाना तथा ज्ञात को पुनर्विवेचन द्वारा स्पष्ट तथा व्यवस्थित करना अनुसन्धान कार्य है। ज्ञान-विज्ञान की समस्त सूक्ष्मताएं अनुसन्धान योग्य हैं। प्राकृतिक जगत में अव्यवस्थित रूप से बिखरे तथ्यों को व्यवस्थित तथा नियमित करना तथा संगृहीत तथ्यों को विश्लेषित करके उनमें निहित सत्य को स्पष्ट करना अनुसन्धान कहलाता है।

अनुसन्धान के अंग्रेजी में रिसर्च (Research) कहा जाता है। रिसर्च में 'रि' शब्दांश आवृत्ति और गहनता का द्योतक है, जबकि 'सर्च' (Search) शब्दांश खोज का समानार्थी है। इस प्रकार 'रिसर्च' का अर्थ हुआ प्रदत्तों की/अवृत्यात्मक और गहन खोज/दूसरे शब्दों में, प्रदत्तों की तह में बैठकर कुछ

निष्कर्ष निकालना, नये सिद्धान्तों की खोज करना और उन प्रदत्तों का स्पष्टीकरण करना 'रिसर्च' की प्रक्रिया के अन्तर्गत है।

सामाजिक विज्ञानों के ज्ञान-कोष के अनुसार (According to Encyclopedia of social sciences)-अनुसन्धान वस्तुओं प्रत्ययों तथा संकेतों आदि को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करता है, जिसका उद्देश्य सामान्यीकरण द्वारा विज्ञान का विकास परिमार्जन अथवा सत्यापन होता है चाहे वह ज्ञान व्यवहार में सहायक हो अथवा कला में।

डॉ. एन. वर्मा के अनुसार, (According to Dr. N. Verma) 'अनुसन्धान एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो नये ज्ञान को प्रकाश में लाती है अथवा पुरानी त्रुटियों एवं भ्रान्त धारणाओं का परिमार्जन करती है तथा व्यवस्थित रूप में वर्तमान ज्ञान-कोष में वृद्धि करती है।'

पी. एम. कुक के अनुसार, (According to P.M. Cook) 'किसी समस्या के सन्दर्भ में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमानी से तथ्यों उनके अर्थ तथा उपयोगिता की खोज करना ही अनुसन्धान है।

सी.सी. क्रॉफोर्ड के अनुसार, (According to C.C Craford) 'अनुसन्धान किसी समस्या के अच्छे समाधान के लिए क्रमबद्ध तथा विशुद्ध चिन्तन एवं विशिष्ट उपकरणों के प्रयोग की एक विधि है।

डब्ल्यू. एस. मुनरो के अनुसार, (According to S. Munro) 'अनुसन्धान उन समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जिसका अपूर्ण अथवा पूर्ण समाधान तथ्यों के आधार पर ढूंढना है। अनुसन्धान के लिए तथ्य, लोगों के कथन, ऐतिहासिक, तथ्य लेख अथवा अभिलेख परखों से प्राप्त फल, प्रश्नावली के उत्तर अथवा प्रयोग से प्राप्त सामग्री हो सकती है। अनुसन्धान और शोधन उस प्रक्रिया या कार्य का नाम है जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्मग्राही एवं विवेचन बुद्धि से उनका अवलोकन विश्लेषण करके नये तथ्यों या सिद्धान्तों का उद्घाटन किया जाता है। दूसरे शब्दों में पहले अज्ञात अवस्तुओं तथ्यों या सिद्धान्तों के आविष्कार की बोधपूर्वक क्रिया ही अनुसन्धान है। खोज के लिए आधार रूप में प्रयुक्त सिद्धान्त कार्य की प्रणालियां और दृष्टियां भिन्न-भिन्न हो सकती है। पर सब में एक अनिवार्य लक्ष्य होता है कि ज्ञान क्षेत्र को अधिक विस्तार देने वाले किसी नये लक्ष्य या सत्य का उद्घाटन हो।

ड्रेवर (1952) के अनुसार (According to Drever), 'अनुसन्धान का तात्पर्य किसी क्षेत्र में ज्ञान या पुष्टिकरण के लिए किये गये व्यवस्थित अनुसन्धान से है।

करलिंगर (1964,1983) के अनुसार, (According to Karlinger)' वैज्ञानिक अनुसन्धान एक ऐसा व्यवस्थित नियंत्रित अनुभवजन्य तथा सूक्ष्म अन्वेषण है जिससे प्राकृतिक घटनाओं में विद्यमान अनुमानित सम्बन्धों का अध्ययन परिकल्पना तर्क वाक्यों के द्वारा किया जाता है।

पी. वी. यंग (1966) के अनुसार, (According to P.V. Yung) 'अनुसन्धान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज तथा प्राचीन तथ्यों की पुष्टि की जाती है तथा उन अनुक्रमों पारस्परिक सम्बन्धों करणात्मक, व्याख्यानों तथा प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करती है जोकि नियंत्रित करते है।

एडवार्ड (1969) के अनुसार, (According to Edward) 'अनुसन्धान किसी प्रश्न अथवा समस्या अथवा प्रस्तावित उतरों की जांच के लिए उत्तर खोजने हेतु किया जाता है।'

जहोदा एवं अन्य (1959) के अनुसार, (According to Jahoda and others) 'अनुसन्धान उत्तर खोजने के लिए उन्मुख है यह उत्तर प्राप्त भी कर सकता है और नहीं भी।'

सम्पूर्ण अनुसन्धान के अंग (Parts of whole research):

किसी सम्पूर्ण अनुसन्धान या शोध के मुख्यतः चार अंग होते हैं।

1. ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा।
2. प्रासंगिक तथ्यों का संकलन
3. विवेकपूर्ण विश्लेषण और अध्ययन
4. परिणामस्वरूप निर्णय

मानव जीवन में अनुसन्धान का स्थान (Place of Research in Human Life)

मानव जीवन के विविध क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है और जिन सुख सुविधाओं को हम अनुभव करते है उन सबका आधार अनुसन्धान है। प्रत्येक अनुसन्धान से मानव की उन्नति होती है। शोध की क्रिया विविधियों में अधिक औपचारिकता, अनुशासन और आयोजन होते हैं। प्रकृति के नैसर्गिक नियमों से तथा अन्य जीव जन्तुओं के जीवन से भिन्न स्वनिर्मित और स्वसंचालित जो जीवन मनुष्य को प्राप्त हुआ वह उसके अनुसन्धान का ही परिणाम है।

वेस्ट जॉन डब्ल्यू (1959) के अनुसार, (According to Best John ,W) 'हमारी सांस्कृतिक उन्नति का रहस्य अनुसन्धान में निहित है। अनुसन्धान नये सत्यों के अन्वेषण द्वारा अज्ञान के क्षेत्रों नये सत्यों

के अन्वेषण द्वारा अज्ञान के क्षेत्रों की लुप्त कर देता है, और वे सत्य हमें कार्य करने की उत्कृष्ट कर विधियां और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। आज के जीवन के आन्तरिक और बाहरी पक्ष अनुसन्धान के द्वारा ही विकसित हो रहे हैं।

अनुसन्धान का उपयोग (Uses of Research)

भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के अनुसन्धान के उपयोग रूप और भाषा में भिन्न होते हैं। कुछ प्रत्यक्ष रूप में लक्षित और प्रमाणित हैं तो अनेक परोक्ष और अदृश्य भी होते हैं। किसी भौतिक वस्तु के निर्माण में परिणत होने वाले वैज्ञानिक शोध का उपयोग स्पष्ट और सहज मान्य है। पर किसी प्राचीन कलात्मक कृति के काल निर्णय के लिए या भाषा के प्रचलित कुछ शब्दों के पूर्वरूपों के निर्णय के लिए या कुछ पुरातत्व वस्तुएं खोद निकालकर किसी ऐतिहासिक सत्य का उद्घाटन करने के लिए जो शोध किये जाते हैं, उनका उपयोग इतना प्रत्यक्ष और तुरन्त अनुभव गम्य नहीं है, फिर भी ऐसे शोधों का महत्व कम नहीं होता। अनुसन्धान कार्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतर, गम्भीर और महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है जिल्दबंदी के बाद शोध प्रबन्ध मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ परीक्षकों के पास भेजे जाते हैं। स्वीकृत हो जाने पर शोधार्थी के कार्य पर न केवल उसे उच्च उपाधि से सम्मानित किया जाता है, बल्कि उसके प्रबन्ध को पुस्तकालय में सार्वजनिक ज्ञान के उच्चतम वर्ग के अन्तर्गत रखा जाता है। आने वाले पीढ़ियों के लिए यह प्रबन्ध सही या गलत मार्गदर्शन की सम्भावना और क्षमता से सम्पन्न माना जाता है।

अनुसन्धान का मूल आधार मस्तिष्क की वह प्रक्रिया है, जिसे चिन्तन कहते हैं। अनुसन्धान के आरम्भ से लेकर अन्त तक जितने क्रियाकलाप होते हैं, उनकी दिशा और रूप निर्दिष्ट करने वाली प्रवृत्ति चिन्तन ही है। अनुसन्धान अपने मौलिक रूप में मानव प्रकृति का अंश है, जिसका विकास एवं परिष्कार करने से एक संस्कार सा बन जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सामान्य मनुष्य में जो अन्वेषण वृत्ति और समस्याओं को हल करने की आकांक्षा से उत्पन्न मानसिक सक्रियता होती है, वह निरन्तर शिक्षण और अभ्यास के द्वारा प्रकृति और मानव जीवन के निगूढ़ रहस्यों तथा गम्भीर रहस्यों और गम्भीर सत्यों की खोज के तीव्र प्रयत्न में परिणत होती है।

6.3.1 अनुसन्धान का अर्थ (Meaning of Research)

अनुसन्धान शब्द का प्रयोग अब ज्ञान की प्रत्येक शाखा के गहन अध्ययन के निमित्त होने लगा है। अनुसन्धान की प्रकृति के सम्बन्ध में विचार करने से पूर्व इसी अर्थ में प्रयुक्त होने वाले दो अन्य शब्दों को भी देख लेना उचित होगा। वे शब्द हैं 'शोध' और 'गवेषणा'। 'शोध' 'Sodh' शब्द एक प्रकार की शुद्धि संस्कार या संशोधन का अर्थ देता है। शोध संस्कार अनेक बौद्धिक और मानसिक गुणों का समुच्चय है, जो शोध के प्रेरक होते हैं। आगमनात्मक शोध के अग्रगामी फ्रांसिस बेकन (Francis Bacon) ने अपने भविष्य निर्माण के चिन्तन के प्रसंग में जो आत्मनिरीक्षा की बात कही

है, उससे शोध संस्कार के मुख्य तत्वों का सामान्य ज्ञान होगा। इस सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि प्रदत्तों के विश्लेषण सारणीयन और कुछ-कुछ स्पष्टीकरण के लिए 'शोध' शब्द का प्रयोग कर तो सकते हैं किन्तु इससे व्यापक निष्कर्षों तक पहुंचने की प्रक्रिया का आभास नहीं मिलता है। 'गवेषणा' शब्द भी विचारणीय है। प्रारम्भ में भारत में संस्कृति बनो और पर्वतों की उपत्यकाओं में फलफूल रही थी। पशु-पालन आर्यों का एक मुख्य व्यवसाय था। गोचारना बालकों और प्रौढ़ों की एक प्रमुख क्रिया थी। वन में गाये बहुत दूर-दूर तक चरने चली जाती थी और संध्या समय उन गायों को घर लाने के लिए उनकी व्यापक खोज होती थी। इस क्रिया को प्राचीय साहित्य में 'गवेषणा' नाम से पुकारा गया। वर्तमान सन्दर्भ में, हम 'गवेषणा' शब्द का प्रयोग किसी वस्तु पदार्थ या किसी नितान्त नवीन तथ्य की खोज के लिए कर तो सकते हैं किन्तु विचारों के क्षेत्र में नयी उदभावनाएं नयीकल्पनाएं एवं सामान्यीकरण की नयी प्रक्रियाएं गवेषणा शब्द से ठीक से प्रकट नहीं हो पाती। समस्याओं के निराकरण में वैज्ञानिक विधि के अपनाने का नाम अनुसन्धान है।

अनुसन्धान (Research) शब्द का प्रयोग किसी संशोधन या वस्तु की खोज के लिए नहीं किया जा सकता है। यह उस क्रिया तथा सक्रिया का द्योतक है जिसमें अनेक प्रकार के तथ्यों का एकत्रीकरण और अनेक आधारों पर व्यापक निष्कर्ष निकालना सम्मिलित है, घटनाओं सम्बन्धी उद्देश्यपरक प्रश्नों के वैज्ञानिक रीति द्वारा विधिवत हल ढूंढने के प्रयासों को अनुसन्धान कहा जाता है। अनुसन्धान प्रक्रिया में गवेषणा और शोध की उप प्रक्रियाएं भी सम्मिलित हैं। इस शब्द की प्रकृति के अनुसार पूछताछ जांच गहन निरीक्षण, व्यापक परीक्षण योजनाबद्ध अध्ययन, सोदृश्य एवं तत्परता युक्त सामान्य निर्धारण आदि की प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं।

6.3.2 अनुसन्धान: ज्ञान की साधना (Quest for Knowledge: Research)

ज्ञान की कोई भी शाखा हो उसका सम्बन्ध किसी न किसी प्रकार के तथ्यों से है। जैसे तो ज्ञान अखण्ड है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता, फिर भी आज ज्ञान की अपने शाखाएं ही नहीं प्रशाखाएं तथा उप-शाखाएं भी हो गई हैं। अतः तथ्यावलोकन, तथ्यान्वेषण या तथ्यों की मीमांसा ज्ञान के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग स्वरूप के होंगे। अनुसन्धान में अनुसन्धान कार्य पर विचार करते समय तथ्यों की पहचान तथ्यों की जांच तथा तथ्यों की मीमांसा का अध्ययन आवश्यक है। अनुसन्धान कार्य वस्तुतः तथ्यों से बाहर नहीं है।

क) तथ्यों की पहचान (Identification of facts)

भौतिक तथ्यों की पहचान सरल है इस सरल अर्थ में कि तथ्यों की पहचान ज्ञानेन्द्रियों के आधार पर हो जाती है। इस तुलना में सामाजिक तथ्यों की पहचान मुश्किल है। साहित्य का अध्ययन करते समय साहित्य में तथ्यों की पहचान करना और भी कठिन है। ज्ञान की मानवीय शाखाओं में तथ्यावलोकन (Facts observation) के लिए यह आवश्यक है कि जो कुछ घटित होता है उसका

प्रेक्षण किया जाए। सामाजिक तथ्यों पर उसी तरह विचार किया जाना चाहिए जिस प्रकार वस्तुओं पर विचार किया जाता है।

ख) तथ्यों की जांच (Inquiry of facts)

जो है, वह तथ्य है। जो नहीं है, वह तथ्य नहीं है। जो है, उसकी सार्थकता पर विचार करना, तथ्यों की जांच करना है। तथ्यों की सार्थकता पर विचार करने के लिए उपलब्ध ज्ञान सहायक होता है। ज्ञान की सीमा का विस्तार होता है, तो वह नये तथ्यों के कारण होता है। नये का अर्थ, जो उपलब्ध ज्ञान की सीमा से बाहर है वे तथ्य/अनुसन्धानकर्ता तथ्यों की जांच करता है। वह तथ्यों को स्वीकार करता है, उसे क्रम देता है, उसका स्वरूप पहचानता है, उसमें उसे कोई नई बात दिखलाई देती है, तो उसे पूर्वानुभव ज्ञान के आधार पर उसे नवीनता के अलग पहचानने का प्रयास करता है। तथ्यों की जांच में सापेक्षता के सिद्धान्त को स्वीकार करना चाहिए।

ग) तथ्यों की मीमांसा (Investigation of facts)

किसी भी अनुसन्धान कार्य का महत्वपूर्ण भाग तथ्यों की मीमांसा है। मीमांसा वस्तुतः तथ्यों के मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तथ्यों की मीमांसा में बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि वस्तुतः ज्ञान न होकर, ज्ञान का उपयोग है। सत्य तथ्य से बाहर नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञान का उपयोग करना जानते हैं। शोध की मौलिकता तथ्यों की मीमांसा के आधार पर पहचानी जा सकती है।

घ) ज्ञान की साधना (Quest for Knowledge)

ज्ञान की सबसे उच्च शाखा दर्शन है। ज्ञान की जितनी शाखाएं हैं वे सभी उच्च धरातल पर दर्शन से सम्बन्ध रखती हैं। सत्य की उपलब्धि ज्ञान की साधना का प्रयोजन है। वैज्ञानिक ज्ञान (Scientific Knowledge) तथ्यों पर आधारित होता है और यहां अनुभवात्मक ज्ञान है।

अनुसन्धान में व्यापारीकरण, नियमों या सिद्धान्तों (Generalization, Laws or Principles) के विकास पर बल होता है जिससे भविष्य में आने वाले घटनाओं की प्रागुक्ति हो सके। वह किसी विशेष वस्तु समूह या स्थिति को परख से आगे जाकर, प्रेक्षित प्रतिदर्श के आधार पर लक्षित समष्टि की विशिष्टियां प्रस्तुत करता है। अनुसन्धान केवल सूचनाओं की पुनः प्राप्ति या संग्रहण नहीं होता। यद्यपि बहुत से विभागों या विद्यालयों में वह ऐसी सूचनाओं व आंकड़ों का संकलन मात्र है जिनसे कुछ निर्णय लेने में सुविधा हो पर उसे वास्तविक अनुसन्धान की संज्ञा नहीं दी जा सकती।

6.3.3 अनुसन्धान का स्वरूप (Nature of research)

अनुसन्धान का स्वरूप निम्नलिखित अवधारणों से अनुशासित रहता है

1. अनुसन्धान की प्रकृति
2. अनुसन्धान का क्षेत्र
3. अनुसन्धान के तत्व

1) अनुसन्धान की प्रकृति (Nature of research)

अनुसन्धान की प्रकृति का अर्थ है अनुसन्धान विज्ञान है अथवा कला। उपर अनुसन्धान शैली के विवेचन में हमने शोध की तथ्यों का परिशोधन माना है। वास्तव में कलात्मक, अभिव्यक्ति का परिशोधन माना है। वास्तव में कलात्मक अभिव्यक्ति तथा वैज्ञानिक विवेचन दोनों भिन्न-भिन्न है। अनुसन्धान की विशेषता है कि इसमें धैर्यपूर्वक बिना जल्दबाजी कार्य किया जाए। इसमें चमत्कारिक परिणाम तो बिरले ही मिलते हैं। अनुसन्धान को अपने प्रश्नों के हल ढूंढने में निराशा और निस्सहाह के लिए तैयार रहना चाहिए। अनुसन्धान एक उद्देश्य सुव्यवस्थित बौद्धिक प्रक्रिया (Intellectual Process) है। इसके द्वारा किसी सैद्धान्तिक अथवा व्यावहारिक समस्या के समाधान का प्रयास किया जाता है। अनुसन्धान द्वारा प्राप्त ज्ञान सत्यापित किया जा सकता है क्योंकि इसके अन्तर्गत किया गया निरीक्षण नियंत्रित एवं वस्तुनिष्ठ होता है।

शोध का आकार(Size of Research) : शोध के आकार नियमन विषय निर्वाचन की प्रकृति तथा प्रकार्यता पर निर्भर है। शोध की प्रक्रिया-शोध प्रक्रिया शोध के स्वरूप को निर्धारित करती है। जिसमें अन्वेषक, निर्देशक, तथ्य एवं परीक्षक सम्मिलित है।

2) अनुसन्धान का क्षेत्र (Scope of research)

अनुसन्धान का क्षेत्र उतना ही विस्तृत है जितना ज्ञान का क्षेत्र ज्ञान की सभी रूप शोध क्षेत्र में आते हैं प्राकृतिक विज्ञान तथा समस्त मानव विज्ञान अनुसन्धान क्षेत्र के विषय है। ज्ञान-विज्ञान की समस्त सूक्ष्मताएं शोध योग्य हैं। अनुसन्धान व क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन उसका विकास अथवा किसी नये तथ्य की खोज द्वारा ज्ञान कोष में वृद्धि की जाती है। शोध क्षेत्र से प्रभावित होने वाले निम्नलिखित रूप हैं। क) शोधार्थी(Researcher), ख) शोध-निर्देशक(Supervisor) , ग) शोध-संस्थान(Research Centre), घ) शोध-सामग्री(Research Material) , ङ) विषय निर्वाचन

3) अनुसन्धान के तत्व (Elements of Research)

अनुसन्धान क्या है? (What is Research?) अनुसन्धान के कौन-कौन से तत्व हैं अथवा क्या विशेषताएं हैं? यह अनुसन्धान का महत्वपूर्ण विवेच्य है। प्राकृतिक जगत में अव्यवस्थित रूप से

बिखरे हुए तथ्यों को व्यवस्थित तथा नियमित करना तथा संगहित तथ्यों को विश्लेषित (Analysis of facts) करके उनमें निहित सत्य को स्पष्ट करना, अनुसन्धान कहलाता है।

6.4 अनुसन्धान की प्रकृति (Nature of Research)

अनुसन्धान एक उद्देश्य सुव्यवस्थित बौद्धिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा किसी सैद्धान्तिक अथवा व्यावहारिक समस्या के समाधान का प्रयास किया जाता है। अनुसन्धान के द्वारा या तो किसी नये तथ्य, सिद्धान्त, विधि या वस्तु की खोज की जाती है अथवा प्राचीन तथ्य सिद्धान्त, विधि या वस्तु में परिवर्तन किया जाता है। अनुसन्धान एक तर्कपूर्ण तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वास्तविक आंकड़ों पर आधारित एवं तर्कपूर्ण होते हैं। तथा व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होते हैं। अनुसन्धान की प्रक्रिया में प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्रोत से प्राप्त आंकड़ों से नये ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। अनुसन्धान द्वारा प्राप्त ज्ञान सत्यापित किया जा सकता है, क्योंकि इसके अन्तर्गत किया गया निरीक्षण नियन्त्रित एवं वस्तुनिष्ठ होता है। अनुसन्धान कार्य के लिए वैज्ञानिक अभिकल्पों (Scientific Designs) का प्रयोग किया जाता है। अनुसन्धान की प्रक्रिया में प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्रोत (Primary and Secondary Sources) से प्राप्त आंकड़ों से नये ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। अनुसन्धान एक अनौखी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान के प्रकाश एवं प्रसार के लिए सुव्यवस्थित प्रयास होता है। अनुसन्धान में जटिल घटनाक्रम को समझने के लिए विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विश्लेषण के लिए परिकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण किया जाता है। आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए विश्वसनीय एवं वैध उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। सभी अनुसन्धानों में अभिलेखन एवं प्रतिवेदन सावधानी से किया जाता है।

अनुसन्धान की प्रकृति : विश्लेषण (Nature of Research : Analysis)

(1) सामाजिक अनुसन्धान (Social Research) सामाजिक सम्बन्धों और घटनाओं की व्याख्या करता है-सामाजिक अनुसन्धान के अन्तर्गत मानव-व्यवहार का अध्ययन समाज के सदस्य के रूप में किया जाता है। एक समाज में रहते हुए व्यक्ति का व्यवहार किन परिस्थितियों में कैसा और क्यों होता है? उसकी अनुभूतियाँ, प्रतिक्रियाएँ तथा अभिवृत्तियाँ विभिन्न परिस्थितियों के प्रति कब, कैसी और क्यों होती हैं? इनका वैज्ञानिक अध्ययन सामाजिक अनुसन्धान के अन्तर्गत होता है।

(2) सामाजिक अनुसन्धान सामाजिक सम्बन्धों (Social Relations) के बारे में नये तथ्यों की खोज करता है-वैज्ञानिक अनुसन्धान-प्रणाली (Scientific Research -system) का लक्ष्य ही किसी घटना के सम्बन्ध से नये तथ्य, नये सम्बन्ध और नये नियमों की खोज करना होता है। सामाजिक अनुसन्धान सामाजिक व्यवस्था, संगठन तथा सम्बन्धों एवं घटनाओं के सम्बन्ध में नये नियमों की खोज कर उनके नये स्पष्टीकरण देने का प्रयास करता है।

(3) सामाजिक अनुसन्धान प्राचीन तथ्यों में सुधार करता है- नये सिद्धान्तों एवं नियमों की खोज के साथ सामाजिक अनुसन्धान के अन्तर्गत प्राचीन नियमों का सत्यापन भी होता रहा है। सम्भव है कि जिन परिस्थितियों में निश्चित नियम स्थिर किये गये थे, समय के परिवर्तन एवं विकास के कारण उनमें परिवर्तन आ गया हो अथवा आविष्कार की नयी विधियों के कारण उनका अधिक अच्छा मूल्यांकन किया जा सकता हो, इस उद्देश्य के साथ सत्यापन की क्रिया भी चलती रहती है।

(4) सामाजिक अनुसन्धान कार्य-कारण सम्बन्धों की खोज करता है- विभिन्न सामाजिक घटनाएँ असम्बद्ध रूप से नहीं होती अपितु उनमें निकटस्थ अथवा दूरगामी कार्य-कारण सम्बन्ध होता है। ऊपर के देखने से चाहे वे घटनाएँ परस्पर असम्बद्ध दिखायी पड़ती हो, किन्तु गहराई से विप्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वे कार्य-कारण सम्बन्धों की कड़ी से जुड़ी होती है। सामाजिक अनुसन्धान इन कार्य-कारण सम्बन्धों की व्याख्या कर मानव-सम्बन्धों के विकास हेतु मार्ग-दर्शन करता है।

(5) सामाजिक अनुसन्धान वैज्ञानिक अनुसन्धान-प्रणाली का उपयोग करता है- सामाजिक अनुसन्धान की प्रणाली नित्य-प्रति विकसित होती जा रही है। इसमें विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ उपकरणों का उपयोग कर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने, उनके सत्यापन करने और उनके आधार पर मानव-सम्बन्धों के बारे में भविष्य-कथन करने का प्रयास होता है। इस प्रकार यह एक वैज्ञानिक प्रणाली है।

(6) सामाजिक अनुसन्धान में सांख्यिकीय विप्लेषण होता है- सामाजिक अनुसन्धान में आँकड़ों के सारणीय एवं विप्लेषण के लिए सांख्यिकीय विधियों को प्रयोग किया जाता है, जिससे अनुसन्धानकर्ता अधिक विश्वास के साथ अपनी बात कहने में समर्थ होता है।

सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य (Aims of social research)

श्रीमती यंग के अनुसार, सामाजिक अनुसन्धान के दो मूल उद्देश्य हैं:

- (1) सामाजिक सम्बन्धों एवं घटनाओं के सम्बन्ध में नवीन तथ्यों की खोज करना।
- (2) इस क्षेत्र में प्राप्त पुराने तथ्यों का सत्यापन करना।

इन उद्देश्यों के दो अन्य प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं-(1) सैद्धान्तिक एवं (2) व्यावहारिक

सैद्धान्तिक दृष्टि से सामाजिक अनुसन्धान का उद्देश्य ज्ञान-क्षेत्र में वृद्धि करना है। ज्ञान-वृद्धि के सम्बन्ध में मानव-जिज्ञासा की सन्तुष्टि ही समस्त अनुसन्धान का आधार है। अतः सामाजिक

अनुसन्धान का प्रथम उद्देश्य मानव-समाज और उसका समस्याओं तथा कार्यप्रणाली के बारे में निश्चित सिद्धान्तों की खोज करना है।

सामाजिक अनुसन्धान (Social Research) का दूसरा लक्ष्य उसके व्यावहारिक पक्ष का स्पष्ट करता है। वैज्ञानिक अध्ययन का उद्देश्य किसी घटना के कारणों का अध्ययन करना तथा उस पर सम्भावित नियन्त्रण करना है। मानव-समाज हत्या, आत्महत्या, चोरी, राहजनी, पारस्परिक घृणा-द्वेष आदि अनेक बुराइयों में लिप्त है। इन बुराइयों की जड़ों में अनेक सामाजिक कारण हैं। इन कारणों की परख, उनके प्रति लोगों में जानकारी पैदा करना और उनके नियन्त्रण के सम्बन्ध में सुझाव देना सामाजिक अनुसन्धान का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

अनुसन्धान की सामान्य प्रकृति (General Nature of Research)

1. अनुसन्धान एक उद्देश्यपूर्ण सुव्यवस्थित बौद्धिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा किसी सैद्धान्तिक अथवा व्यावहारिक समस्या के समाधान का प्रयास किया जाता है।
2. अनुसन्धान के द्वारा या तो किसी नये तथ्य सिद्धान्त, विधि या वस्तु की खोज की जाती है अथवा प्राचीन तथ्य, सिद्धान्त विधि या वस्तु में परिवर्तन किया जाता है।
3. अनुसन्धान एक तर्कपूर्ण तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया (Objective Process) है। इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वास्तविक आँकड़ों पर आधारित एवं तर्कपूर्ण होते हैं तथा व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होते हैं।
4. अनुसन्धान चिन्तन की एक सुव्यवस्थित एवं परिष्कृत विधि है। जिसके अन्तर्गत किसी समस्या के समाधान के लिए विषिष्ट उपकरणों एवं प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है।
5. अनुसन्धान की प्रक्रिया में प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्रोत से प्राप्त आँकड़ों से नये ज्ञान को प्राप्त किया जाता है।
6. इसके अन्तर्गत जटिल घटनाक्रम का समझने के लिए विप्लेषण-विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विप्लेषण के लिए परिकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण किया जाता है।
7. जहाँ तक सम्भव हो, अनुसन्धान की प्रक्रिया में आँकड़ों के विप्लेषण से परिणात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि जहाँ तक सम्भव हो, आँकड़ों के विप्लेषण में सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है।
8. अनुसन्धान द्वारा प्राप्त ज्ञान सत्यापित किया जा सकता है क्योंकि इसके अन्तर्गत किया गया निरीक्षण नियन्त्रित एवं वस्तुनिष्ठ होता है।

9. अनुसन्धान एक अनौखी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान के प्रकाष एवं प्रसार के लिए सुव्यवस्थित होता है।
10. अनुसन्धान की प्रक्रिया गहन एवं वस्तुनिष्ठ होती है। इसमें तथ्यों का अध्ययन सूझ के साथ किया जाता है।
11. अनुसन्धान प्रक्रिया परावर्तित चिन्तन पर निर्भर होती है। अनुसंधान के निष्कर्षों की आन्तरिक तथा बाह्य वैधता होती है।
12. शोध निष्कर्षों की पुष्टि की जा सकती है।
13. अनुसन्धान के निष्कर्षों से नवीन ज्ञान की वृद्धि होती है।
14. शोध निष्कर्षों से नये सिद्धान्तों एवं नियमों का प्रतिपादन होता है।
15. अनुसन्धान कार्य के लिए वैधानिक अभिकल्पों का प्रयोग किया जाता है।
16. आँकड़ों को प्राप्त करने के लिए विष्वसनीय एवं वैध उपकरणों का प्रयोग किया जाता है।
17. सभी अनुसन्धानों में अभिलेखन एवं प्रतिवेदन सावधानी से किया जाता है।

अनुसन्धान के पद (Steps of research)

अनुसन्धान एक क्रमिक प्रक्रिया है। प्रत्येक प्रकार के अनुसन्धान को कुछ विषिष्ट पदों में अथवा क्रमानुसार किया जाता है। समस्त अनुसन्धान प्रक्रिया कई क्रियाओं का मिश्रण है। ये क्रियाएँ एक-दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। परन्तु इन क्रियाओं का क्रम कभी-कभी बिगड़ भी जाता है। अनुसन्धान-प्रक्रिया में निहित इन क्रियाओं का निम्नलिखित पदों के रूप में पाया जाता है।

1. समस्या के रूप में अनुसन्धानकर्ता द्वारा अध्ययन में उद्देश्य का वर्णन।
2. अनुसन्धान के अध्ययन-प्राकल्पना का वर्णन
3. प्रदत्त-संकलन की विधि का वर्णन
4. अनुसन्धान के परिणामों का प्रस्तुत करना
5. इन परिणामों का सार्थक करना एवं उचित निष्कर्ष निकालना

डेविड जे. फॉक्स (Devid J. Fox) ने अनुसन्धान की योजना के निम्नलिखित सत्रह पद दिये हैं जो अधिक विस्तृत तर्कसंगत हैं-

भाग 1. अनुसन्धान की योजना (Plan of research)

पद 1. प्रारम्भिक विचार अथवा आवश्यकता एवं समस्या का क्षेत्र

पद 2. साहित्य का प्रारम्भिक सर्वेक्षण।

पद 3. विषिष्ट अनुसन्धान की समस्या का निष्चय।

पद 4. अनुसन्धान-कार्य की सफलता का पूर्वानुमान।

पद 5. सम्बन्धित साहित्य का द्वितीय सर्वेक्षण।

पद 6. अनुसन्धान की प्रक्रिया का चयन।

पद 7. अनुसन्धान की परिकल्पना का निर्माण।

पद 8. आँकड़े प्राप्त करने की विधियों का निष्चय।

पद 9. आँकड़े प्राप्त करने के लिए उपकरणों का चुनाव अथवा निर्माण।

पद 10. आँकड़ों के विप्लेषण की योजना तैयार करना।

पद 11. आँकड़ों को एकत्रित करने की योजना बनाना।

पद 12. जनसंख्या तथा न्यादर्ष करना।

पद 13. एक छोटे समूह पर पूर्व-अध्ययन एवं कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना।

भाग 2: अनुसन्धान-योजना का क्रियान्वयन

पद 14. आँकड़ों का संग्रह करना।

पद 15. आँकड़ों का विप्लेषण करना।

पद 16. अनुसन्धान का प्रतिवेदन तैयार करना।

भाग 3: प्राप्त निष्कर्ष का उपयोग

पद 17. प्राप्त निष्कर्षों का प्रचार तथा क्रियान्वित करने पर बल देना।

वस्तुतः सभी अनुसन्धानों में इन पदों का पालन होता है एवं समस्त अनुसन्धान प्रक्रिया इन पदों द्वारा पूरी हो जाती है।

अनुसन्धान के प्रकार (Types of research)

किसी भी समस्या के समाधान अथवा किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के दो मुख्य कारण होते हैं।(1) बौद्धिक तथा(2) व्यावहारिक।

बौद्धिक कारण का सम्बन्ध मनुष्य की जिज्ञासा प्रवृत्ति तथा ज्ञानार्जन से प्राप्त सन्तुष्टि की भावना से है।

व्यावहारिक कारण का सम्बन्ध मनुष्य की उस इच्छा से है जिसके द्वारा वह ज्ञान प्राप्त करके अन्य कार्यों का अधिक कुशलतापूर्वक कर सकें।

उपर्युक्त दोनों कारणों के आधार पर समस्त अनुसन्धानों को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है: (1) मूलभूत अनुसन्धान तथा (2) व्यवहृत अनुसन्धान।

6.5 अनुसन्धान के लक्ष्य (Aims of Research)

अनुसन्धान में किसी समस्या का वैज्ञानिक अन्वेषण सम्मिलित है। अन्वेषण की क्रिया इस बात की द्योतक है कि समस्या को अति निकट से देखा जाए। उसकी जाँच-पड़ताल की जाय और उसका ज्ञान प्राप्त किया जाये। अनुसन्धान की प्रक्रिया में वैज्ञानिक निरीक्षण (*Scientific Observation*) अन्य प्रमुख तत्व है। सामान्य रूप से निरीक्षण अनुसन्धान की परिधि से बाहर है। वैज्ञानिक निरीक्षण सदा क्रमबद्ध, सोद्देश्य एवं सुनियोजित होता है। अनुसन्धान की परिधि में ऐसा ही निरीक्षण आता है। केवल निरीक्षण तक ही अनुसन्धान सीमित नहीं है। इसमें अगला प्रमुख तत्व है समस्या का समाधान खोजना। यह समाधान अनुमादित न होकर अन्वेषण का परिणाम होता है। अनुसन्धान की समूची प्रक्रिया एक तार्किक प्रक्रिया है। तार्किक प्रक्रिया होने के नाते अनुसन्धान की प्रक्रिया में विषिष्टता और गहनता है। किन्तु यह तार्किक प्रक्रिया कोरे शिब्दक तर्कों पर आधारित न होकर प्रदत्तों की ठोस भूमि पर आधारित है।

अनुसन्धान के क्षेत्र में अग्रणी विश्वविद्यालयों एवं विषिष्ट संस्थानों के अनुसन्धान सम्बन्धी नियमों से अनुसन्धान की सीमा का एक प्रकार से अनुसन्धान में सफल व्यक्ति वह कहा जा सकता है जिसने-

- (1) किसी नये सत्य की खोज की हो,
- (2) पुराने सत्यों को नये ढंग से प्रस्तुत किया हो, अथवा
- (3) प्रदत्तों में व्याप्त नये सम्बन्धों का स्पष्टीकरण किया, हो।

इस दृष्टि से अनुसन्धान के क्षेत्र के अन्तर्गत केवल नये सत्यों एवं सिद्धांतों की खोज ही नहीं है, वरन् पुराने सत्यों एवं पुराने सिद्धांतों का नया कलेवर देना, पुराने नियमों को युगानुरूप नवीनता प्रदान करना, प्रदत्तों एवं तथ्यों का नये सिरे से स्पष्टीकरण करते हुए उनमें व्याप्त अन्तर्सम्बन्धों का विप्लेषण करना भी सम्मिलित है।

टर्नी तथा रोब के अनुसार (According to Turni and Rob) अनुसन्धान के लक्ष्य

- (1) भूत तथा वर्तमान की घटनाओं की स्थिति ज्ञात करना
- (2) चुनी गई घटनाओं की प्रकृति, गठन तथा प्रक्रिया की विशेषताओं को ज्ञात करना।
- (3) कुछ घटनाओं के विकास का इतिहास होने वाले परिवर्तन तथा वर्तमान स्थिति को ज्ञात करना।
- (4) कुछ घटनाओं अथवा चरों में कार्य-कारण सम्बन्ध को ज्ञात करना।

इस प्रकार 'अनुसन्धान' (Research) शब्द की एक निश्चित परिभाषा निकालने के लिये कुछ अन्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं पर विचार कर लेना चाहिए।

1. ज्ञान के विकास में सहायक:- अनुसंधान ज्ञान के किसी एक सूक्ष्म अंग का विस्तृत स्वरूप प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा ज्ञान कोष में वृद्धि एवं विकास होता है।
2. अनुसंधान उद्देश्य प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम-साधन प्रदान करता है - यह एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। इसकी समूची क्रिया उसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर रहती है। इसके अन्तर्गत अनर्गल बातों के लिए स्थान नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि हमें धर्म-निरपेक्ष नागरिक उत्पन्न करना है तो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को भी धर्म-निरपेक्ष बनाना होगा। इसके लिए सुव्यवस्थित कार्यक्रम का निर्माण करना होगा। इसी प्रकार, अन्य समस्याओं के समाधान हेतु मार्गदर्शन करना होगा।
3. मानव-समाज के मन्द गति परिवर्तन में नवीन ज्ञान एवं गति प्रदान करने वाला - मानव समाज परम्पराओं तथा रूढ़ियों की लीक सदियों तक पीटता रहता है। उसके प्रवाह की गति को मोड़ना सरल नहीं है। रेल के आविष्कार के बाद समाज में एक बड़ा परिवर्तन दिखायी पड़ा। इसी प्रकार, अनुसन्धान मानव-जीवन को गति देने एवं दिशा परिवर्तन में अत्यन्त सहायक होता है।

4. राष्ट्रीयता एवं अन्तर्राष्ट्रीय की भावना के विकास में सहायक - राष्ट्रीयता की भावना के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किन्तु शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल यही तक सीमित नहीं है कि हमारा देश अन्य सभी देशों से श्रेष्ठ है अपितु उनके 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के भाव भी विकसित करना है। इसकी पूर्ति जागरूक प्रयास पर ही निर्भर है। अनुसंधान के अन्तर्गत लोक हितकारी भावनाओं का समन्वय होता है, इसी कारण अनुसंधान से राष्ट्रीयता की भावना को भी आघात नहीं पहुंचता तथा अन्तर्राष्ट्रीयता की कोमल पुष्पलतिका भी पुष्पित होती रहती है। इसी प्रकार विभिन्न अनुसंधानों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास भी किया जा सकता है।

5. अनुसंधान जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के सरल उपाय देता है- उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरल साधनों को प्राप्त करना मानव स्वभाव है। इस मार्ग में अनुसंधान मनोविज्ञान तथा शिक्षा एवं समाज विज्ञान सभी क्षेत्रों में सहायक होता है।

6. अनुसंधान सुधार में सहायक होता है-अनुसंधान रूढ़िगत विचारों एवं व्यवहारों में सुधार का मार्ग प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसका पथ वैज्ञानिक होता है जिसमें इस प्रकार की भ्रान्तियों एवं अपुष्ट धारणाओं के लिए स्थान नहीं होता।

7. सत्य-ज्ञान (Truth Knowledge) के खोज की पिपासा शान्त करता है - अनुसंधानकर्ता सदैव सत्य ज्ञान की खोज में व्यस्त रहता है। अतः अनुसंधान उसकी उत्सुकता को शांत एवं सत्य की खोज की पिपासा को सन्तुष्ट करता है।

8. प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता प्रदान करना है - अनुसंधान अनेक प्रशासनिक गुत्थियों को सुलझकर स्वस्थ प्रशासनिक व्यवस्था के सफल संचालन में सहायक होता है।

9. अध्यापक के लिए प्राण -अध्यापक के लिए तो यह प्राण ही है: अनुसंधान उनकी सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक समस्याओं का समाधान कर प्रगति का पथ प्रषस्त करता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि अनुसंधान शिक्षकों, छात्रों, अभिवावकों तथा प्रशासकों एवं पर्यवेक्षकों को स्वयं के ज्ञान, परस्पर एक-दूसरे के ज्ञान एवं मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक समस्याओं का सुनियोजित समाधान प्रस्तुत करने के कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

बोध प्रश्न टिप्पणी

क) अपने उत्तर को नीचे दिए गए स्थान में लिखिए।

ख) अपने उत्तर को इकाई के अन्त में दिए उत्तर के साथ मिलाइये।

1. अनुसन्धान की प्रकृति क्या है?

2. अनुसन्धान के लक्ष्य क्या है?

बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions)

3. अनुसन्धान में चिन्तन प्रक्रिया होती है।

क) वैज्ञानिक चिन्तन ख) विकेन्द्रीय चिन्तन

ग) परावर्तित चिन्तन घ) उपरोक्त सभी

4. अनुसन्धान का कार्य है।

क) समस्या का समाधान ख) मौखिक प्रश्नों का उत्तर देना करना

ग) उपरोक्त दोनों ही घ) उपरोक्त कोई नहीं।

5. शिक्षा अनुसन्धान का उद्देश्य है

क) नए तथ्यों की खोज करना ख) सत्यों का प्रतिपादन करना

ग) सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना घ) उपरोक्त सभी

रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न (Fill in blanks Questions)

6. अनुसन्धान की प्रक्रिया से ----- वृद्धि की जाती है।

7. अनुसन्धान की प्रक्रिया से -----की पुष्टि की जाती है।

8. शोध की प्रक्रिया को ----चिन्तन ने दिया है।

9. अनुसन्धान की प्रक्रिया से समस्या समाधान तथा ज्ञान वृद्धि की जाती है।

सत्य/असत्य (True / False)

10. अनुसन्धान कार्यों के द्वारा चरों का सह-सम्बन्ध का विप्लेषण किया जाता है।

6.6 सारांश (Conclusion)

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप यह जान चुके हैं कि अनुसन्धान एक प्रक्रिया है, जिसमें खोज प्रविधि का प्रयोग किया जाता है जिसके निष्कर्षों की उपयोगिता हो, ज्ञान वृद्धि की जाये, प्रगति के लिए प्रोत्साहित करे समाज के लिये सहायक हो तथा मनुष्य को अधिक प्रभावशाली बना सके। अनुसन्धान किसी समस्या के प्रति ईमानदारी, एवं व्यापक रूप में समझदारी के साथ की गई खोज है जिससे तथ्यों सिद्धान्तों तथा अर्थों की जानकारी की जाती है। अनुसन्धान की उपलब्धि तथा निष्कर्ष प्राभाविक तथा पुष्टि योग्य होते हैं जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है। अनुसन्धान की प्रकृति एवं लक्ष्य नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अनुसन्धान एक ईमानदारी से की गई प्रक्रिया है। इसमें गहन अध्ययन किया जाता है। अनुसन्धान के निष्कर्ष प्रामाणिक होते हैं।

6.7 शब्दावली Glossary

अनुसन्धान(Research): किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना या विधिसवत गवेषण करना होता है।

6.8 अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice Question

1. अनुसन्धान एक तर्कपूर्ण तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। यह चिन्तन की एक सुव्यवस्थित एवं परिष्कृत विधि है जिसके अन्तर्गत किसी समस्या के समाधान के लिए विषिष्ट उपकरणों एवं प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है। अनुसन्धान द्वारा ज्ञान सथाप्ति किया जा सकता है।
2. अनुसन्धान का प्रमुख लक्ष्य वैज्ञानिक विधियों द्वारा विषिष्ट प्रश्नों का उत्तर अथवा विषिष्ट समस्याओं का समाधान प्राप्त करना है।
3. (घ)
4. (ग)
5. (घ)
6. ज्ञान
7. परिकल्पनाओं

8. परावर्तित
9. सत्य
10. सत्य

6.9 सन्दर्भ ग्रन्थों की सूची Reference Books

1. कौल, लोकेश (2008), शैक्षिक अनुसन्धान की कार्यप्रणाली, विकास प्रकाशन हाउस प्रा. लि. सेक्टर-4, नोएडा (यू.पी.) 201-301
2. राय, पारसनाथ, राय. सी. पी. (2012) शिक्षा अनुसन्धान परिचय, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा- 282002
3. डॉ. शर्मा, आर. ए. (2012) शिक्षा अनुसन्धान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया आर. लाल. बुक डिपो, मेरठ - 250001
4. सिंहल, बैजनाथ (2008) शोध स्वरूप एवं मानक व्यावहारिक कार्य विधि वाणी प्रकाशन, दरियागंज नई-दिल्ली-110002
5. श्रीवस्तम राम जी, वानी आनन्द मनोविज्ञान शिक्षा तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में अनुसन्धान विधियाँ
6. डॉ. शर्मा, आर. ए (2011), अध्यापक शिक्षा एवं प्रशिक्षण तकनीकी, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ-25000
7. गणेशन एस. एन. अनुसन्धान प्रविधि सिद्धान्त और प्रक्रिया राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लि.
8. पाण्डेय. के.पी. (1998) शैक्षिक अनुसंधान, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।

6.10 सहायक उपयोगी सामग्री Useful Books

1. सिंहल बैजनाथ (2000) शोध स्वरूप एवं मानक व्यवहारिक कार्यविधि, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली-110002
2. निर्मला, सूरसचन्द्रा, विश्वदेव (1978) अनुसन्धान प्रविधि, साराना प्रकाशन मन्दिर।
3. शर्मा, रामनाथ, शर्मा के. राजेन्द्र (2004) सामाजिक सर्वेक्षण और अनुसन्धान की विधियाँ और प्रविधियाँ एटलांटिक प्रकाशन।

-
4. सिन्हा सावित्री (1954) अनुसन्धान का स्वरूप हिन्दी अनुसन्धान परिषद दिल्ली विश्वविद्यालय, आत्मरामा द्वारा प्रकाशित।
 5. विसारिया पुनीत (2007) शोध कैसे करे। एटलांटिक प्रकाशन।
 6. हिन्दी अनुसन्धान का स्वरूप (1978) नैशनल प्रकाशन हाऊस
 7. प्रसाद, श्यामानन्द (1981) अनुसन्धान और स्थापनाएँ आषुतोष प्रकाशन संस्थान।
-

6.11 निबंधात्मक प्रश्न Essay Types Question

1. अनुसन्धान की प्रकृति एवं उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए।
 2. अनुसन्धान की प्रकृति बताइए तथा शोध का लक्ष्य बताइए।
 3. अनुसन्धान से क्या अभिप्राय है? अनुसन्धान के स्वरूप की विस्तृत में व्याख्या कीजिए।
 4. संक्षिप्त में नोट लिखिए।
- क) अनुसन्धान की प्रकृति
- ख) अनुसन्धान के लक्ष्य

ईकाई 7 शैक्षिक अनुसंधान में प्राथमिकताएं (Priorities of Educational Research)

- 7.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 7.2 उद्देश्य (Objectives)
- 7.3 शैक्षिक अनुसंधान की प्राथमिकताओं का निर्धारण क्यों और कैसे (Fixing Priorities of Educational Research: Why and How?)
 - 7.3.1 शैक्षिक अनुसंधान का कार्यक्षेत्र एवं मुख्य प्राथमिकताएं (Scope and Priorities of Educational Research)
 - 7.3.2 अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान के अवसर एवं संभावनाएं (Scope and Priorities of Educational Research)
- 7.4 अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों की सामान्य प्रवृत्ति (General Nature of Research Works undertaken in Teacher Education)
 - 7.4.1 अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की प्राथमिकताएं (Priorities of Research in Teacher Education):
- 7.5 अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान में आने वाली मुख्य समस्याएं (Major Problems in Undertaking Research in Teacher Education)
- 7.6 सारांश (Summary)
- 7.7 शब्दावली (Glossary)
- 7.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Practice Question)
- 7.9 संदर्भ ग्रंथ सूची (Reference Books)
- 7.10 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री (Useful Books)
- 7.11 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Types Question)

7.1 प्रस्तावना (Introduction)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के दौरान आप शैक्षिक अनुसंधान से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि यह किसी भी राष्ट्र में शिक्षा के विकास एवं अंततः उस राष्ट्र के बहुआयामी विकास को सही दिशा प्रदान करता है। अतः यह और भी आवश्यक हो जाता है कि शैक्षिक अनुसंधान की प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाए। इसके अतिरिक्त आप इस तथ्य से भली-भांति परिचित हैं कि विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता, अध्यापक शिक्षा या शिक्षकप्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अतः अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुसंधान कार्यों का अत्यधिक महत्व है। इस इकाई के अध्ययन के दौरान आप शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की प्राथमिकताओं से अवगत होंगे। साथ ही हमयह समझने का प्रयास करेंगे कि अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की क्या संभावनाएं या अवसर हैं तथा वर्तमान में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों का किस प्रकार का चलन विद्यमान है। इसके अतिरिक्त आप अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान संबंधी मुख्य समस्याओं से परिचित होंगे।

इस इकाई को पढ़ने के उपरांत आपसे यह आशा की जाती है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की प्राथमिकताओं को गहनता से समझ चुके होंगे और आप अपने कार्यक्षेत्र में अनुसंधान आधारित महत्वपूर्ण समस्याओं का चयन करने में सक्षम होंगे ताकि आप अपनी व्यवसायिक कुशलता एवं क्षमता में वृद्धि कर सकें।

7.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे:-

1. शैक्षिक अनुसंधान में प्राथमिकताओं के निर्धारण की आवश्यकता का वर्णन करेंगे।
2. शैक्षिक अनुसंधान की मुख्य प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध करेंगे।
3. अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की संभावनाओं का उल्लेख करेंगे।
4. वर्तमान संदर्भ में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों की सामान्य प्रवृत्ति की व्याख्या करेंगे।
5. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की मुख्य प्राथमिकताओं को व्याख्या सहित सूचीबद्ध करेंगे।

6. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली अनुसंधान संबंधी मुख्य समस्याओं की पहचान करेंगे।

7.3 शैक्षिक अनुसंधान की प्राथमिकताओं का निर्धारण: क्यों और कैसे? (Fixing Priorities of Educational Research: Why and How?)

अगर हम इतिहास के ऊपर एक नज़र दौड़ाएं, तो आज तक शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी सिद्धांतों, प्रत्ययों, विधियों, प्रतिमानों इत्यादि का प्रतिपादन हुआ है, उनकी अनुसंधान के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों का बहुत अधिक महत्व है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों या अनुसंधान की प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाना आवश्यक है ताकि हमारे पास उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग हो सके। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि शिक्षा के क्षेत्र की विभिन्न तकनीकी, सामाजिक एवं आर्थिक विशेषताओं को ध्यान में रखा जाए।

शैक्षिक अनुसंधान की प्राथमिकताओं का निर्धारण करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि वर्तमान में अनुसंधान अध्ययनों की अंधाधुंध स्तर पर पुनरावृत्ति हो रही है जिसके कारण अनुसंधान कार्यों की वैधता, विश्वसनीयता तथा वस्तुनिष्ठता पर लगातार प्रश्नचिह्न उठते रहते हैं। अतः यह आवश्यक है कि अनुसंधान कार्यों का योजनाबद्ध तरीके से एकीकरण किया जाए ताकि अनुसंधान गतिविधियां एक उचित ढंग से नियोजित की जा सकें। इसके लिए शैक्षिक अनुसंधान कार्यों में प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करना, वर्तमान समय की मांग बन चुका है।

लगातार सशक्त हो रहे लोकतन्त्र में यह ओर भी आवश्यक हो जाता है कि जनसाधारण की विभिन्न शैक्षिक समस्याओं को वरीयता के आधार पर हल किया जाए ताकि राष्ट्रीय विकास के विभिन्न घटकों में विकास को गति प्रदान की जा सके। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की प्राथमिकताओं का निर्धारण करना बहुत आवश्यक है।

शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्रों की विभिन्न प्राथमिकताओं का निर्धारण करते समय हमें निम्नलिखित सुझावों को ध्यान में रखना चाहिए।

1. हमारे साधन और स्रोत सीमित हैं तथा समस्याएं बहुत अधिक हैं। अतः आवश्यकता के आधार पर अनुसंधान की प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाना चाहिए।
2. शिक्षा के क्षेत्र में व्यय को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि तत्कालीन महत्व एवं उपयोगिता वाली समस्याओं को अनुसंधान हेतु प्राथमिकता दी जाए।

3. अनुसंधान के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण करते समय हमें हमारे प्रजातांत्रिक राष्ट्र की आवश्यकताओं और समस्याओं को ध्यान में रखना चाहिए।
4. आधुनिक समय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि अनुसंधान की प्राथमिकताओं का निर्धारण करते समय सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा समस्याओं को ध्यान में रखा जाए।
5. एक राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह जरूरी है कि विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत स्तर से नियोजन किया जाए जिसमें शैक्षिक नियोजन बहुत महत्वपूर्ण है। अतः शैक्षिक नियोजन के लिए अनुसंधान की प्राथमिकताओं का निर्धारण करना आवश्यक हो जाता है।

7.3.1 शैक्षिक अनुसंधान का कार्यक्षेत्र एवं मुख्य प्राथमिकताएं (Scope and Priorities of Educational Research)

हम शैक्षिक अनुसंधान को अग्रवर्णित मुख्य कार्यक्षेत्रों में आसानी से समझ सकते हैं।

1. शिक्षा मनोविज्ञान (Educational Psychology)

एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण है। एक अध्यापक के लिए छात्रों की मानसिक विशेषताओं, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है ताकि वह अपनी शिक्षण विधियों या प्रविधियों में सकारात्मक बदलाव ला सके।

2. शिक्षा दर्शनशास्त्र (Educational Philosophy)

शिक्षा के सिद्धांतों, प्रतिमानों का विकास करना, शिक्षा दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। यह विषय क्षेत्र भी अनुसंधान कार्यों के लिए बहुत अधिक अवसर प्रदान करता है। अनुशासनहीनता, छात्रों में असंतोष, हड़ताल, अवज्ञा इत्यादि शैक्षिक समस्याओं का दार्शनिक आधार पर विश्लेषण करना आवश्यक है।

3. शिक्षा समाजशास्त्र (Educational Sociology)

शिक्षा की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में भूमिका पर अपेक्षाकृत कम अनुसंधान हुए हैं। अतः इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों के नियोजन या कार्यान्वयन की बहुत आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थितियों में विद्यालय एवं अध्यापक की सामाजिक परिवर्तन में भूमिका, छात्रों का निष्पत्ति या उपलब्धि स्तर, परिवार नियोजन, एड्स जैसी महामारी रोकने में शिक्षा की भूमिका इत्यादि ऐसे क्षेत्र हैं जहां अनुसंधान के लिए अपार संभावनाएं उपलब्ध हैं।

4. पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियां (Curriculum and Teaching Methods)

शिक्षा के क्षेत्र में ये दो उपक्षेत्र ऐसे हैं जहां अनुसंधान कार्यों की संख्या नगण्य है। विद्यालयी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, पाठ्यक्रम के परिवर्तन में अवरोध, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक शिक्षण प्रविधियां तथा अनुदेशन प्रक्रियाएं, सुधारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक अनुदेशन, शिक्षण आव्यूहों का विकास इत्यादि ऐसे पक्ष हैं जिन से संबंधी अनुसंधान कार्य किए जा सकते हैं।

5. शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन (Educational Measurement and Evaluation)

शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के उपलब्धि स्तर का मापन करने के लिए तथा छात्रों की विभिन्न मनोवैज्ञानिक क्षमताओं का मूल्यांकन एवं आकलन करने के लिए विभिन्न परीक्षणों, मापनियों इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन परीक्षणों, मापनियों का निर्माण करना तथा उनका मानकीकरण करना शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की परिधि में शामिल हैं जिन पर वर्तमान में अनुसंधान करने की आवश्यकता है।

6. तुलनात्मक शिक्षा (Comparative Education)

राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों का विभिन्न राष्ट्रों की शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न राष्ट्रों की शिक्षा व्यवस्था का तुलनात्मक आधार पर विश्लेषण करना अनुसंधान के लिए उपयोगी क्षेत्र है।

7. शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन: (Educational Management and Administration)

यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां वर्तमान जटिल परिस्थितियों में बहुत गहन अनुसंधान करने की आवश्यकता है। शैक्षिक नियोजन, शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण, शैक्षिक नियम, विद्यालय प्रबंधन, संस्थागत मूल्यांकन, शैक्षिक निरीक्षण, अध्यापकों की जवाबदेही इत्यादि पक्षों पर अनुसंधान कार्य किए जा सकते हैं।

शैक्षिक अनुसंधान के उपरोक्त कार्यक्षेत्रों के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें संस्थागत आधार पर अनुसंधान कार्य करने की आवश्यकता है।

1. शैक्षिक तकनीकी, अनुद्देशन तकनीकी, प्रणाली विप्लेषण
2. कम्प्यूटर आधारित शिक्षा
3. जनसंख्या एवं प्रौढ़ शिक्षा

4. समावेश शिक्षा
5. अध्यापक शिक्षा एवं इसके विभिन्न आयाम
6. पर्यावरण शिक्षा
7. दूरवर्ती एवं मुक्त शिक्षा
8. व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा
9. शिक्षण शास्त्रीय विप्लेषण
10. वर्तमान परीक्षा प्रणाली

शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र में कुछ मुख्य प्राथमिकताओं का संक्षिप्त विवरण यहां दिया जा रहा है जो एक अनुसंधानकर्ता के लिए शोध समस्या का चयन करते समय एक दिशा या मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं।

1. अनुसूचित जाति, जनजाति, ग्रामीण लड़कियों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं एवं समस्याओं के अध्ययन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2. प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की नामांकन दर, स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति के कारण, उपलब्धि स्तर, शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन, मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन एवं प्रभाव इत्यादि से सम्बन्धित समस्याओं के वैज्ञानिक विप्लेषण पर बल दिया जाना चाहिए।
3. वर्तमान समय में साक्षरता वृद्धि एवं राष्ट्र के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने में अनौपचारिक शिक्षा माध्यमों की भूमिका के अध्ययन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
4. शिक्षा के क्षेत्र में गैर-सरकारी संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों, ग्रामीण शिक्षा समितियों, स्कूल प्रबंधन समितियों इत्यादि की भूमिका एवं योगदान के अध्ययन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
5. सामाजिक और तकनीकी परिप्रेक्ष्य में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के अनुसंधान कार्यों को करने की आवश्यकता है जिनमें प्रतिभावान छात्रों की खोज एवं उनके प्रोत्साहन का गहराई से अध्ययन किया गया हो।

6. आज शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण को बहुत बढ़ावा मिला है जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में कई समस्याएं आ खड़ी हुई हैं। इन शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान कार्य करने की आवश्यकता है।

7. शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योग्यताओं वाले छात्रों को उपयुक्त शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा उनके लिए अवसर प्रदान करने से संबंधित अनुसंधान कार्यों को महत्व देने की आवश्यकता है।

8. बढ़ती हुई जनसंख्या तथा बेरोजगारी के संदर्भ में विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण संस्थानों, शैक्षिक योजनाओं इत्यादि के मूल्यांकन की आवश्यकता है।

9. वर्तमान समय की मुख्य समस्याओं जैसे भ्रष्टाचार, आतंकवाद, विभिन्न राष्ट्रों में हथियारों की होड़, आपसी सद्भाव की कमी, सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों के ह्रास इत्यादि का समाधान करने में शिक्षा एवं शिक्षण संस्थानों की भूमिका पर विप्लेषणात्मक अध्ययनों को महत्व दिया जाना चाहिए।

10. वर्तमान में मनोरंजन के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों तथा आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का शैक्षिक कार्यों तथा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में उपयोग की संभावनाओं की अनुसंधान कार्यों द्वारा खोज की जा सकती है।

7.3.2 अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान के अवसर एवं संभावनाएं (Opportunities for Research in Teacher Education)

प्रस्तुत खंड में हम शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए विद्यमान अवसरों एवं संभावनाओं का आकलन करेंगे एवं उन्हें वृहद रूप में समझने का प्रयास करेंगे।

अध्यापक शिक्षा के मौलिक उद्देश्यों एवं धारणाओं को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं तथा विधियों का मूल्यांकन, वर्तमान परिस्थितियों में अनुसंधान के लिए बहुत अधिक संभावनाएं प्रस्तुत करता है।

विद्यालय की व्यवस्था का सुधार एवं विकास, क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा ही किया जाता है क्योंकि इसमें समस्या का रूप संकुचित होता है जो कक्षा, विषय या विद्यालय तक ही सीमित होता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कक्षा शिक्षण एवं विद्यालय से सम्बन्धित विभिन्न पहलू अनुसंधान के लिए अपार अवसर प्रदान करते हैं।

अध्यापक शिक्षको की विशेषताएं या गुण, छात्र-अध्यापकों की विशेषताएं, बुनियादी ढांचा गत सुविधाएं इत्यादि ऐसे घटक हैं जहां अनुसंधान कार्य किए जा सकते हैं। इसी प्रकार, अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित प्रक्रियाओं में कक्षा-कक्ष अंतर्क्रियाएं, अनुसंधान के लिए बहुत संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं।

उपरोक्त सभी विषयों या समस्याओं का वैज्ञानिक विप्लेषण एवं अध्ययन करने के लिए जिन अनुसंधान विधियों या प्रविधियों का उपयोग किया जाता है, उनमें मुख्यतः वर्णनात्मक सर्वेक्षण, प्रयोगात्मक अध्ययन, विकासात्मक अध्ययन, तथा सह-संबंधात्मक अध्ययन सम्मिलित हैं।

अतः इस आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अध्यापक शिक्षा का क्षेत्र, अनुसंधान के लिए अनेक अवसर प्रदान करता है। आवश्यकता इस बात की है कि अनुसंधानकर्ता को अध्यापक शिक्षा तथा इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत ज्ञान हो ताकि अनुसंधान के लिए उपयुक्त समस्या का चयन किया जा सके तथा अनुसंधान के परिणामों के आधार पर अध्यापक शिक्षा में आवश्यक सुधार या बदलाव लाए जा सकें।

अपनी उन्नति जानिय Check Your Progress

केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखें(सत्य/असत्य, चार खंडों/हा/नहीं)

- वर्तमान समय में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की प्राथमिकताओं का निर्धारण करना आवश्यक नहीं है।

सही / गलत

- प्रजातांत्रिक राष्ट्र की समस्याओं का अनुसंधान से कोई संवध नहीं है। सही / गलत

7.4 अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों की सामान्य प्रवृत्ति (General Nature of Research Works undertaken in Teacher Education)

यदि अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के इतिहास का अवलोकन करें तो यह ज्ञात होता है कि अध्यापक शिक्षा में प्रथम शोध अध्ययन, 1956 में रिपोर्ट किया गया था। इसके उपरांत, शिक्षा अनुसंधान के प्रथम सर्वे में 1973 तक अध्यापक शिक्षा से संबंधित 45 शोध अध्ययनों का संकलन था। द्वितीय सर्वे में अगले पांच वर्षों में, 1978 तक 65 शोध अध्ययनों, तृतीय सर्वे (1978-83) में 116 अध्ययनों, चतुर्थ सर्वे (1983-88) में 156, पांचवें सर्वे (1988-92) में 211, तथा छठे सर्वे (1992-97) में 235 शोध अध्ययनों को रिपोर्ट किया गया जो कि मुख्यतः अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित थे।

पूर्व में, अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान कार्य हरबर्ट मॉडल, फलैंडर अंतर्क्रिया मॉडल, सूक्ष्म शिक्षण के प्रभाव इत्यादि के अध्ययन पर केंद्रित होते थे। लेकिन, धीरे-धीरे समय के बीतने के साथ-साथ, अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान कार्यों की अलग सामान्य प्रवृत्ति सामने आई है जो शिक्षण के अन्य आधुनिक मॉडलों पर आधारित है।

- i. यदि हम अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अनुसंधान कार्यों का अवलोकन करे तो सामान्यतः उनमें निम्नलिखित प्रवृत्ति देखी जा सकती है।
- ii. अध्यापक शिक्षा में मुख्यतः अध्यापकों की धारणाओं, ज्ञान तथा उनके द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं तथा विधियों पर अनुसंधान कार्य हुए हैं।
- iii. अध्यापक शिक्षकों की भूमिका एवं कार्यप्रणाली तथा अध्यापकों के व्यवसायिक विकास से संबंधित समस्याओं पर वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं।
- iv. विभिन्न विद्यालयी विषयों के शिक्षण के लिए अपनाई जा रही विधियों एवं प्रविधियों की उपयोगिता का प्रयोगात्मक अनुसंधान द्वारा मूल्यांकन किया गया है।
- v. सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण एवं सेवापूर्व अध्यापकप्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं उनसे संबंधित विभिन्न आयामों के मूल्यांकन पर आधारित अनुसंधान कार्यों को महत्व दिया जाता रहा है।
- vi. अध्यापकों के व्यक्तित्व से संबंधित विभिन्न विशेषताओं पर काफी अधिक मात्रा में अनुसंधान कार्य हुए हैं।
- vii. अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों, विभिन्न प्रशिक्षण प्रविधियों की प्रभावशीलता, शिक्षण कौशलों के विकास इत्यादि पर अनुसंधान कार्य, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में देखे जा सकते हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकताओं का निर्धारण किस प्रकार किया जाए? इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि अनुसंधान की प्राथमिकताओं का निर्धारण इस आधार पर किया जाना चाहिए जिससे केवल अध्यापक शिक्षा को ही लाभ न हो अपितु इससे विद्यालयी शिक्षा तंत्र को भी फायदा हो। इसी के साथ, अनुसंधान की प्राथमिकताओं का निर्धारण करते समय वर्तमान सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों तथा तकनीकी एवं शैक्षिक परिदृश्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि अनुसंधान कार्यों की सामाजिक उपयोगिता में वृद्धि हो सके। आइए इन्हीं मुख्य मापदंडों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकताओं या मुख्य आवश्यकताओं को पहचानकर, विप्लेषण एवं व्याख्या करने का प्रयास करें।

7.4.1 अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की प्राथमिकताएं (Priorities of Research in Teacher Education):

अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों के लिए निम्नलिखित विषयों को प्राथमिक आधार पर चयनित किया जा सकता है।

1. अध्यापकों की शिक्षण प्रभावशीलता का मापन करने के लिए वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय एवं वैध मापदंडों की पहचान करना, अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हो सकता है।

2. अध्यापकों का व्यक्तित्व, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की सफलता या असफलता में प्रमुख कारक गिना जाता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि एक अच्छे एवं प्रभावी अध्यापक के व्यक्तित्व की विभिन्न विशेषताओं को अनुसंधान कार्यों द्वारा परिभाषित किया जाए ताकि अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों की पाठ्यचर्चा में वांछनीय बदलाव लाए जा सकें।

3. वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि के कारण शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएं पैदा हुई हैं। इस कारण से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, एक लोकतांत्रिक प्रणाली का आवश्यक अंग है। इसके लिए अनेक शैक्षिक योजनाएं तथा कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं जिनमें से सर्व शिक्षा अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। अनिवार्य तथा निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा का अधिकार (2009) को मौलिक अधिकारों में स्थान दिया गया है। परंतु लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि इसके लिए विद्यालयों तथा अतिरिक्त शिक्षकों की अत्यधिक आवश्यकता है। इस संदर्भ में अनुसंधान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि किस प्रकार से ऐसी समस्याओं का समाधान हो सकता है।

4. जैसा कि आप जानते हैं कि अध्यापक के गुणों तथा उनके द्वारा अपनाई जा रही गतिविधियों तथा प्रक्रियाओं का छात्रों के व्यक्तित्व तथा उपलब्धि पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः ऐसे अनुसंधान कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे उन प्रक्रियाओं या गतिविधियों की पहचान एवं व्याख्या हो सके जो अध्यापक की शैक्षिक प्रभावशीलता पर सकारात्मक ढंग से असर डालती हैं।

5. वैश्वीकरण के वर्तमान समय में सेवापूर्व अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपनाए जा रहे पाठ्यक्रम की उपयोगिता का मूल्यांकन करने से संबंधित अनुसंधान कार्यों को प्रमुखता दी जानी चाहिए ताकि अच्छे एवं प्रभावशाली भावी अध्यापकों का निर्माण किया जा सके।

6. वर्तमान समय में, भारतीय परिदृश्य में अगर देखा जाए तो यह प्रतीत होता है कि अध्यापक शिक्षा के दो महत्वपूर्ण घटकों सेवापूर्व प्रशिक्षण तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। अतः अनुसंधान कार्यों में इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से सेवापूर्व अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मध्य तालमेल, सामंजस्य को बढ़ाया जा सकता है। ऐसी समस्याओं को अनुसंधान कार्यों के लिए चयनित किया जाना चाहिए जिससे अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के मध्य पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के लिए, उनकी भूमिका का आकलन किया जा सकता है।

7. लगातार बढ़ती जनसंख्या एवं कम हो रहे संसाधनों के समय में पूर्व- प्राथमिक शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा की पहुंच को सभी बच्चों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका समाधान अनुसंधान कार्यों द्वारा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पूर्व-प्राथमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों एवं कानूनों का वर्तमान समय में मूल्यांकन किया जा सकता है।

8. ऐसे अनुसंधान कार्यों को प्राथमिकता दी जाए जिनसे शिक्षा के निजीकरण के दुष्प्रभावों का आकलन किया जा सके और उनके समाधान के लिए संस्तुतियों की जा सकें। इसी के साथ वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों तथा शैक्षिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली, गतिविधियों तथा संस्थाओं के वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन, अनुसंधान कार्यों द्वारा किया जा सकता है।

9. ऐसे अनुसंधान कार्यों को करने की जरूरत है जिनसे आधुनिक तकनीकों को शिक्षा एवं शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में एकीकृत करने के तरीकों एवं विधियों का पता लगाया जा सके।

10. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे अनुसंधान कार्यों को प्रमुखता दी जानी चाहिए जिनसे हम सेवारत अध्यापकों तथा भावी अध्यापकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान कर सकें।

11. अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम इसलिए आयोजित किए जाते हैं ताकि अध्यापकों की शिक्षण योग्यताओं तथा कौशलों को विकसित किया जा सके। इसी के साथ अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में सिखाए जाने वाले पाठ्यक्रम का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि उस पाठ्यक्रम की कमियों के बारे में पता लगाया जा सके।

12. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्रमें ऐसे अनुसंधान कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनके द्वारा अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों, महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों तथा विद्यालयों के मध्य सहयोग और सहभागिता को बढ़ाया जा सके।

13. वर्तमान परिदृश्य में ऐसे अनुसंधान कार्यों को प्रमुखता से किया जाना चाहिए जिनसे शैक्षिक संस्थाओं एवं उनमें होने वाली विभिन्न गतिविधियों को समाज एवं सामुदायिक विकास से जोड़ा जा सके।

14. ऐसे अनुसंधान कार्यों को वर्तमान समय में प्रमुखता से किए जाने की आवश्यकता है जिनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसायीकरण को बढ़ाया जा सके। ऐसे अनुसंधान कार्यों द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर ऐसी निराकरण नीतियों को विकसित किया जा सकता है जिनसे शिक्षा को रोजगार के पर्यायों के साथ जोड़ा जा सकता है जोकि वर्तमान समय की मांग है।

15. अध्यापक शिक्षा के विभिन्न प्रतिमानों, आयामों तथा सिद्धांतों की वैश्वीकरण के दौर में उपयोगिता का मूल्यांकन, अनुसंधान कार्यों के लिए सार्थक एवं उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

16. दूरवर्ती एवं मुक्त शिक्षा द्वारा चलाए जा रहे अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की सार्थकता, व्यवहारिकता एवं प्रभावशीलता का अध्ययन, अनुसंधान द्वारा किया जा सकता है। इसी के साथ यह अध्ययन भी किया जाना आवश्यक है कि दूरवर्ती माध्यम तथा औपचारिक या नियमित शिक्षा माध्यम में से कौन सा माध्यम अध्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने में ज्यादा सशक्त है।

7.5 अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान में आने वाली मुख्य समस्याएं (Major Problems in Undertaking Research in Teacher Education)

आइए अब अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में पेश आने वाली अनुसंधान संबंधी मुख्य समस्याओं को पहचानने एवं समझने का प्रयास करें। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान संबंधी मुख्य समस्याओं का विवरण यहां दिया जा रहा है।

- i. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान संबंधी समस्याओं की प्रकृति आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की है। इस क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता को आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- ii. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापरक अनुसंधान कार्य करने के लिए, अनुसंधानकर्ताओं में आधारभूत योग्यताओं, कौशलों का अभाव पाया जाता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि अनुसंधानकर्ताओं में मौलिक शैक्षिक योग्यताओं के अतिरिक्त, अध्यापक शिक्षा के सिद्धांतों का ज्ञान, वैज्ञानिक जांच का कौशल, आंकड़ों का विप्लेषण एवं अर्थ ज्ञात करने की क्षमता होना आवश्यक है।
- iii. वर्तमान में यह देखा जा रहा है कि अनुसंधान अध्यापक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में एक सामान्य गतिविधि बनकर रह गया है। शोधकर्ताओं के लिए अनुसंधान कार्यों को करने के

लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं प्रदान किए जाते हैं। जिनसे अनुसंधान कार्यों में वांछनीय विकास नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ, अनुसंधान कार्यों को एक सही दिशा एवं गति प्रदान करने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता में कमी है। इन संसाधनों में अनुसंधान के लिए आवश्यक मूलभूत ढांचा या प्रणाली तथा अनुसंधान संबंधी विभिन्न गतिविधियों के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता की कमी प्रमुख है।

- iv. अनुसंधान कार्यों के संदर्भ में अगर गहराई से अवलोकन किया जाए तो यह साबित होता है कि अनुसंधान कार्यों में कोई आपसी तालमेल या अर्थपूर्ण संबंध नहीं है। अधिकतर पुराने शोध अध्ययनों को दोहराया जाता है जिससे ज्ञान के क्षेत्र में कोई खास वृद्धि नहीं होती है। इस कारण से अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को एक सही दिशा नहीं मिल पा रही है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर तथा इंटरनेट ने इस समस्या को और गहरा दिया है। इंटरनेट से अध्ययन सामग्री की चोरी तथा कम्प्यूटर की सहायता से “नकल करो और चिपकाओ” के सिद्धांत ने अनुसंधान की गुणवत्ता को बहुत निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। अतः आवश्यकता यह है कि अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए एक उपयुक्त वातावरण का निर्माण किया जाए जिसके लिए दीर्घावधि योजना का होना बहुत जरूरी है। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में प्रासंगिक, संतुलित तथा एकरूपता वाले अनुसंधान की कमी है क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार एक समय में कुछ विशेष प्रकार के अनुसंधान कार्यों को नजरअंदाज किया जाता है। इस के कारण अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में बहुआयामी विकास नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान संबंधी प्राथमिकताओं के बारे में अनुसंधानकर्ताओं तथा विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं में आम सहमति की कमी है जिसके कारण अनुसंधान के एक सरचनात्मक प्रारूप का निर्माण नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्त समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक शिक्षा , विद्यालयी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न संस्थाएं एक मंच पर आएँ और ऐसे नीतिगत निर्णय लिए जाएँ जिससे अनुसंधान कार्यों को करने के लिए आवश्यक वातावरण एवं संस्कृति का निर्माण किया जा सके।

अपनी उन्नति जानिय Check Your Progress

प्रश्न (4) 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, एक लोकतांत्रिक प्रणाली का आवश्यक अंग है। सही / गलत

प्रश्न (5) अनिवार्य तथा निषुल्क प्रारंभिक शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा का अधिकार (2009) को मौलिक अधिकारों में स्थान दिया गया है।

सही / गलत

प्रश्न (6) वर्तमान में अनुसंधान कार्यों को करने के लिए उच्च शिक्षा से संबंधित अधिकतर शिक्षा संस्थाओं में उचित संस्कृति का अभाव है।

सही /

गलत

7.6 सारांश (Summary)

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप यह जान गए होंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की प्राथमिकताओं का निर्धारण क्यों आवश्यक है और इन प्राथमिकताओं का निर्धारण करते समय कौन-कौन से मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है। अपने यह भी समझा कि शैक्षिक अनुसंधान की प्राथमिकताएं तथा कार्यक्षेत्र का विस्तार कौन-कौन से विषय क्षेत्रों में है। शैक्षिक अनुसंधान का कार्यक्षेत्र मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, मापन एवं मूल्यांकन, तुलनात्मक शिक्षा, शिक्षा तकनीकी, दूरवर्ती शिक्षा इत्यादि तक फैला हुआ है।

तदोपरान्त आपने अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों को करने के लिए उपलब्ध अवसर एवं संभावनाओं तथा अनुसंधान कार्यों की सामान्य प्रवृत्ति के संबंध में समझने का प्रयास किया। इसी के साथ अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान संबंधी प्राथमिकताओं का निर्धारण कर उन्हें विस्तृत रूप में समझने का प्रयास किया। हमने यह जाना कि अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक ऐसे पहलू एवं समस्याएं हैं जिनका समाधान, अनुसंधान कार्यों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खोजा जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि उन समस्याओं की तार्किक आधार पर पहचान की जाए तथा विप्लेषणात्मक अध्ययनों द्वारा समाधान किया जाए। इकाई के अंत में आपने अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान में आने वाली मुख्य समस्याओं के बारे में समझा।

निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि अगर अध्यापक शिक्षा की उपयोगिता एवं गुणवत्ता को बढ़ाना है तो बहुआयामी एवं क्रियात्मक अनुसंधान कार्यों, एकल अध्ययनों तथा आवश्यकता आधारित एवं सामाजिक उपयोगिता वाले अनुसंधान कार्यों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित विभिन्न नियामक संस्थाओं, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों इत्यादि के मध्य परस्पर घनिष्ठता एवं सहयोग को बढ़ाना होगा ताकि अनुसंधान के लिए आवश्यक वातावरण एवं शोध संस्कृति का विकास हो सके। इसी के परिणामस्वरूप हम अध्यापक शिक्षा की उपयोगिता एवं गुणवत्ता को विकसित कर पाने में सफल हो पाएंगे।

7.7 शब्दावली (Glossary)

1. शैक्षिक अनुसंधान: शैक्षिक अनुसंधान से तात्पर्य ऐसे सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक अध्ययनों से है जिनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाता है। ताकि भविष्य में कुछ हदतक ऐसी घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके एवं उनका आकलन किया जा सके। अध्यापक शिक्षा से तात्पर्य उन सभी लघु अवधि एवं दीर्घावधि सेवापूर्व या सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से है जो सेवारत या भावी अध्यापकों द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण-अधिगम विधियों में सुधार लाने या उनके विभिन्न शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक कौषलों को विकसित करने के लिए अलग-अलग माध्यमों द्वारा आयोजित किए जाते हैं।
3. प्राथमिकताएं:- प्राथमिकताओं से अभिप्राय उन सभी मुख्य विषय क्षेत्रों या मुद्दों से हैं जिनको वर्तमान समय में विप्लेषणात्मक अध्ययन करने के लिए शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र में प्रमुखता या वरीयता प्रदान की जानी चाहिए।

7.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. गलत
2. गलत
3. सही
4. सही
5. सही

7.9 संदर्भ ग्रंथ सूची (References)

- शर्मा (डा.) आर.ए. व चतुर्वेदी (डा.) शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, इण्टरनेशनल पब्लिसिंग हाउस: मेरठ, पृष्ठ 648-649
- अग्रवाल, जे.सी, 21वीं शताब्दी के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा पर दृष्टिकोण, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा पृष्ठ 340-341
- सिंह (डा.) कर्ण, भारतीय शिक्षा का ऐतिहासिक विकास, एच.पी. भार्गव बुक हाउस: आगरा, पृष्ठ 345-361
- भट्टाचार्य (डा.) जी.सी., अध्यापक शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा, पृष्ठ 326-347

- मंगल (डा.) के.पी., आधुनिक भारतीय शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा, पृष्ठ 83-84
- पाठक, पी.डी., भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा पृष्ठ 336-337
- सक्सेना, एन.आर., मिश्रा, बी.के. व मोहन्ती, आर. के., अध्यापक शिक्षा, आर. लाल बुक डिपो: मेरठ
- मदान, पूनम, भारत में शिक्षा-व्यवस्था का विकास तथा समस्यायें, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा

7.10 सहायक/उपयोगी पाठ्यक्रम (Reference Book)

1. शर्मा (डा.) आर.ए. व चतुर्वेदी (डा.) शिखा, अध्यापक शिक्षा, इण्टरनेशनल पब्लिसिंग हाउस: मेरठ।
2. सिंह (डा.) कर्ण, भारतीय शिक्षा का ऐतिहासिक विकास, एच.पी भार्गव बुक हाउस: आगरा।
3. भट्टाचार्य (डा.) जी.सी., अध्यापक शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा।

7.11 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. जनसंख्या विस्फोट के कारण, हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। इस संदर्भ में शिक्षा के क्षेत्र की मुख्य अनुसंधान समस्याओं का विप्लेषण कीजिए।
2. शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की प्राथमिकताओं का निर्धारण क्यों और कैसे किया जाना चाहिए?
3. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की प्राथमिकताओं का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए।
4. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों में आने वाली मुख्य समस्याओं का विवरण दीजिए तथा इन समस्याओं को दूर करने के लिए सुझाव भी दीजिए।
5. दूरवर्ती एवं मुक्त शिक्षा द्वारा चलाए जा रहे अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों से संबंधित अनुसंधान प्राथमिकताओं का वर्णन कीजिए।

इकाई 8 अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान का महत्व (Importance of Research in Teacher Education)

- 8.1 प्रस्तावना (Introduction)
 - 8.2 उद्देश्य (Objectives)
 - 8.3 अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की प्रकृति (Nature of Research in Teacher Education)
 - 8.3.1 शिक्षा अनुसंधान की आवश्यकता (Need of Educational Research)
 - 8.3.2 अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता (Need of Research in Teacher Education)
 - 8.4 शिक्षा अनुसंधान के उद्देश (Objectives of Educational Research)
 - 8.4.1 अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य (Major Objectives of Research in Teacher Education)
 - 8.4.2 शिक्षा अनुसंधान के कार्य (Functions of Educational Research)
 - 8.5 अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की भूमिका/महत्व (Role or Significance of Research in Teacher Education)
 - 8.5.1 अध्यापक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व (Significance of Action Research in Teacher Education)
- अपनी उन्नति जानिय Check Your Progress
- 8.6 सारांश (Summar)
 - 8.7 शब्दावली (Glossary)
 - 8.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Practice Question0)
 - 8.9 संदर्भ ग्रंथ सूची (reference Books)
 - 8.10 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री (Useful Books)
 - 8.11 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Types Question)

8.1 प्रस्तावना (Introduction)

अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित ईकाईयों में आप अध्यापक शिक्षा के अर्थ, प्रकृति एवं उद्देश्यों के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त आप अनुसंधान के अर्थ एवं प्रकारों के बारे में भी समझ गए हैं। प्रस्तुत ईकाई में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान क्यों आवश्यक है एवं अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनुसंधान की क्या भूमिका हो सकती है? प्रस्तुत ईकाई में इन्हीं मुख्य बिन्दुओं पर विस्तार से विश्लेषण एवं चर्चा की जाएगी। आपसे यह आशा की जाती है कि इस ईकाई के अध्ययन के उपरांत आप अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता एवं उद्देश्यों को समझा सकेंगे एवं अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की भूमिका एवं महत्व का विश्लेषण कर सकेंगे।

8.2 उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत ईकाई के अध्ययन के बाद आप -

- अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की प्रकृति को उद्धृत कर सकेंगे।
- शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की आवश्यकता की व्याख्या कर सकेंगे।
- अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता एवं उनके अंतर्संबंध को समझा सकेंगे।
- शैक्षिक अनुसंधान के उद्देश्यों को वर्गीकृत कर सकेंगे।
- अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान के मुख्य उद्देश्यों को सूचिबद्ध कर व्याख्या कर सकेंगे।
- अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की भूमिका एवं महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण कर सकेंगे।

8.3 अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की प्रकृति (Nature of Research in Teacher Education)

यह एक ऐसा सत्य है जिसे कभी, कोई भी नहीं झुठला सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी ढंग से, किसी न किसी परिस्थिति में अनुसंधान कार्य में सम्मिलित रहता है। हम अपने दैनिक जीवन से संबंधित हर गतिविधि में अनुसंधान करते रहते हैं हालांकि ऐसे अनुसंधान में प्रयुक्त विधियां एवं कार्यप्रणाली, तुलनात्मक आधार पर, अधिक लचीली एवं साधारण होती हैं। हम अपनी जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए यह प्रयास करते हैं कि हम उन समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान धूँढ़ सकें। इस कारण से हमें जीवन में अनुसंधान की आवश्यकता महसूस होती

है। इसी प्रकार, एक अध्यापक को भी, उसके व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने एवं उन्हें समझने के लिए अनुसंधान एवं उसकी कार्यप्रणाली से अवगत होना अति आवश्यक है। दूसरे शब्दों में कहें तो शैक्षिक परिस्थितियों में अनुसंधान करना, प्रत्येक अध्यापक के व्यवसायिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए।

अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को निम्नलिखित तीन संदर्भों में समझा जा सकता है।

- क. अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान
- ख. अनुसंधान- अध्यापक शिक्षा के रूप में
- ग. अध्यापक शिक्षा पर अनुसंधान

सामान्य भाषा में, अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान से तात्पर्य उन खोजकार्यों या अन्वेषणों से है जो अध्यापक शिक्षा के आधारभूत ढांचे के भीतर किए जाएं या ऐसे अनुसंधान जिनके परिणामों का उपयोग अध्यापक शिक्षा में सुधार लाने के लिए किया जा सके।

यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि इस प्रकार के विभिन्न तरह के अनुसंधान, अध्यापक शिक्षा के लिए सशक्त अधिगम वातावरण को निर्मित करने के लिए आधार का कार्य करते हैं। इस तरह के अनुसंधान, छात्रों एवं अध्यापक के मध्य होने वाली अंतर्क्रियाओं पर केंद्रित नहीं होते हैं। ऐसे अनुसंधान कार्य, अध्यापक शिक्षा में विभिन्न कोर्स एवं कार्यक्रमों के प्रारूपों को निर्मित करने के लिए निर्णय लेने में सहायक होते हैं।

जब अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य, एक अध्यापक द्वारा किए जाने वाले विभिन्न व्यवसायिक कार्यों में सुधार लाने का हो, तो ऐसा अनुसंधान स्वतः ही अध्यापक शिक्षा का रूप ले लेता है। उदाहरण के लिए, क्रियात्मक अनुसंधान जो कि ऐसा अनुसंधान होता है जिसमें एक अध्यापक, स्वयं द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों का स्वयं ही योजनानुसार एवं आलोचनात्मक तरीके से विश्लेषण एवं मूल्यांकन करता है ताकि उनमें सुधार ला सके। इससे उसकी व्यवसायिक कुशलता का विकास होता है। यह स्वतः ही एक प्रकार की अध्यापक शिक्षा का प्रारूप बन जाता है। इस संदर्भ में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अनुसंधान स्वतः ही अध्यापक शिक्षा है जो अध्यापकों की व्यवसायिक गतिविधियों का बोध करने एवं सुधार लाने के मध्य घनिष्ठ संबंध को प्रदर्शित करता है।

तृतीय संदर्भ में, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को, अध्यापक शिक्षा पर अनुसंधान के दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। अध्यापक शिक्षा पर अनुसंधान से तात्पर्य ऐसे अनुसंधान से है जिसमें अध्यापक शिक्षा के विभिन्न कोर्सेज् एवं कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऐसे कार्यक्रम अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस स्तर तक

सफल हुए हैं तथा उनके नियोजन एवं कार्यान्वयन में क्या कमियां रह गई हैं। ऐसे अनुसंधान, विशेषतः अध्यापक-शिक्षा पर केन्द्रित होते हैं तथा इसका तात्पर्य ऐसे अनुसंधान से है जिसमें अध्यापक एवं छात्रों के मध्य होने वाली अंतर्क्रियाओं, शैक्षिक गतिविधियों के प्रभाव इत्यादि का अध्ययन किया जाता है।

अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों को यदि उपरोक्त तीन संदर्भों से अवलोकन किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे सभी अनुसंधान कार्यों को 'अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है।

8.3.1 शिक्षा अनुसंधान की आवश्यकता (Need of Educational Research)

जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा अनुसंधान एक ज्ञान वृद्धि तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया है। इसलिए शिक्षा की सभी प्रक्रियाओं तथा कक्षा शिक्षण के सभी पक्षों पर अनुसंधान की आवश्यकता है। शिक्षा अनुसंधान की आवश्यकता को आगे दिए गए विवरण से समझा जा सकता है।

1. शिक्षा अनुसंधान की आवश्यकता इसलिए है ताकि मौलिक प्रश्नों के वैज्ञानिक उत्तर प्राप्त किए जा सकें। ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर साहित्य में नहीं हैं, उनके उत्तर ज्ञात करने के लिए शिक्षा अनुसंधान की आवश्यकता है।
2. शिक्षणशास्त्र के प्रचलित सिद्धांतों का मूल्यांकन करना तथा नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए शिक्षा अनुसंधान आवश्यक है।
3. शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित मौलिक समस्याओं तथा स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु अनुसंधान की आवश्यकता है।
4. जैसा कि आप शिक्षा मनोविज्ञान तथा शैक्षिक तकनीकी में पढ़ चुके हैं कि कक्षा-शिक्षण के अनेक आयाम तथा पक्ष हैं जिन पर शिक्षा अनुसंधान की विशेष आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि शैक्षिक अध्ययन एवं अनुसंधान का मुख्य क्षेत्र कक्षा-कक्ष एवं कक्षा शिक्षण ही है।
5. पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन करने एवं उनमें वांछनीय सुधार लाने के लिए शिक्षा अनुसंधान की आवश्यकता है।
6. शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न माध्यमों की सार्थकता एवं उपयोगिता का मूल्यांकन करने के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता है।

7. शैक्षिक संस्थाओं में प्रबन्धन तथा प्रशासन का मूल्यांकन करने के लिए तथा उसमें सुधार हेतु नवीन प्रणालियों का विकास करने के लिए शिक्षा अनुसंधान की आवश्यकता है।

8. शिक्षा अनुसंधान की आवश्यकता इसलिए भी है ताकि विभिन्न शिक्षा आयोगों तथा शिक्षा समितियों द्वारा दिए गए सुझावों के कार्यान्वयन के प्रभाव का आकलन किया जा सके।

8.3.2 अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता (Need of Research in Teacher Education)

भारतीय परिदृश्य में अनवरत एवं तेजी से प्रगति कर रहे विद्यालयी तंत्र में गुणात्मक सुधार लाने के लिए अध्यापक शिक्षा, एक महत्वपूर्ण एवं जीवंत भूमिका निभा सकती है। विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की तरह ही वर्तमान में अध्यापक शिक्षा में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। अतः इस संदर्भ में यह अति आवश्यक हो जाता है कि अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान आधारित गतिविधियों एवं अनुसंधान को यथोचित स्थान एवं महत्व प्रदान किया जाए ताकि अध्यापक शिक्षा में प्रयुक्त विभिन्न क्रियाएं या प्रयोग सामान्य अरुचिकर गतिविधियों में परिवर्तित न हो जाएं या दूसरे शब्दों में, अध्यापक शिक्षा से संबंधित गतिविधियां सक्रिय, गतिशील, जीवंत तथा नवाचारी रहे। यह इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि अध्यापक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल विद्यालयी तंत्र में हो रहे बदलावों के अनुरूप स्वयं को ही नहीं बदलना है बल्कि उन विद्यालयी बदलावों या सुधारों को एक निर्धारित दिशा एवं गति प्रदान करना भी है।

यदि हम वर्तमान में उपलब्ध शोध साहित्य पर नजर दौड़ाएं तो हम इस तथ्य से अवगत हो जाते हैं कि अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की जड़ें उतनी मजबूत नहीं हैं जितनी कि अन्य अध्ययन क्षेत्रों में। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी अनुसंधान कार्य हो रहे हैं, उनमें से बहुत कम अनुसंधान, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हैं। जो कुछ अनुसंधान कार्य, शिक्षा के क्षेत्र में किए भी जाते हैं उनका अध्यापक शिक्षा में प्रयुक्त एवं अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं तथा गतिविधियों से कोई स्पष्ट, निश्चित और व्यवहारिक संबंध नहीं देखा जाता है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह बहुत आवश्यक है कि संस्थागत व्यवस्था तैयार की जाए ताकि अध्यापक शिक्षा के विशेषज्ञों एवं शिक्षकों को इस क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं एवं समस्याओं को सुलझाने के लिए अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की आवश्यकता इसलिए भी है ताकि अध्यापक शिक्षा से संबंधित विभिन्न नीतिगत निर्णय वैज्ञानिक आधार पर लिए जा सकें।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अनुसार अध्यापक शिक्षा में, अनुसंधान के लिए जरूरी माहौल का निर्माण करना इसलिए आवश्यक है ताकि अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाया जा सके।

अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता इसलिए भी है ताकि अध्यापक शिक्षा के विभिन्न कोर्सेज् या कार्यक्रमों में प्रवेशप्रक्रियाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जा सके। शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया में सम्मिलित विभिन्न तत्वों एवं इस प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा पारिवारिक कारकों के बारे में सही ढंग से समझने के लिए एक अध्यापक को अनुसंधान का ज्ञान एवं बोध होना अति आवश्यक है। इस संदर्भ में अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान को शामिल किया जाना अति आवश्यक है।

अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता, वर्तमान परिदृश्य में इसलिए भी है ताकि विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में प्रतिदिन हो रहे बदलावों और नवाचारों को शिक्षण-अधिगम एवं अन्यविद्यालयी प्रक्रियाओं में अपनाया जा सके।

उपरोक्त व्याख्या के आधार आप यह समझ गए होंगे कि एक अध्यापक को अपने व्यवसायिक विकास एवं शिक्षण कौशलों में दक्षता को बढ़ाने के लिए, अनुसंधान का क्रियात्मक ज्ञान एवं बोध होना आवश्यक है।

अपनी उन्नति जानिय

- अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान को मुख्यतः कितने संदर्भों में समझा जा सकता है?
 - एक
 - दो
 - तीन
- अध्यापक शिक्षा से संबंधित विभिन्न नीतिगत निर्णय करने के लिए अनुसंधान का कोई महत्व नहीं है।

सही / गलत

8.4 शिक्षा अनुसंधान के उद्देश्य (Objectives of Educational Research)

पिछले खंड में हमने शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की आवश्यकता के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस खंड में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा अनुसंधान के क्या उद्देश्य हैं। इस के साथ अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के मुख्य उद्देश्यों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी।

शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए चयन की जाने वाली समस्याओं में अधिक विविधता पाई जाती है। इस आधार पर शिक्षा अनुसंधान के उद्देश्यों को चार प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है जिनका संक्षिप्त विवरण यहां दिया जा रहा है।

1. सैद्धांतिक उद्देश्य: ऐसे अनुसंधान, जिनके द्वारा नये सिद्धांतों तथा नए नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। ऐसे अनुसंधान कार्यों का मुख्य उद्देश्य चरों के मध्य सह-संबंधों की व्याख्या करना होता है। ऐसे कार्यों से प्राथमिक रूप से नवीन ज्ञान की वृद्धि होती है जिसका उपयोग शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में किया जाता है।
2. तथ्यात्मक उद्देश्य: ऐसे अनुसंधानों से वर्तमान को समझने में सहायता मिलती है तथा उद्देश्यों की प्रकृति वर्णनात्मक होती है। इनमें तथ्यों की खोज करके घटनाओं का वर्णन किया जाता है। ऐसे अनुसंधान, शिक्षा प्रक्रिया के विकास तथा सुधार में सहायक होते हैं।
3. सत्यात्मक उद्देश्य: ऐसे अनुसंधान, जिनकी प्रकृति दार्शनिक होती है एवं जिनके द्वारा नवीन सत्यों का प्रतिस्थापन किया जाता है। ऐसे अनुसंधान कार्यों द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों, सिद्धान्तों, शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम इत्यादि की रचना की जाती है।
4. उपयोगिता का उद्देश्य: ऐसे अनुसंधान कार्य, जिनमें केवल उपयोगिता को ही महत्व दिया जाता है तथा ज्ञान में वृद्धि करना द्वितीयक उद्देश्य होता है। ऐसे अनुसंधान विकासात्मक प्रकृति के होते हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के उद्देश्यों को उपरोक्त चार प्रमुख वर्गों में समझने के बाद, अब हम अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान के मुख्य उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे।

8.4.1 अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य (Major Objectives of Research in Teacher Education)

शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित विभिन्न नीतियों एवं निर्णयों का निर्माण करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करना ही, अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान का एक मुख्य उद्देश्य है।

अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं।

1. अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान इसलिए किया जाता है ताकि शैक्षिक घटनाओं और प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान एवं बोध हो सके। इससे हमें विभिन्न शैक्षिक प्रक्रियाओं और घटनाओं की व्याख्या करने, नियंत्रण करने एवं भविष्य के बारे में आकलन करने में सहायता मिलती है।
2. अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान का उद्देश्य, वर्तमान में घट रही शैक्षिक घटनाओं तथा प्रक्रियाओं में एक सकारात्मक बदलाव लाना है।

3. अध्यापक शिक्षा के लिए वांछित पाठ्यचर्या का निर्माण तथा अन्य नियम एवं नीतियों का निर्धारण करना अनुसंधान का एक उद्देश्य है।
4. अध्यापकों को उनके द्वारा अपनाई जा रही विभिन्न प्रशिक्षण एवं शिक्षण-अधिगम विधियों में सशक्त करना तथा उनमें बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करना, अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है।
5. लगातार बदलते सामाजिक, आर्थिक तथा तकनीकी परिदृश्य के अनुसार, अध्यापक शिक्षा के विभिन्न घटकोंमें बदलाव लाना, अनुसंधान का एक मुख्य उद्देश्य है।
6. अध्यापक शिक्षा की प्रक्रिया तथा परिणामों में गुणात्मक सुधार लाना, अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है।
7. अध्यापक शिक्षा में विद्यमान ज्ञान, सिद्धान्तों इत्यादि की वर्तमान परिदृश्य में उपयोगिता एवं वैधता की जांच करना तथा अध्यापक शिक्षा से संबंधित नए आयामों की खोज करना, अनुसंधान का एक प्रमुख उद्देश्य है।
8. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर मात्रात्मक एवं गुणात्मक आंकड़े एकत्रित करना भी अनुसंधान का एक उद्देश्य है।

8.4 .2 शिक्षा अनुसंधान के कार्य (Functions of Educational Research)

शैक्षिक अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, आइए शिक्षा अनुसंधान के मुख्य कार्यों को जानने का प्रयास करें। शिक्षा अनुसंधान के मुख्य कार्य यहां दिए जा रहे हैं।

1. शिक्षा अनुसंधान का मुख्य कार्य, शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार तथा विकास करना है। यह कार्य ज्ञान के प्रसार से किया जाता है।
2. शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का समाधान करना एवं शिक्षण-अधिगम की प्रभावशाली प्रविधियों का विकास करना, शिक्षा अनुसंधान का एक मुख्य कार्य है।
3. शिक्षा अनुसंधान का मुख्य कार्य, शैक्षिक प्रशासन तथा शिक्षा प्रणाली में सुधार एवं विकास करना है।

8.5 अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की भूमिका/महत्व (Role or Significance of Research in Teacher Education)

अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता, मुख्यतः शैक्षिक परिणामों एवं छात्रों के उपलब्धि स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है। अतः यह आवश्यक है कि अध्यापक शिक्षा में लगातार सुधार होते रहें ताकि उनका वृहद एवं दूरगामी प्रभाव बना रहे। अध्यापक शिक्षा में ऐसे सुधारों की कल्पना, अनुसंधान के बिना संभव नहीं है क्योंकि अनुसंधान किसी भी बदलाव या सुधार लाने के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है।

अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान को एक उचित स्थान मिलने से अध्यापक-शिक्षकों एवं छात्रों में अनुसंधान केंद्रित एवं अनुसंधान आधारित सोच या विचार शक्ति का विकास होता है जिससे अंततः शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सुधार या वांछनीय विकास लाया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों में अनुसंधान अध्ययनों तथा शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में अनवरत् अंतर्क्रिया होती रहे। अध्यापक-शिक्षकों द्वारा अनुसंधान द्वारा प्राप्त परिणामों को अपनी दैनिक शिक्षण-प्रशिक्षण प्रक्रिया का अंग बनाना आवश्यक है।

अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान इसलिए एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लेता है क्योंकि एक अध्यापक को अपने व्यवसायिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए एक अनुसंधानकर्ता की भूमिका का भी निर्वहन करना पड़ता है। इस संदर्भ में यह कह सकते हैं कि एक अध्यापक या तो स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर होकर अनुसंधान गतिविधियों को अंजाम देता है या फिर अपने विद्यालय या अन्य संगठनों के साथ मिलकर अनुसंधान कार्यकरता है। दोनों ही संदर्भों में यह कहा जा सकता है कि अध्यापक अपने व्यवसायिक कार्यों या उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने हेतु अनुसंधान गतिविधियों में हिस्सा लेता है।

अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के महत्व को इस नजरिए से भी समझा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी व्यवसाय से क्यों न जुड़ा हो, अपने जीवन में अनुसंधान संबंधी कार्यों में शामिल अवश्य रहता है। उन्हीं व्यवसायिक क्षेत्रों में से शिक्षा भी एक क्षेत्र है और शैक्षिक परिस्थितियों में या शैक्षिक परिस्थितियों से संबंधित प्रक्रियाओं में अनुसंधान करना प्रत्येक अध्यापक के व्यवसायिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। शैक्षिक परिस्थितियों में अनुसंधान इसलिए किया जाता है ताकि विद्यालयी प्रक्रियाओं में सुधार लाया जा सके तथा साथ ही साथ उन अध्यापकों की दक्षता में भी सुधार लाया जा सके जो अपनी कार्य कुशलता में सुधार लाना चाहते हैं”।

एक अध्यापक अपने व्यवसायिक कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर सकता है यदि वह स्वयं को उसके विषय क्षेत्र या व्यवसाय में हो रहे नवाचारों से अपने आप को लगातार उन्नत न करता रहे। इसके लिए आवश्यक है कि वह अनुसंधान आधारित गतिविधियों में अपने आप को समर्पित रखे।

अनुसंधान अध्यापकों में शिक्षण, अधिगम एवं शैक्षिक प्रशासन से संबंधित गतिविधियों के बारे में नई सोच या समझ विकसित करने में सहायक होता है जिससे कि शैक्षिक कार्यों एवं गतिविधियों में सकारात्मक बदलाव महसूस किया जा सकता है।

सामान्यतः यह देखा जाता है कि अनुसंधान एक ऐसा प्रत्यय है जिसे प्रबंधकों, अध्यापकों या नीति निर्धारकों द्वारा वह महत्व नहीं प्रदान किया जाता जितना अनुसंधान द्वारा प्राप्त वैज्ञानिक परिणामों को मिलना चाहिए। अधिकतर, अनुसंधान को एक शैक्षणिक गतिविधि के रूप में ही देखा एवं समझा जाता है और इसे अध्यापन के व्यवसाय के साथ जोड़कर नहीं देखा जाता है। ऐसी अवधारणाएं, शिक्षा के क्षेत्र में एक अनुसंधान केंद्रित संस्कृति का निर्माण करने एवं उसके फलने-फूलने में बहुत बड़ी बाधाएं हैं। लेकिन, हमें एक अध्यापक के रूप में यह समझ लेना चाहिए कि अध्यापन एक ऐसा विषय क्षेत्र है जिसमें अध्यापकों को सदैव सीखते रहना पड़ता है और जो भी ज्ञान, व्यवसायिक कार्यों के दौरान, अध्यापक प्राप्त करते हैं या निर्मित करते हैं, उस ज्ञान का विश्लेषण करना पड़ता है। इसी प्राप्त ज्ञान के विश्लेषण के आधार पर अध्यापको को अपने व्यवहार (सामान्य एवं शिक्षण व्यवहार) को सुधारना पड़ता है ताकि प्रतिक्षण जन्म ले रही आवश्यकताओं के साथ एक सामंजस्य स्थापित किया जा सके। इन सारी गतिविधियों या कार्यों को करने में अनुसंधान या वैज्ञानिक सोच, बहुत जीवंत भूमिका अदा करती है। इसे कुछ शिक्षाविद् अनुसंधान या शोध का नाम देने से कतराते हैं लेकिन व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो इस प्रकार के कार्यकलाप, अनुसंधान का ही अंग हैं।

अनुसंधान, एक अध्यापक को आकस्मिक पैदा हुई परिस्थितियों से वैज्ञानिक ढंग से निपटने में सहायता करता है। अनुसंधान केंद्रित सोच, एक अध्यापक को विभिन्न समस्याओं को पहचानने एवं उनका वैज्ञानिक समाधान ढूंढने में सहायक होती है।

अनुसंधान, अध्यापक को उच्च स्तर पर लिए गए विभिन्न नीतिगत निर्णयों का अनुगमन करने एवं उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अध्यापक बिना जाच-परख के किन्हीं भी निर्णयों का आँख मूंद कर पालन करना शुरू कर देता है। अनुसंधान के आधार पर तथा तर्क आधारित सोच से अध्यापक यह आकलन करता है कि कौन से निर्णय उसके छात्रों के कल्याण के लिए या छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा

करने में उपयुक्त हैं और उसी के अनुरूप अध्यापक अपने विभिन्न व्यवसायिक कार्यों, नीतिगत निर्णयों तथा छात्रों की आवश्यकताओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है।

संसाधनों का सही तरीके से, उचित कार्यों के लिए उपयोग करने में, अनुसंधान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि अनुसंधान द्वारा यह गारंटी नहीं दे जा सकती है कि कोई भी नई नीति या शिक्षा का कार्यक्रम सफल होगा परंतु यह अवश्य जाना जा सकता है कि कौन से कार्य, किन परिस्थितियों में ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। इस कारण से शैक्षिक संसाधनों का अपव्यय नहीं होता है तथा उद्देश्य पूर्ति के लिए संसाधनों का यथोचित उपयोग किया जा सकता है। अनुसंधान की सहायता से पूर्व निर्धारित मान्यताओं, पारंपरिक अवधारणाओं तथा रूढ़ियों के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान किया जा सकता है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि अनुसंधान के परिणामों तथा पूर्व निर्धारित मूल्यों में एक द्वन्द्व पैदा होता है, लेकिन यह पूर्णतः असत्य है। अनुसंधान द्वारा पूर्व निर्धारित मूल्यों एवं मान्यताओं को चुनौती दी जाती है तथा उनका स्पष्टीकरण प्रदान किया जाता है।

शिक्षा के क्षेत्र में यह अनुसंधान द्वारा ही संभव है कि हम विद्यालयों एवं उनमें प्रदान की जा रही शिक्षा का आकलन एवं समीक्षा कर सकते हैं।

शिक्षा, सार्वजनिक कार्य या उपक्रम है, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि शिक्षा से संबंधित जो भी नीतियां या नियम बनाए जाएं, वह अनुसंधान आधारित हों। शिक्षा व्यवस्था एवं उसके विभिन्न घटकों और भागीदारों का जवाबदेह और उत्तरदायी होना अति आवश्यक है ताकि सार्वजनिक निवेश एवं संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए अनुसंधान आधारित कार्य योजनाओं का निर्माण किया जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में शैक्षिक अनुसंधान का महत्व अपने आप बढ़ जाता है।

अध्यापक को किसी भी प्रकार के शिक्षा तंत्र के विभिन्न अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और अध्यापकों का कार्य क्षेत्र या जिम्मेवारी केवल पाठ्यचर्या को पढ़ाने तक ही सीमित नहीं होती है। बल्कि अध्यापकों को कक्षा या विद्यालय में लगातार पैदा होने वाली समस्याओं को पहचानने एवं उनका समाधान ढूंढने में भी दक्षता होनी चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा अध्यापक अपने व्यवसायिक कार्यों के बारे में स्वतः विश्लेषण एवं मूल्यांकन करता है ताकि भविष्य में अपनी प्रभावशीलता में वृद्धि कर सके। क्रियात्मक अनुसंधान, एक प्रकार की अधिगम की प्रक्रिया है जो अध्यापक की कार्य पद्धति एवं उसके बारे में आत्म-मूल्यांकन के मध्य संबंध को प्रदर्शित करती है।

क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे विद्यालय आधारित पाठ्यचर्या विकास, विद्यालय सुधार कार्यक्रम, व्यवसायिक विकास योजनाओं, विद्यालय संगठन, छात्र

मूल्यांकन इत्यादि के लिए किया जा सकता है। वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान पर बहुत अधिक बल दिया जा रहा है और विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को क्रियात्मक अनुसंधान करने के लिए गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वह अपने स्तर पर अपने शिक्षण कार्यप्रणाली में सुधार ला सकें और शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। इस सन्दर्भ में भी अगर हम देखें तो अनुसंधान का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व है।

8.5.1 अध्यापक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व (Significance of Action Research in Teacher Education)

अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व को निम्नलिखित ढंग से वर्णित किया जा सकता है।

1. विद्यालय के कार्यकर्ताओं में कार्य-कौशल का विकास करना।
2. शैक्षिक प्रशासकों तथा प्रबन्धकों को विद्यालय की कार्यप्रणाली के सुधार तथा परिवर्तन के लिये सुझाव देना।
3. विद्यालयों के परम्परागत रूढ़िवादी तथा यान्त्रिक वातावरण में सुधार करना।
4. विद्यालय की कार्यप्रणाली को प्रभावशाली बनाना।
5. छात्रों के निष्पत्ति स्तर को ऊँचा उठाना।
6. विद्यालय तथा कक्षा-शिक्षण की कार्य प्रणाली में सुधार लाना।
7. क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा लचीली होती है। शोधकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है।
8. कार्यविधि की समस्या के समाधान का व्यावहारिक रूप होता है।
9. शिक्षक स्वयं निर्णय लेता है कि समस्या के समाधान में कहाँ तक सफलता मिली है। शिक्षक को सफलता मिलने पर पुनर्बलन मिलता है।
10. शिक्षक को कार्यकुशलता का अवसर मिलता है तथा वह अपनी कार्यप्रणाली में सुधार तथा विकास करता है।

11. शोधकर्ता को किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, न विशेष शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता होती है, उसे केवल सोपानों का बोध होना चाहिए तथा समस्या की सूझ होनी चाहिए।

उपरोक्त वर्णित अनुच्छेदों को पढ़ने एवं समझने के उपरांत आप यह जान गए होंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों के लिए अनुसंधान का बहुत अधिक महत्व है और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार या सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अध्यापकों का अनुसंधान, अनुसंधान-आधारित क्रियाओं तथा अनुसंधान-केन्द्रित साहित्य के प्रति संवेदनशील होना अति आवश्यक है। अध्यापकों के मध्य अनुसंधान के प्रति एक सही सोच या सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए यहां जरूरी हो जाता है कि उन्हें अनुसंधान के बारे में अध्यापक-शिक्षा के कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षित एवं संवेदनशील बनाया जा सके। अध्यापक शिक्षा के सेवापूर्व कार्यक्रमों में अनुसंधान को एक आवश्यक अंग बनाना चाहिए और प्रशिक्षु अध्यापकों को अनुसंधान की कार्यप्रणाली एवं विभिन्न विधियों के बारे में अवगत करवाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुसंधान से सम्बन्धित व्यावहारिक अनुभव प्रदान किए जाने चाहिए।

अध्यापक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों में अनुसंधान को अधिक महत्व दिया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता, अंततः अध्यापक शिक्षा पर ही निर्भर करती है। यदि अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों में अनुसंधान को यथोचित स्थान मिलता है तो यह न केवल विद्यालयी शिक्षा अपितु अध्यापक शिक्षा के लिए बहुत अधिक लाभकारी साबित हो सकता है।

यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान कार्य केवल किए ही ना जाएं अपितु ऐसे अनुसंधान कार्यों के निष्कर्षों का वास्वविक परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए उपयोग भी किया जाना चाहिए।

अपनी उन्नति जानिय

3. शिक्षा अनुसंधान के उद्देश्यों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है?
- (i) एक (ii) दो (iii) तीन (iv) चार
4. क्रियात्मक अनुसंधान में प्रयुक्त विधियां एवं कार्यप्रणाली, तुलनात्मक आधार पर अधिक लचीली एवं साधारण होती हैं।
- सही / गलत

8.6 सारांश (Summary)

इस ईकाई को पढ़ने के उपरांत आप यह जान एवं समझ चुके होंगे कि अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान का क्या महत्व है तथा अनुसंधान के द्वारा किस प्रकार से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। इस ईकाई के आरंभ में आपने अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले अनुसंधान की प्रकृति के बारे में विस्तार से जाना।

इसके उपरांत आपने अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की आवश्यकता के बारे में समझा तथा अध्यापक शिक्षा और अनुसंधान के मध्य अंतर्संबंध को जाना। आप यह समझ चुके हैं कि अनुसंधान के बिना अध्यापक शिक्षा की कल्पना भी नहीं जा सकती है। तदोपरांत आपने अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के मुख्य उद्देश्यों के बारे में समझा। इस ईकाई के अंत में आपने अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने के लिए अनुसंधान के महत्व एवं भूमिका के बारे में विस्तृत रूप से समझा। सारांश में हम यह कह सकते हैं कि न केवल अध्यापक शिक्षा अपितु विद्यालयी शिक्षा में भी वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए, अनुसंधान एकमात्र साधन एवं साध्य है। अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम अध्यापक शिक्षा के इच्छित लक्ष्यों को सही मायनों में सफलतापूर्वक हासिल कर सकते हैं। अतः अनुसंधान को अध्यापक शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं जीवंत भूमिका प्रदान करने की आवश्यकता है।

8.7 शब्दावली Glossary

1. अध्यापक शिक्षा:- अध्यापक शिक्षा से तात्पर्य उन सभी लघु अवधि और दीर्घावधि सेवापूर्व या सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से है जो सेवारत अध्यापकों या भावी अध्यापकों द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण-अधिगम विधियों में सुधार लाने या उनके विभिन्न शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक कौशल को विकसित करने के लिए विभिन्न माध्यमों द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

2. अनुसंधान:- विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का एकसुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना ताकि उन समस्याओं को हल किया जा सके तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सके एवं उनका आकलन किया जा सके, ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया अनुसंधान कहलाती है।

3. क्रियात्मक अनुसंधान:- क्रियात्मक अनुसंधान से तात्पर्य ऐसे अनुसंधान से है जिसमें एक अध्यापक स्वयं द्वारा अपनाई जा रही शैक्षिक कार्यप्रणाली एवं विधियों का स्वतः ही निरीक्षण, विश्लेषण एवं मूल्यांकन करता है और उनमें वांछित परिवर्तन लाकर अपने भावी व्यवसायिक

व्यवहार एवं शैक्षिक कौशलों को सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। ऐसे अनुसंधान का दायरा केवल एक कक्षा में या एक विद्यालय में अध्यापक के सामने पेश आने वाली समस्याओं के समाधान तक ही सीमित होता है।

8.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लिखे

1. तीन
2. गलत
3. चार
4. सही

8.9 संदर्भ ग्रंथ सूची (References)

- शर्मा (डा.) आर.ए. व चतुर्वेदी (डा.) शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, इण्टरनेशनल पब्लिसिंग हाउस: मेरठ, पृष्ठ 648-649
- अग्रवाल, जे.सी, 21वीं शताब्दी के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा पर दृष्टिकोण, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा पृष्ठ 340-341
- सिंह (डा.) कर्ण, भारतीय शिक्षा का ऐतिहासिक विकास, एच.पी. भार्गव बुक हाउस: आगरा, पृष्ठ 345-361
- भट्टाचार्य (डा.) जी.सी., अध्यापक शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा, पृष्ठ 326-347
- मंगल (डा.) के.पी., आधुनिक भारतीय शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा, पृष्ठ 83-84
- पाठक, पी.डी., भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा पृष्ठ 336-337
- सक्सेना, एन.आर., मिश्रा, बी.के. व मोहन्ती, आर. के., अध्यापक शिक्षा, आर. लाल बुक डिपो: मेरठ

- मदान, पूनम, भारत में शिक्षा-व्यवस्था का विकास तथा समस्यायें, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा

8.10 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री (Suggested Useful Reading Material)

1. शर्मा (डा.) आर.ए. व चतुर्वेदी (डा.) शिखा, अध्यापक शिक्षा, इण्टरनेशनल पब्लिसिंग हाउस: मेरठ।
2. सिंह (डा.) कर्ण, भारतीय शिक्षा का ऐतिहासिक विकास, एच.पी. भार्गव बुक हाउस: आगरा।
3. भट्टाचार्य (डा.) जी.सी., अध्यापक शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा।

8.11 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. वर्तमान शैक्षिक परिस्थितियों में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए।
2. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए निहित उद्देश्य, क्या आज के शैक्षिक संदर्भ में पर्याप्त हैं? व्याख्या करें।
3. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार या सकारात्मक परिवर्तन लाने में अनुसंधान की भूमिका पर निबंध लिखिए।
4. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व की व्याख्या करें।
5. विभिन्न नीतिगत निर्णयों को वैज्ञानिक आधार पर करने के लिए अध्यापक शिक्षा अनुसंधान की आवश्यकता है। व्याख्या करें।